खण्ड-305, अंक-4
शुक्रवार, 21 वैशाख, शक संवत् 1895
(11 मई, 1973 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 305 में 4 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
1974

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	343 347
प्रश्नों को कार्य सूची में न रखने पर आपत्ति	347
श्री विश्वनाथ कपूर की रिहाई के सम्बन्ध में जानकारी	347
हिन्डालको की बिजली कटने के सम्बन्ध में जानकारी	348–349
मिर्जापुर जिले में जनसंघी प्रदर्शनकारियों पर लाठी चार्ज आदि के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण	349–350
उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम के वार्षिक प्रतिवेदन (1971-72) की आडिट रिपोर्ट (पटल पर रखी गयी)	350
उत्तर प्रदेश अधिकतम सम्पत्ति सीमा (अन्तरण पर अस्थायी निर्बन्धन) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1973 में किये गये शाब्दिक संशोधन (पटल पर रखा गया)	350
उत्तर प्रदेश अधिकतम सम्पत्ति सीमा (अन्तरण पर अस्थायी निर्बन्धन) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1973 (राष्ट्रपति महोदय की अनमति की घोषणा)	350–351
श्री सूबेदार सिंह द्वारा उठाये गये विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न से सम्बन्धित उनके कथित त्याग-पत्र प्राप्ति के सम्बन्ध में सूचना ..	351
विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना के बारे में जानकारी ..	351–352
विविध विषय (जारी)	352–353
हस्त और शक्ति चालित करघा उद्योग, उत्तर प्रदेश की रिपोर्ट (पटल पर रखी गयी)	353
कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें	353–354
बराई क्षेत्र (गलिया पानी) के हरिजनों तथा भूतपूर्व सैनिकों को उनकी भूमि से बेदखल एवं गिरफ्तार किये जाने के सम्बन्ध में वक्तव्य ..	354–358
देवरिया जनपद में चेचक के भयंकर प्रकोप के सम्बन्ध में वक्तव्य ..	353–360
विविध विषय	360–361
सरकारी राशन की दूकानों में गेहूं का अभाव, गेहूं के राष्ट्रीयकरण से खुले बाजार में गेहूं न आने से उत्पन्न परिस्थिति, खाद्यान्न तथा अन्य जीवनोपयोगी वस्तुओं की कमी तथा उनके मूल्य में अत्याधिक वृद्धि के सम्बन्ध में चर्चा	362–409
स्टेपल यार्न के अभाव के कारण बुनकरों में बेकारी की समस्या से उत्पन्न परिस्थिति पर विचार	409–124
सदन के अनिश्चित काल तक स्थगन का प्रस्ताव (स्वीकृत) ..	424
तिथियां	425

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, 11 मई, 1973

विधान सभा की बैठक, सभा मंडप, लखनऊ में 11 बजे दिन में, अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—352

अजीजुर्रहमान, श्री
अजीत प्रताप सिंह, श्री
अनन्तराम जायसवाल, श्री
अनवार अहमद,श्री
अनीसुर्रहमान शेरवानी, श्री
अब्दुल गफ्फार हाशमी, श्री
अभिमन्यु प्रसाद पांडेय, श्री
अमर नाथ दूबे, श्री
अलीजहीर, श्री सैयद
अवधेश कुमार, श्री
अवधेश प्रताप मल्ल, श्री
अशरफ अली खां, कुंवर
अहमदलूत खां, श्री
अहमदुल्ला खां, श्री
आबिद अली, श्री
आशा राम, श्री
इन्द्रजीत, श्री
इन्द्रमणि, श्री
इन्द्रलाल, श्री
इम्तियाज हुसैन, श्री
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री
उदय नाथ, श्री
उदय प्रताप सिंह, श्री
उदित नारायण शर्मा, श्री
उपेन्द्र नाथ दीक्षित, श्री
उमाकान्त बाजपेई, श्री (उर्फ भैया जी)
उमानाथ सिंह, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कन्हैया लाल बाल्मीक, श्री
कन्हैया लाल सोनकर,श्री
करन सिंह, श्री
कला रानी मिश्र, श्रीमती
कल्पनाथ सिंह, श्री
कल्याण सिंह, श्री
काजी मसूद, श्री
किशन लाल, श्री
कुदसिया बेगम, श्रीमती (बेगम ऐजाज रसूल)
कृपादयाल, श्री
कृष्ण कान्त अवस्थी, श्री
कृष्ण चन्द्र शर्मा, श्री
कृष्ण मगन सिंह, श्री
कृष्ण सिंह, श्री
कृष्ण स्वरूप वैश्य, श्री
कृष्णा नन्द राय, श्री
केशव चन्द्र सिंह, श्री
केशव राम, श्री (जिला बरेली)
केशो राम, श्री (जिला बदायूं)
के० एस० मोहरिया, श्री
गंगा प्रसाद, श्री (जिला एटा)
गंगा प्रसाद, श्री (जिला गोंडा)
गजेन्द्र सिंह, श्री
गणेश दत्त बाजपेई, श्री
गया प्रसाद, श्री
गायत्री देबी, श्रीमती
गिरजा शंकर तिवारी, श्री
गोपाल दत्त ओझा, श्री
गोविंद सिंह नेगी, श्री
गोस्वामी राधाकृष्ण, श्री
घासी राम जाटव, श्री

चंचल सिंह गिल,सरदार,
चन्द्रनारायण सिंह, श्री
चन्द्रप्रताप नारायण सिंह, कुंवर
चन्द्रभान शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रमणि कान्त सिंह 'जूदेव', श्री
चन्द्र मोहन सिंह नेगी, श्री
चरण सिंह, श्री
चिरंजी लाल, श्री
छांगुर राम, श्री
छेदा लाल चौधरी, श्री
जंगबहादुर यादव, श्री
जंगबहादुर सिंह, श्री
जगदम्बा प्रसाद, श्री
जगदीश गांधी, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश्वर दयाल, डाक्टर (डा० मन्ना)
जगन प्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगरनाथ, श्री
जगवीर सिंह, श्री
जमादार सिंह, श्री
जयनारायण सिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जे० एन० सिन्हा, श्री
ज्वाला प्रसाद कुरील, श्री
डी० पी० बोरा, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तेज नारायण त्रिवेदी, श्री
तेजपाल सिंह 'कृष्ण', श्री
तेजभान सिंह, कुंवर
त्रिलोकचन्द्र, श्री
त्रियेणी सहाय, श्री
दीपनारायण वन, श्री
दीपनारायण मणि त्रिपाठी, श्री
दुर्जन, श्री
दुलारे लाल, श्री
देवकी नन्दन विभव, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्रनाथ मिश्र, श्री
देवेन्द्र सिंह, कुंवर
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मवीर, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
धर्म सिंह, श्री
घूम प्रसाद, श्री
नत्था राम रावत, श्री
नरेन्द्र सिंह भंडारी, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नसीमुद्दीन सिद्दीकी, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायणदास, श्री
नित्यानन्द स्वामी, श्री
निर्भयनारायण सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू)
निहाला सिंह, श्री
नेतराम सिंह, श्री
नैनसिंह, श्री
नैपाल सिंह, श्री
नौनिहाल सिंह, श्री
पन्नालाल गुप्त, श्री
परमाईलाल, श्री
पारसनाथ सिंह, श्री
पूरन चन्द, श्री
प्यारी देवी गुप्ता, श्रीमती
प्रकाश नारायण गुप्ता, डाक्टर
प्रताप नारायण द्विवेदी, श्री
प्रभाकर त्रिपाठी, श्री
प्रियदर्शी जेटली, श्री
प्रेम चन्द्र शर्मा, श्री
प्रेमनारायण अहेरवार, श्री
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री
बंशगोपाल शुक्ल, श्री
बंशीधर पांडय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बच्चा, पाठक, श्री
बदन सिंह यादव, श्री
बद्री प्रसाद, श्री
बनारसी राम, श्री
बलवीर सिंह, श्री
बसन्त लाल, श्री (जिला जालौन)
बसन्त लाल, श्री (जिला लखनऊ)
बसन्त लाल शर्मा, श्री
बांके लाल, श्री
बिशन लाल यादव, श्री
बिहारी लाल, श्री
बेनी सिंह श्री
बैजनाथ, श्री (जिला देवरिया)
बैजनाथ, श्री (जिला वाराणसी)
भगवत दयाल सिलोइया, डाक्टर
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री
भगवती सिंह, श्री

भगवती सिंह विशारद, श्री
भगेलू सिंह, श्री
भगौती प्रसाद, श्री
भानु प्रताप सिंह, श्री (जिला बस्ती)
भाभी यादव, श्री
भारत सिंह चौहान, श्री
मंगल उपाध्याय, श्री
मंजूर अहमद, श्री
मदन मोहन मिश्र, श्री
मनफूल सिंह, श्री
मनोहर लाल, श्री
मन्साराम, श्री
मसाली देवी, श्रीमती
महमूद हसन खां, श्री
महातम प्रसाद तिवारी, श्री
महावीर सिंह चौहान, श्री (जिला अलीगढ़)
महीलाल, श्री
महेन्द्र सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
महेन्द्र सिंह, श्री (जिला मुरादाबाद)
महेश्वरदत्त सिंह, श्री
माखन लाल, श्री
माता प्रसाद, श्री
माधव प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मानवती देवी, श्रीमती
मुंशीलाल चमार, श्री
मुमताज मोहम्मद खां, श्री
मुल्तान सिंह, श्री
मुस्तफा कामिल किदवाई, श्री
मुहम्मद नबी खां, श्री
मेहरबान सिंह, श्री
मोतीलाल देहलवी, श्री
मोतीलाल यादव, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल कपूर, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहम्मद असरार अहमद, श्री
यादवेन्द्र दत्त दुब, श्री
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ लल्लन जी)
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला आगरा)
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला कानपुर)
रघुनाथ सिंह वर्मा, श्री
रघुवीर सिंह यादव, श्री
रणंजय सिंह, राजा
रमापति त्रिपाठी, श्री
राजनाथ सिंह, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राजबहादुर चन्द, श्री
राज मंगल पाण्डेय, श्री
राजाराम, श्री
राजितराम पांडेय, श्री
राजेंद्र किशोरी, श्रीमती
राजेंद्र कुमार शर्मा, श्री
राजेंद्र प्रताप सिंह, श्री
राजेश्वर सिंह, श्री
राम अवध, श्री
राम करन यादव, श्री (जिला गाजीपुर)
राम करन सिंह, श्री (जिला गोरखपुर)
राम किंकर, श्री
रामकिशोर शुक्ल, श्री
राम कुंवर सिंह, श्री
राम कुमार दीक्षित, श्री
राम कुमार शास्त्री, श्री
राम कृष्ण द्विवेदी, श्री
रामगोपाल सण्ड, श्री
रामचरण त्रिपाठी, श्री (जिला इलाहाबाद)
राम चरण सिंह, श्री (जिला आगरा)
रामजियावन, श्री
राम दुलारे, श्री
राम दुलारे मिश्र, श्री
रामदेव, श्री
रामधारी शास्त्री, श्री
राम नगीना मिश्र, श्री
रामनिहोर, श्री
राम निहोर राय, श्री
रामपति, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपाल सिंह यादव, चौधरी
राम प्यारे, श्री
रामप्यारे शुक्ल, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामबचन, श्री (जिला आजमगढ़, रानी की सराय)
रामवचन यादव, श्री (जिला आजमगढ़, फूलपुर)
राम बिलास पांडेय, श्री
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरतन पांडेय, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन सिंह, श्री
राम लगन दूबे, श्री
रामलाल चतुर्वेदी, श्री

राम लाल भाई, श्री
रामलाल राही, श्री
रामशिरोमणि दूबे, श्री
रामसागर, श्री
राम सिंह खन्ना, श्री
राम सूरत सिंह, श्री
राम सेवक, श्री
राम हर्ष मिश्र, श्री
रितुराज सिंह, श्री
रियासत हुसन, श्री
रूपनाथ सिंह यादव, श्री
लक्ष्मी रमण आचार्य, श्री
लालन शर्मा, श्री
लाल बहादुर सिंह, श्री
लालसा, श्री
लालसा प्रसाद, श्री
लालू राम, श्री
लीलाधर, श्री
लोकपति, श्री
वशिष्ठ नारायण शर्मा, श्री
वासुदेव, श्री
वासुदेव सिंह वैद्य, श्री
विक्रम सिंह, श्री
विजयकुमार त्रिपाठी ,राजा
विजयपाल सिंह, श्री (जिला गोंडा)
विजयपाल सिंह, श्री (जिला बुलन्दशहर)
विजय बहादुर सिंह, श्री
विजयशंकर सिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विशम्भर सिंह यादव, श्री
विश्रामदास, श्री
वीर बहादुर सिंह, श्री
वीरेन्द्र कुमार, चौधरी
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्र स्वरूप भटनागर, श्री
शंकर प्रसाद जायसवाल, श्री
शचीन्द्र नाथ बख्शी, श्री
शफीक अहमद खां, श्री
शमीम आलम, श्री
शम्भूनाथ चौधरी, श्री
शम्भूनारायण सिंह, श्री
शान्तो चरण पिंडारा, श्री
शान्शि प्रपन्न शर्मा, श्री
शिव कुमार, श्री (जिला शाहजहांपुर)
शिव कुमार पांडेय, श्री (जिला सुलतानपुर)
शिव कैलाश, श्री
शिवदास, श्री
शिव प्रसाद पांडिया, श्री
शिववचन, श्री
शिवराज सिंह, श्री
शिवलाल, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिवशंकर, श्री
शिवशंकर सिंह, श्री
शिव सम्पत्ति शर्मा, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
शीतला प्रसाद सिंह, श्री
शुकरू लाल, श्री
शेर सिंह दानू, श्री
शेष नारायण शुक्ल, श्री
शौनाथ सिंह चौधरी, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्ययामलाल कनौजिया, श्री
श्याम लाल रावत, श्री
श्याम सुन्दर लाल गुप्त, श्री (उर्फ छन्नू बाबू)
श्याम सूरत उपाध्याय,श्री
श्रीकृष्ण बाजपेयी, श्री
श्रीनिवास प्रसाद सिंह, राजा
श्रीराम सिंह, श्री
श्रीशचन्द्र, श्री
सन्तोष कुमारी, श्रीमती
सईद मर्तजा, श्री
सच्चिदानन्द, श्री
सजीवन लाल, श्री
सत्तार अहमद अन्सारी, श्री
सन्तराम, श्री
सन्तू राम, श्री
सरस्वती टम्टा, श्रीमती
सर्वसुख सिंह, श्री
सिया दुलारी, श्रीमती
सिया राम, श्री
सिया राम गंगवार, डाक्टर
सुखपाल पांडेय, श्री
सुखवीर, श्री
सुखलाल कोरी, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरेन्द्र विक्रम, श्री
सूबदार प्रसाद, श्री
सूरज लाल गुप्त, श्री
सेवाराम, श्री
सोहन लाल घुसिया, श्री
हंसराज, श्री (उर्फ हंसा)

हबीब अहमद, श्री
हबीबुर्रहमान, श्री
हमीदा हबीबुल्ला, बेगम
हरनारायण, श्री
हरबंश प्रसाद, श्री
हरिनाथ तिवारी, श्री
हरिप्रसाद शाही, डाक्टर
हरिवंश सहाय, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरीसिंह विष्ट, श्री
हलीमुद्दीन राहत मौलाई, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हीरा सिंह बोरा, श्री
हुकुम सिंह, श्री
हुकुम सिंह परिहार, श्री
होती लाल अग्रवाल, श्री

नोट—पंचायती राज मंत्री, श्री बलदेव सिंह आर्य भी उपस्थित थे।

प्रश्नों को कार्य सूची में न रखने पर आपत्ति

श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है कि जो सदस्य गिरिफ्तार.....

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

यह जो आपने आज के लिये क्वेश्चन आवर समाप्त कर दिया यह किस तरह से हुआ? क्या आपने अपने आदेश से ऐसा किया है या कार्य मंत्रणा समिति ने यह तय किया था?....

श्री अध्यक्ष—

यह तो आपको सदन से पूंछना चाहिये सदन का निर्णय था। ऐसा प्रोपोजल था।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

नियमावली के किस नियम में ऐसा था जो आपने क्वेश्चन आवर समाप्त कर दिया?

श्री अध्यक्ष—

नियमावली में है कि पहला घंटा प्रश्नों के लिये उपलब्ध होगा जब तक कि अध्यक्ष अन्यथा कोई आदेश न दें। यही सदन की मंशा थी कि पूरा दिन इस काम के लिये लगे और एक घंटा प्रश्नों में न लगे। उसके बाद और बाते होती रहती हैं। इसलिये मैंने सदन से पूंछकर ऐसा किया है, वैसे मैं खुद भी कर सकता था।

श्री विश्वनाथ कपूर की रिहाई के संबंध में जानकारी

श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

कल मैंने दो बातों की तरफ सदन का ध्यान आकृष्ट किया था। हमारे दल के माननीय विश्वनाथ कपूर तथा कुछ और लोग गिरफ्तार कल से हैं, आपने मख्य मंत्री जी से सम्पर्क करके उनको छुड़ाने का आश्वासन दिया था लेकिन अभी वह नहीं छोड़ गये हैं.....

श्री अध्यक्ष—

अभी मुख्य मंत्री जी नहीं है, वह आ जांय तो बता देंगे। वित्त मंत्री जी को मालूम हो तो बता दें। मेरे पास सूचना आयी थी कि विधायक कह रहे हैं कि अगर और लोगों को साथ में नहीं छोड़ा जायगा तो हम भी नही छूटते तो मैंने कहा कि लाचारी है लेकिन....

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

एक छूटेगा तो सब छूटेंगे, सभी दफा 188 में गिरफ्तार हुये हैं।

हिन्डालको की बिजली कटने के संबंध में जानकारी

श्री सुरेन्द्र बिक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

दूसरी बात यह है कि मैंने हिंन्डालको के विषय में एक कार्य स्थगन प्रस्ताव दिया था। आप कार्यवाही देंखें आपने कहा कि सरकार से इस पर स्पष्टीकरण के लिये कहा जा रहा है लेकिन आज की कार्य सूची में कोई स्पष्टीकरण नहीं है ।

श्री अध्यक्ष—

वहां का कनेक्शन बिजली का कटा या नहीं इसकी सूचना माननीय वित्त मंत्री जी दें दें ।

वित्त मंत्री (श्रीनारायण दत्त तिवारी)—

हमने बार बार हिंन्डालको.....

श्री माधव प्रसाद (जिला बस्ती)—

अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता था ।

श्री अध्यक्ष—

अभी आप बैठें ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मैं दूसरी बात कहना चाहता था .....

श्री अध्यक्ष—

आप बाद में कह लें, पहले हिंन्डालको की बात तो खत्म हो जाय ।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

श्रीमन्, हिंन्डालको के ऊपर 2,59,32,607 रुपये की धनराशि 30-6-69 तक देय थी, सरकार ने बिलों के भुगतान के लिये उन से कहा लेकिन वह कहते रहे कि हम पर इतना ड्यु नहीं है और तमाम दूसरे बहाने लेते रहे लेकिन उसके बाद पंच निर्णय की जब बात आई और कहा गया कि बांचू साहब पंच हो जांय लेकिन उन्होंने पंच बनना स्वीकार नहीं किया । जब यह बातें चल रहीं थीं, न वह पंच निर्णय के लिये तैयार हुये और अन्य शर्तें लगाते रहे तो हमारे बोर्ड ने 8 दिसम्बर, 1971 को हिन्डालको को नोंटिस दिया कि यह हमारी बकाया धनराशि है और यदि इसका भुगतान नहीं किया जायगा तो कनेक्शन काट दिया जायगा रिट में वे हाई कोर्ट में चले गये और स्टे प्राप्त कर लिया । पहले रिट उनके हक में हो गया। फिर हमने स्पेशल अपील दाखिल की और जब वह मंजूर हो गयो तो हमने उनसे कहा कि वे पैसा जमा करें लेकिन जब पैसा जमा नहीं हुआ तो हमने कल अर्थात 10 मई, को 7 बज कर 55 मिनट पर उनकी बिजली कटवा दी और उनसे कहा कि वे बिजली के बिलों का तुरन्त भुगतान करें ।

श्री सुरेन्द्र बिक्रम—

श्रीमन्, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हुं कि यह जो 1.79 लिखा गया है यह क्या हिसाब है ?

श्री अध्यक्ष—

कल तो सिर्फ इतना ही हूआ था कि चूंकि मंत्री जी ने वह सूचना नहीं दी थी बल्कि किसी और ने दी थी इसलिये मैंने कहा कि मंत्री जी को चाहिये कि वे इसके बारे में सूचना दें ।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

यह बात सही है कि बिजली कट गई लेकिन क्या उस कांस्टीट्युएन्सी के विधायकों का उन पर दबाव पड़ रहा है कि वे हिंन्डाल्को की बिजली दुबारा रिस्टोर कर दें ? यदि हां, तो क्या माननीय मंत्री जी उसे रिस्टोर करने जा रहे हैं ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

श्रीमन्, मेरे ऊपर ऐसा कोई दबाव नहीं पड़ रहा है ।

मिर्जापुर जिले में जनसंघी प्रदर्शनकारियों पर लाठी चार्ज आदि के संबंध में स्पष्टीकरण

श्री अध्यक्ष—

माननीय त्रिपाठी जी ने जो पूछा था वह यह है कि मिर्जापुर में जनसंघ के प्रदर्शनकारियों पर लाठी चार्ज तथा उन्हें जेल में बन्द किये जाने के संबन्ध में सर्व श्री सूबेदार प्रसाद, राम निहोर राय, नित्यानन्द स्वामी तथा जगन्नाथ खन्ना ने जो नियम 51 के अन्तर्गत सूचना दी थी, उसमें आपने यह पूंछा था कि किसने परमीशन की मांग की थी । श्री आशा राम यादवेश, जिला मंत्री भारतीय जनसंघ ने दिनांक 19 अप्रैल, 1973 को जिलाधीश के समक्ष 25—4—73 को प्रदर्शन करने तथा उसके प्रचार हेतु ध्वनिवर्धक यंत्र के प्रयोग किये जाने की अनुमति हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया था जिस पर आवश्यक जांच के पश्चात दिनांक 24 अप्रल, 1973 प्रभारी जिला मजिस्ट्रेट ने कुछ प्रतिबन्धों के साथ जलूस निकालने तथा सभा करने की अनुमति दे दी थी .....

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

श्रीमन्, यह तो मैं समझ गया लेकिन मेरा प्रश्न केवल यह था कि मिर्जापुर में दफा 144 लगी हुई थी और मिर्जापुर में प्रोसेशन निकालने की जिस व्यक्ति ने अनुमति मांगी, वह व्यक्ति कौन था और जिन शर्तों से अनुमति दी गई, वे क्या थीं और क्या प्राप्त कर्त्ता के हस्ताक्षर लिये थे या नहीं ?

इन शर्तों से उस व्यक्ति को अवगत कराया गया था या नहीं कि आप इन शर्तों पर प्रोसेशन निकाल सकते हैं या नहीं ?

श्री अध्यक्ष—

आप इसे सुन तो लें । इसमें आगे कहा गया है कि जिन शर्तों पर अनुमति दी उसकी एक प्रतिलिपि संलग्नक "क" पर उपलब्ध है । इस आदेश की प्रतिलिपि उसी दिन जनसंघ कार्यालय में प्राप्त हो गई थी ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

यह तो लिखा ही है लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि जिसने इन आदेशों को प्राप्त किया क्या उनके दस्तखत हैं या नहीं ? या उनके बिहाफ पर किसी अन्य व्यक्ति के ह ?

श्री अध्यक्ष—

रसीद उनके पास....

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

श्रीमन्, यह तो मैं मानता हूं कि आशा राम यादवेश ने दरख्वास्त दी । मैं जानना चाहता हूं कि जिन शर्तों मे आज्ञा दी गयी थी क्या उसकी प्राप्ति की किसी ने रसीद दी थी या हस्ताक्षर किये थे ?

श्री अध्यक्ष--

रसीद उनके पास होगी, वह तो मैंने नही मंगाई है। रसीद तो मैंने मांगी नहीं। उन्होंने कन्डीशन बता दी।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

कन्डीशन का झगड़ा ही नहीं। बाद को लिख दिया होगा।

श्री अध्यक्ष--

इन्होंने लिख दिया। दस्तखत मेरे पास नहीं हैं।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

यही तो चार्ज है। डी0 एम0 ने झूठ लिखा है। अपने सेल्फ डिफेंस के लिये बाद को बढ़ा दिया कि इन शर्तों का उल्लंघन हुआ, इसलिये लाठी चार्ज हुआ।

श्री अध्यक्ष--

मंगा लूंगा।

उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम के वार्षिक प्रतिवेदन (1971-72) की आडिट रिपोर्ट†

सार्वजनिक निर्माण उप मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)--

मैं, आपकी आज्ञा से, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम के वार्षिक प्रतिवेदन (1971-72) की आडिट रिपोर्ट एवं लेखा विवरण सहित कम्पनीज ऐक्ट, 1956 की धारा 69-ए के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश अधिकतम सम्पत्ति सीमा (अन्तरण पर अस्थायी निर्बन्धन) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1973 में किये गये शाब्दिक संशोधन

सचिव, विधान सभा--

मैं, आपकी आज्ञा से, उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 160 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश अधिकतम सम्पत्ति सीमा (अन्तरण पर अस्थायी निर्बन्धन) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1973, में किये गये शाब्दिक संशोधन का विवरण सदन के पटल पर रखता हूं।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 425 पर)

उत्तर प्रदेश अधिकतम सम्पत्ति सीमा (अन्तरण पर अस्थायी निर्बन्धन) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1973

सचिव, विधान सभा--

मैं आपकी आज्ञा से घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेश अधिकतम सम्पत्ति सीमा (अन्तरण पर अस्थायी निबन्धन) (द्वितीय संशोधन) विधयक, 1973, पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा, न अपने दिनांक 26 अप्रल, 1973 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदश विधान

---

†छापी नहीं गयी।

परिषद ने अपनी दिनांक 27 अप्रैल, 1973, को बैठक में पारित किया था, राष्ट्रपति महोदय की अनुमति 29 अप्रैल, 1973, को प्राप्त हो गई है और वह सन् 1973 का उत्तर प्रदेश का 14 वां अधिनियम बन गया।

श्री सूबेदार सिंह द्वारा उठाये गये विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न से संबंधित उनके कथित त्याग-पत्र प्राप्ति के संबंध में सूचना

श्री अध्यक्ष—

श्री सूबेदार सिंह ने विशेषाधिकार के सिलसिले में बयान किया था। मैंने उसे विशेषाधिकार समिति को दे दिया है। उसके बाद मेरे पास जिस सख्श ने कोरे कागज मेरे दस्तखत करा लिये थे, मैं समझता हूं। उनका स्तीफा मेंम्बरी से मेरे पास डाक के जरिये किसी ने भेज दिया। मैंने दस्तखत मिलाने की कोशिश की। दस्तखत मिले नहीं। जिसने ऐड्रेस लिखा है, उसी ने सूबेदार सिंह नीचे लिख दिया है। सूबेदार सिंह के नाम के दस्तखत नहीं मिलते हैं....

श्री राम बिलास पांडेय (जिला आजमगढ़)—

वह दूसरा दस्तखत कर लिया होगा।

श्री अध्यक्ष—

मैंने उसे, इस्तीफा उनका है, यह स्वीकार नहीं किया है। इसको मैं नहीं मानता।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

वह तो ठीक है, लेकिन जिसने फोर्जरी किया उसके लिये क्या किया ?

श्री अध्यक्ष—

वह तो विशेषाधिकार समिति करेगी।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

वह तो काग्नीजेंस अफेंस है। गृह मंत्री को मुकदमा दायर करना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—

मुकदमे के लिये कह दूंगा।

विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना के बारे में जानकारी

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

एक विशेषाधिकार का मेरा रह गया। मैंने दिया था माननीय वित्त मंत्री जी के लिये 22–23 अप्रैल को। उसके अन्दर मैंने यह कहा था कि वेतन आयोग की रिपोर्ट प्रकाशित होने से पहले ही कुछ अखबारों के अन्दर उसके कुछ अंश उद्धृत कर दिये गये। आपने उसे वित्त मंत्री जी को भेज दिया था। कल वित्त मंत्री जी का उत्तर सचिव के माध्यम से आया। उसके अन्दर यह जस्टीफाई किया गया है कि जो वेतन आयोग की रिपोर्ट आई है, उसमें और इसमें काफी अंतर है। लेकिन मान्यवर, अगर देखे तो 2–3 वाइन्ट्स में अंतर दिखा है। अबरोध अखबार में वेतन आयोग की जो रिपोर्ट छपी है, उसमें 75 प्रतिशत वही ह और केवल 25 प्रतिशत का अन्तर है। उसमें यह कहा गया है कि पहले से लीकेज नहीं हुई। मैं कहना चाहता हूं कि लीकेज हुई है। फिर, आपने इनकी रिपोर्ट को वैसी की वैसी भेज दिया। आपने उसके अन्दर कोई टिप्पणी नहीं की कि उसको किस तरह से स्वीकार करते हैं।

श्री अध्यक्ष—

मैं स्वीकार कैसे करता....

श्री नित्यानन्द स्वामी—

आप निर्णय देने के पहले इस बात की जांच तो कर लें कि मैं ठीक कह रहा हूं, या वित्त मंत्री जी ठीक कह रहे हैं और वित्त मंत्री जी ने जो जवाब दिया है, वह कहां तक सही है।

श्री अध्यक्ष—

आज इसमें नहीं आ सकता, आप लिखकर भेज दें।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

मान्यवर, अब तो आप दो-तीन महीने बाद बैठेंगे।

श्री अध्यक्ष—

अध्यक्ष तो अध्यक्ष ही बना रहेगा। मैं दफ्तर में तो बैठूंगा ही।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

इसको आप एडमिट तो कर लें।

श्री अध्यक्ष—

इस तरह से सदन में नहीं हो सकता। मैंने कहा कि आप लिखकर भेज दें।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

मैं लिख कर भेज दूंगा।

विविध विषय

श्री चन्द्रभान शर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से यह कहना चाहता हूं कि आज सदन उठ जायेगा। दारुलशफा में लगभग 40 हरिजन धरना दिये हुये बैठे हैं। उनका कहना यह है कि जिलाधिकारी ने उनके साथ बड़ा अन्याय किया है। मैं सरकार से आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि उनके साथ बड़ा अन्याय हुआ है। मैं आपसे भी कहना चाहता हूं कि आप सरकार से कहिये कि उनके मामलात में दखल दे और जिलाधिकारी का तबादला कराये। वे लोग परसों से बैठ हुये ह। उन्होंने इस्तहार भी छपवाये हैं। उनकी बड़ी दुर्दशा हो रही है। भूख-प्यासे धूप में वह तप रहे हैं। इनके मामले को कोई सुनने वाला नहीं है। इसलिये आप सरकार से कहें कि वह उनके मामले में दखल दे।

श्री अध्यक्ष—

मुख्य मंत्री जी को आ जाने दीजिये।

श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

मान्यवर, मैंने कार्य-स्थगन प्रस्ताव दिया है कि मेडीकल प्रेक्टीशनर के सम्बन्ध में क्या निर्णय लिया सरकार ने यह अभी नहीं मालूम। ये लोग हड़ताल पर जाने की धमकी दे रहे हैं। इससे बड़ा अनिष्ट हो जायेगा। यह बहुत इम्पारटेंट प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष—

इसका मतलब यह है कि आज का सदन समाप्त कर दिया जाय। आज अन्न की समस्या पर चर्चा होगी इसके बाद दूध के अभाव के बारे में।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

आप आज वक्तव्य दिलवा दें। डाक्टर लोग हड़ताल पर चले गये तो परेशानी होगी।

श्री अध्यक्ष—

मैंने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कया है। क्या आप यह चाहते हैं कि आप जो कहें उसको पूरा कर दिया जाय और आप किसी और को न बोलने दें ?

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

मान्यवर, मैं तो आपकी आज्ञा मानने वाला हूं। लीजिये बैठा जाता हूं।

श्री हबीब अहमद (जिला इलाहाबाद)—

श्री सुरेन्द्र विक्रम जी ने कल सवाल को उठाया था उसके सम्बन्ध में यह निर्णय लिया गया था कि जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उन लोगों को छोड़ दिया जाना चाहिये। आपने अभी कहा कि मुख्य मंत्री जी आने वाले हैं। पता नहीं वो आयें या नहीं। इसलिये मंत्रिमंडल के किसी दूसरे सदस्य चूंकि उनकी ज्वाइन्ट रैस्पान्सिबिलिटी है, पता लगा लें कि क्या स्थिति है और कुछ आश्वासन दिलवा दीजिये।

श्री अध्यक्ष—

वित्त मंत्री यह संकेत से बतला रहे हैं कि उनको कुछ पता नहीं है।

श्री हबीब अहमद—

मान्यवर, मेरा निवेदन है कि आप मुख्य मंत्री जी को बुलवा दीजिये, अगर उनको जानकारी नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

आप किसी अन्य दूसरे को भी समय दें। इस तरह से सदन का समय बिला वजह जाता है।

श्री राम बिलास पांडेय (जिला आजमगढ़)—

मान्यवर, कल मैं जेल गया था श्री राज नारायण सिंह जी से मिलने के लिये तथा विश्वनाथ कपूर से मिलने के लिये।

†हस्त और शक्ति चालित करघा आयोग, उत्तर प्रदेश की रिपोर्ट

सार्वजनिक निर्माण उप मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से हस्त एवं शक्ति चालित करघा आयोग उत्तर प्रदेश की रिपोर्ट 31 अक्तूबर, 1972 को सदन के पटल पर रखता हुं।

श्री अध्यक्ष—

यह रिपोर्ट सदन में बंट जायगी।

कार्य–स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें

श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)—

जो कूलर लग रहे तो इसमें लाखों रुपये की लूट है।

---

†छापी नहीं गई।

श्री अध्यक्ष—

यह काम रोको प्रस्ताव का विषय नहीं है ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

हमारे सामने लूट हो रही है ।

श्री अध्यक्ष—

मैंने इसको कार्य स्थगन के लिए स्वीकार नहीं किया है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

(नेता विरोधी दल को पुकारने पर) क्या मैं यह समझूं कि आपका अपनी पार्टी पर कंट्रोल नहीं है ?

श्री जयराम वर्मा (जिला फैजाबाद)—

यह कहते हैं कि इसको सम्बन्धित मंत्री के पास कार्यवाही के लिए भेज दें ।

श्री अध्यक्ष—

मैं लिख कर भेज दूंगा । लेकिन काम रोको प्रस्ताव की तरह स्वीकार नहीं हो सकता ।

अब वन मंत्री वक्तव्य देंगे ।

तराई क्षेत्र (गुलिया पानी) के हरिजनों तथा भूतपूर्व सैनिकों को उनकी भूमि से बेदखल एवं गिरफ्तार किये जाने के संबंध में वक्तव्य

वन राज्य मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी)—

हल्द्वानी वन प्रभाग के शारदा रेंज के अन्तर्गत आरक्षित वन गुलियापानी कम्पार्टमेन्ट संख्या 4-बी में दिनांक 3–12–72 को प्रथम बार लगभग 100–200 व्यक्तियों द्वारा अतिक्रमण किया गया। ये लोग इस क्षेत्र में झाड़ी एवं पेड़ काटने तथा आग लगाकर अतिक्रमण करने का प्रयास करने लगे। दिनांक 4–12–72 को वन विभाग के कर्मचारियों ने घटनास्थल पर पहुंच कर उन लोगों को ऐसे अवैध कार्यवाही न करने के लिये भलीभांति समझाया पर ये लोग बिलकुल नहीं माने और कहने लगे कि जब तक उन्हें अन्यत्र भूमि नहीं दिलायी जायेगी वे इस क्षेत्र को कदापि नहीं छोड़ेंगे । दिनांक 10–12–72 को वन विभाग के कर्मचारी, थानाध्यक्ष टनकपुर एवं पुलिस को लेकर जब घटनास्थल पर अतिक्रमणकारियों को रोकने पहुंचे तो उन लोगों ने (जिनकी संख्या 250 तक थी और जिनके पास कुल्हाड़ी, दंराती, व लाठियां थीं) वन विभाग के कर्मचारियों का घेराव व उन पर हमला किया जिसके फलस्वरुप 8 वन विभाग के कर्मचारियों को गम्भीर रूप से चोटें आई । उपरोक्त घटना की सूचना टनकपुर थाने में दर्ज कराई गई । दिनांक 11–12–72 को परगनाधिकारी व उप पुलिस अध्यक्ष, वनाधिकारियों व पुलिस को लेकर घटनास्थल पर गये । परगनाधिकारी के समझाने बुझाने पर ये लोग वन भूमि को छोड़ने के लिए राजी हो गये और उसी दिन अपना समस्त सामान, बैल आदि लेकर अपने अपने ग्रामों को चले गये । अतिक्रमण को रोकने के लिये दिनांक 14–1–73 तक पी0 ए0 सी0 की एक टुकड़ी घटनास्थल क सपीम तैनात की गयी थी । दिनांक 15–1–73 को पी0ए0सी0 के अन्यत्र चले जाने पर ये लोग पुनः इस क्षेत्र में झाड़ी, पेड़ आदि काट कर व आग लगा कर अतिक्रमण करने की चेष्टा करने लगे । इन लोगों ने इस क्षेत्र में लगाये तारवाड़ को भी तोड़ दिया तथा वन विभाग के

कर्मचारियों को इस क्षेत्र में गश्त करने पर जानमाल की धमकी दी। दिनांक 21-4-73 को वन रक्षक द्वारा सूचना दिये जाने पर कि ये बड़ी संख्या में इस क्षेत्र में झाड़ी, पेड़ आदि काट रहे हैं तथा आग लगा रहे हैं एवं मना करने पर मारने पीटने को तत्पर हैं, दिनांक 22-4-74 को वन विभाग के कर्मचारी पुलिस व परगनाधिकारी, तराई को लेकर घटनास्थल पर गये तथा ऐसे अवैध रुप से झाड़ी, पेड़ आदि काटते एवं आग लगाते 67 पुरुषों तथा 10 स्त्रियों को मौके पर भारतीय वन अधिनियम की धारा 26 के अन्तर्गत पकड़ा। उनके पास से प्रयोग किये जा रहे कुल्हाड़ी (7), दरांती (11) एवं दियासलाई (3) भी पकड़ी गयीं। 67 अभियुक्तों को थानाध्यक्ष, टनकपुर के सुपुर्द कर दिया गया जिन्होंने उन्हें जेल भेज दिया। 10 स्त्रियों को घटनास्थल पर ही जमानत पर छोड़ दिया गया और उनके सम्बन्धियों के सुपुर्द कर दिया गया। उपर्युक्त कार्यवाही में किसी प्रकार का बल प्रयोग नहीं किया गया। यह असत्य है कि उनके महिलाओं की बेइज्जती की गयी तथा उनके कपड़े भी उतार लिये गये।

गुलियापानी कं0 4-बी का क्षेत्र सन् 1932 से आरक्षित वन है। इसमें किसी का कोई अधिकार होने का प्रश्न नहीं उठता है। अतिक्रमणकारी जो कि अपने को पिथौरागढ़ जिले के भूमिहीन हरिजन तथा भूतपूर्व सैनिक बताते हैं इस स्थान पर अवैधानिक रूप से कब्जा करने के लिए कुछ असामाजिक तत्वों के भड़काने पर बार-बार चेष्टा कर रहे है तथा वनों को भारी क्षति पहुंचा रहे हैं। ये लोग वन विभाग के कर्मचारियों का ध्यान हटाने व उनकी शक्ति ग्रहण करने के लिये अन्यत्र भी आग लगाने का प्रयास कर रहे हैं। उपर्युक्त मामलों में पकड़े गये 67 पुरुषों व 10 स्त्रियों के विरुद्ध आवश्यक कानूनी कार्यवाही के लिये वाद-पत्र न्यायालय भेज दिये गये हैं और उनका मामला न्यायालय के विचाराधीन है।

प्रदेश के वनों के हित को ध्यान में रखते हुए वन भूमि पर अवैध अधिकार की प्रवृत्ति को रोकना नितान्त आवश्यक है।

शासन को भी इस विषय पर शिकायतें मिली हैं और शासन ने आदेश दिये हैं कि आयुक्त, कुमाऊं मण्डल स्वयं जांच कर सही स्थिति पर अपनी रिपोर्ट शासन को भेजें।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि किस कारण से आयुक्त, कुमायूं मण्डल से जांच करवा रहे हैं। वन विभाग के लोगों ने 150 परिवारों को वहां से उजाड़ दिया, उन की झोपड़ियों में आग लगा दी, उनकी महिलाओं को घसीटा गया और उनके कपड़े उतारे गये। यह इतनी दर्दनाक घटना हुयी है। क्या यह माननीय मंत्री जी की व्यक्तिगत जानकारी में है?

श्री अध्यक्ष—

आप यह जानना चाहते हैं कि आयुक्त कुमायूं मण्डल को किस बेसिस पर जांच करने के लिए नियुक्त किया है? न्यायिक जांच तो हो रही है।

वन मंत्री (श्री अजीत प्रताप सिंह)—

शासन के पास शिकायत आयी थी। कानूनी कार्यवाही तो हो ही रही है। इसके साथ ही जांच भी करायी जा रही है जो आयुक्त, कुमायूं मण्डल के सुपुर्द कर दी गयी है।

श्री अध्यक्ष—

क्या इसमें शक है कि उनको कायदे के हिसाब से अधिकार दिया होगा?

श्री अजीत प्रताप सिंह—

शक नहीं, रिपोर्ट आयी है कि जबरदस्ती कब्जा कर रहे थे।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

मैं प्रश्न के द्वारा आश्वासन चाहता हूं। यह मामला फारेस्ट ऐक्ट के अन्तर्गत डिस्प्यूट में है। अगर उनका राइटफुल पजेशन था तब तो उनको रैसिस्ट करने का अधिकार था और उनको वहां से गलत उखाड़ा गया है। जब तक आयुक्त, कुमायूं मण्डल की रिपोर्ट न आ जाए तब तक मुकदमों को स्टे कर दें।

श्री अजीत प्रताप सिंह—

कार्यवाही रोकना तो ठीक न होगा। अगर आयुक्त की रिपोर्ट आने पर कोई चीज खड़ी होती है तो उसके अनुसार कार्यवाही कर दी जायेगी।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी गढ़वाल)—

शासन के ऊपर यह कलंक है। बेचारे हरिजनों ने अपनी सोसाइटी बनायी और सामूहिक तरीके से खेती बारी कर रहे थे। वन विभाग के लठैतों ने उनकी झोपड़ियों को और वर्कशाप को तोड़ दिया और उनकी औरतों की बेइज्जती की। दूसरी तरफ तराई में पंजाब के बड़े-बड़े लोगों ने सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखा है। इन हरिजनों के लिये तो आपके पास पुलिस भी है और फोरेस्ट डिपार्टमेंट भी है। क्या यह सही है कि तराई के अन्दर आज भी हजारों एकड़ जमीन के ऊपर बड़े-बड़े लोगों का कब्जा है? यदि हां, तो उनको निकालने के लिये क्या प्रयत्न किया है?

श्री अजीत प्रताप सिंह—

नाजायज कब्जे जहां भी है उनके खिलाफ कार्यवाही की जा रही है। जैसा कि माननीय सदस्य कहते हैं कि ये हरिजन वहां पर काश्त करते थे और उनकी झोपड़ियां बनी थीं, यह बिलकुल गलत है। न वे काश्त करते थे और न ही उनकी झोपड़ियां थीं। ये पिथौरागढ़ के रहने वाले हैं। वहां इन्होंने देखा कि जगह खाली पड़ी है। कुछ लोगों ने इन्हें भड़काया खेती करने लगे। वे आकर झाड़ियां और पेड़ काटने लगे। इसलिये उनको हटाया गया है।

श्री राम कुमार शास्त्री (जिला बस्ती)—

इस शिकायत में हरिजनों का भी उल्लेख है और भूतपूर्व सैनिकों का भी। मैं यह जानना चाहता हूं कि दोनों का क्या अनुपात है?

श्री अजीप प्रताप सिंह—

हमारे पास इसकी जानकारी नहीं है।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

इस प्रश्न को जरा हल्के ढंग से न लें। सारा इलाका इससे बड़ा उद्वेलित है। नेगी जी को भी मालूम है। राष्ट्रीय झंडे को उतरवाया गया और औरतों के कपड़े उतारे गये। मेरे पास लोग रोते-रोते आये थे। अगर जजमेन्ट हो गया तो उनको सजा हो सकती है। तब तो आयुक्त की जांच निष्प्रभावी हो जायेगी। कम से कम तब तक मुकदमों को स्टे कर दें।

श्री अजीत प्रताप सिंह—

जब तक आयुक्त की रिपोर्ट नहीं आयेगी तब तक कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी।

श्री अध्यक्ष—

उन्होंने एक रास्ता निकाल दिया है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

मैं समझता हूं अगर माननीय मंत्री जी या माननीय राज्य मंत्री जी वहां पर चले जायें और उनकी बात सुन सकें तो अच्छा नतीजा निकल सकता है। क्या वे मौके पर जाने के लिये तैयार हैं ?

श्री अजीत प्रताप सिंह—

हम दोनों ही चले जायंगे ।

श्री मही लाल (जिला मुरादाबाद)—

क्या माननीय मंत्री जी को यह ज्ञात है कि वन विभाग के कर्मचारी इन लोगों से कुछ भेंट पूजा लेना चाहते थे और वे बेचारे ऐसा करने में असमर्थ थे ? क्या यह सही है कि वन विभाग के बड़े-बड़े प्लाटों पर लोगों ने कब्जा कर रखा है ? उनके खिलाफ तो कोई कार्यवाही नहीं की गयी और केवल इन बेचारों के खिलाफ ही कार्यवाही की गयी है ?

श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी—

वन विभाग के कर्मचारियों के ऊपर जो आरोप लगाया गया है वह निराधार है ।

श्री मही लाल—

मेरे प्रश्न का दूसरा भाग यह था कि क्या वन विभाग के बड़े-बड़े प्लाटों पर बहुत से लोगों ने कब्जा कर रखा है और उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गयी है ?

श्री अजीत प्रताप सिंह—

मैंने यह कहा था कि जहां जहां नाजायज कब्जे हैं, वहां कार्यवाही की जा रही है ।

श्री जगदम्बा प्रसाद (जिला फैजाबाद)—

मंत्री जी ने महीलाल जी के उत्तर में कहा है कि जहां-जहां अतिक्रमण हुये हैं, हमने कार्यवाही के आदेश जारी कर दिये हैं, तो जिन क्षेत्रों से लोगों को हटाया गया है, वह कौन-कौन से हैं ?

श्री अजीत प्रताप सिंह—

श्रीमन्, यह कार्यवाही बिजनौर और पीलीभीत जिलों में की गई है और बहुत से स्थानों पर जहां नाजायज कब्जे हैं, वहां की गई है ।

श्री जगदम्बा प्रसाद—

यह उत्तर बेग है, परटिकुलर प्लेस बतलाना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष—

आप प्रश्न पूछ लीजिये कि कहा-कहा कार्यवाही की गई है तो जानकारी हासिल करके बतला देंगे ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

एक जगह हो बतला दें जहां यह कार्यवाही की गई हो ।

श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी—

टनकपुर और बिजनौर में की गई है ।

श्री राम विलास पांडेय (जिला आजमगढ़)—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । 16 मई तक के लिये लखनऊ विश्वविद्यालय की परीक्षायें बन्द कर दी गई है । आज यह सदन बंद हो रहा है....

श्री अध्यक्ष—

आज तो अन्न की समस्या पर चर्चा होनी है । अब नं0 9 को लिया जाय ।

देवरिया जनपद में चेचक के भयंकर प्रकोप के सम्बन्ध में वक्तव्य

स्वास्थ्य राज्य मंत्री (श्री प्रेम चन्द्र शर्मा)—

देवरिया जिले में प्राप्त सूचना के अनुसार जनवरी, 1973 में चेचक से 5 व्यक्ति रोगग्रस्त हुये और 1 मृत्यु को प्राप्त हुआ । फरवरी-मार्च, 1973 में जिले में किसी व्यक्ति के चेचक से ग्रसित होने या मरने की सूचना विभाग को प्राप्त नहीं हुई । अप्रैल में 10 व्यक्ति रोग ग्रस्त हुये और 4 व्यक्तियों की मृत्यु हुई । मई के पहले 6 दिनों में 52 व्यक्तियों के रोगग्रस्त होने और 13 की मृत्यु होने की सूचना मिली है । देवरिया नगरपालिका के अतिरिक्त 8 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों से सम्बन्धित 13 ग्राम इस समय रोग से प्रभावित हैं । इस प्रकार जनवरी, 1973 से 6 मई, 1973 तक 67 व्यक्ति रोग ग्रस्त हुये और 18 व्यक्तियों की मृत्यु हुई । रोग के प्रकोप में तीव्रता के मुख्य कारण यह भी है कि संक्रमण बंगाल और बिहार से आय व्यक्तियों के कारण हुआ ।

जिले में रोकथाम के लिये अधिकारी पूर्णतया प्रयत्नशील हैं । 87 वैक्सीनेटर व एक पैरा-मेडिकल असिस्टेन्ट कार्यरत हैं । रोग पर शीघ्र नियंत्रण पाने के लिये 4 सहायक संक्रामक रोग अधिकारी, एक नर्सिग असिस्टेन्ट एवं एक सचल दल जिसमें 5 वैक्सीनेटर हैं, जिले में लगाये जा चुके हैं । जिला मुख्यालय पर सूचना प्राप्त होते ही सचल दल रोगग्रस्त क्षेत्र में जाकर निरोधात्मक कार्यवाही आरम्भ कर देता है । इसके अतिरिक्त प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के चिकित्सा अधिकारी को आदेश दे दिये गये हैं कि वे अपने यहां के समस्त कर्मचारियों को चाहे, वे किसी भी कार्यक्रम से सम्बद्ध हों चेचक की बीमारी को ढूंढ निकालने में सहायता दें जिससे सभी रोगग्रस्त क्षेत्रों में नियंत्रण का कार्य जल्द से जल्द सम्पन्न किया जा सके ।

जनवरी से मार्च, 1973 तक 1,09,338 टीके लगाये गये जिसमें 37,945 प्राथमिक तथा 71,393 पुनभद टीके हैं । टीके लगाने का कार्य तजी से जारी है । उपरोक्त सभी प्रयासों से आशा है रोग पर शीघ्र नियंत्रण पा लिया जायगा ।

श्री हरिवंश सहाय (जिला देवरिया)—

जो रिपोर्ट पेश की गई है उसके अनुसार पूरे देवरिया जिले में अधिकारियों की लापरवाही से चेचक का प्रकोप बढ़ गया है और उसको अब तक रोकथाम नहीं कर सके हैं । कहा गया है कि बंगाल और बिहार से रोगग्रस्त व्यक्तियों के आन से रोग बढ़ गया है ।

मेरी निश्चित जानकारी है कि देवरिया जिले के अन्तर्गत सलेमपुर तहसील में ग्राम पैना में 6, महीन में 8, बरहज में 11, बनउर में 8 और बनकटा मिश्र में 15 आदमी मरे हैं । तो जिन अधिकारियों की लापरवाही में ये लोग मरे क्या इसकी जांच लखनऊ के किसी वरिष्ठ अधिकारी से करायेंगे ?

श्री प्रेमचन्द्र शर्मा—

वैसे वरिष्ठ अधिकारी तो जाते रहते हैं जहां कहीं चेचक वगैरह का प्रकोप होता है, लेकिन जो फीगर्स माननीय सदस्य ने दी है वह नहीं, हमारे पास प्रत्येक ब्लाक की फीगर्स मौजूद हैं । अगर आप कहें तो मैं पढ़ कर सुना दूं ।

श्री अध्यक्ष—

जो फीगर्स वह दे रहे हैं उसकी जांच आप करा लेंगे ?

श्री प्रेमचन्द्र शर्मा—

जांच करा कर ही तो यह फीगर्स आयी हैं ।

श्री अध्यक्ष—

आपने दूसरी फीगर्स दी हैं और उन्होंने दूसरी दी हैं ।

श्री प्रेम चन्द्र शर्मा—

फिर दिखवा लूंगा आपकी आज्ञा से ।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

मंत्री जी ने उत्तर दिया कि यह जो प्रकोप हुआ है . . . (व्यवधान) यह बिहार और बंगाल के लोंगो के आने की वजह से हुआ है तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देहरादून और आस पास के सभी जिलों में इसका प्रकोप है, यह मेरी सूचना है इसलिये बंगाल और बिहार के लोगों के आने की वजह से यह हो गया, यह कारण शायद न हो, तो क्या इसकी रोकथाम के लिये आप कोई विशेष कायक्रम ले रेहे हैं ?

श्री प्रेम चन्द्र शर्मा—

माननीय सदस्य का कथन सही है । उत्तरी भारत के लगभग सभी प्रदेशों में चेचक का प्रकोप है और होता यही है कि दूसरे प्रदेशों से लोग आ जाते हैं और यह छूत की बीमारी है और खासकर देवरिया में तो कहां कहां से लोग आये यह भी हमने मालूम कर लिया है जहां से इन्फेक्शन हुआ है ।

श्री दीपनारायण मणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)—

माननीय मंत्री जी ने उत्तर में कहा कि कहां-कहां से लोग आये देवरिया में । लेकिन जो सैकड़ों वर्षो से लोग बसे हुये हैं देवरिया में उनमें बीसों मौतें शहर के अन्दर हो गयीं और इर्द गिर्द के गांवों में पचासों आदमी मर गये, चेचक का टीका नहीं लगा है । तो क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर के जांच करायेंगे कि यह मौतें बाहर वालों की हुई या वहीं के रहने वाले लोंगो की हुई हैं और चचक का टीका लगवाने का प्रबन्ध करेंग ?

श्री प्रेम चन्द्र शर्मा—

यह तो मैं कह रहा था कि जैसे उत्तर भारत में फैला हुआ है इसी तरह से बंगाल और बंगलादेश में भी फैला हुआ है और देवरिया में बंगाल, बिहार से लोग आये । वह अपने साथ चेचकलाये मरे तो यहां के आदमी । वहां के भी शायद मरे हों लेकिन उनकी वजह से बीमारी फैलीयह मैन अर्ज किया था ।

कुंवर चन्द्र प्रताप नारायण सिंह (जिला देवरिया)—

मंत्री जी ने कहा कि एक लाख टीके जनवरी से मार्च तक लग चुके हैं लेकिन देवरिया की आबादी को देखते हुये कि वहां बहुत ही ज्यादा लोग रहत हैं एक लाख तो . 01 परसेंट भी नहीं है इसलिय टीका लगाने की व्यवस्था हर छोट-मोट अस्पताल में भी करेंग ?

श्री प्रेम चन्द्र शर्मा—

ऐसी व्यवस्था कर दी है । एक लाख तो मैंने जनवरी से मार्च तक की ही फीगर्स बतायी है । इसके अलावा 87 वैक्सीनेटर्स और एक पैरा मेडिकल असिस्टेन्ट कार्यरत हैं और वह बराबर चचक के टीके लगा रहे हैं ।

श्री राम धारी शास्त्री (जिला देवरिया)—

जो 18 आदमी मरे हैं यह किस-किस गांव के लोग हैं ?

श्री प्रेम चन्द्र शर्मा—

ग्रसित गांवों के नाम हैं-बढ़हरा, बादरवार, पकहा, परसिया मल्ल, पोखर भिन्गी, भगोतीपुर, परसिया भंडारी, म्युनिसिपैलिटी देवरिया, मनिका, परिसया भीखम, लक्ष्मीपुर, भटवलिया, केवटलिया, निबही, तथा शिवधरा । इन सब ग्रामों में बीमारों की कुल संख्या 67 है और मरने वालों की संख्या 18 है ।

श्री मोहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)--

क्या बहुत सी मौतें इस कारण से भी हुई हैं कि चेचक का टीका 31 मार्च, के बाद लगवाया गया है ? क्योंकि डाक्टरों का कहना यह है कि 31 मार्च, के बाद चेचक का टीका नहीं लगवाना चाहिये ?

श्री प्रेम चन्द्र शर्मा--

टीका तो लगता रहता है, उससे मृत्यु नहीं होती, बच ही जाते हैं ।

श्री राम बिलास पांडेय (जिला आजमगढ़)--

मंत्री जी ने बताया कि बंगाल और बिहार से आये हुये लोगों के कारण देवरिया में चेचक की बीमारी फैली, तो क्या वे देवरिया के लोगों को इधर उधर मूव करने से रोकेंगे और देवरिया के लोगों के शीघ्र टीका लगवायेंगे क्योंकि उससे हम लोगों को डर है कि उनसे यह बीमारी कहीं हम लोगों को न हो जाय ? (हंसी)

श्री प्रेम चन्द्र शर्मा--

विधायकों में जो लोग लगवाना चाहेंगे जरूर लगवा देंगे ।

विविध विषय [क्रमागत]

श्री अध्यक्ष--

अब चर्चा आरम्भ होगी ।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)--

इस पर आप समय निर्धारित कर दें ।

श्री अध्यक्ष--

माननीय नेता विरोधी दल को आधा घंटा, अन्य माननीय नेताओं को 15 मिनट तथा माननीय सदस्यों को 10-10 मिनट ।

श्री मोहन लाल कपूर (जिला मेरठ)--

जो वक्तव्य सरकार की ओर से हम लोगों को मिला है उसमें सिर्फ गेहूं के बारे में है, जब कि हमने डालडा, मिट्टी का तेल, डीजल, आदि के बारे में भी प्रश्न उठाया था ....

श्री अध्यक्ष--

इसमें अन्य जीवनोपयोगी वस्तुओं पर भी चर्चा है । आप कह सकते हैं । मंत्री जी उसका जवाब देंगे ।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)--

कांग्रेस दल के लोगों को भी समय दिया जायेगा ?

श्री अध्यक्ष---

उनको 10-10 मिनट ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)--

ये लोग तो वही कहेंगे जो इनके मंत्री जी कहेंगे, इनको अवसर देने से कोई लाभ थोड़े होगा ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

कभी ऐसा नहीं होता है कि नेता विरोधी दल बोलने के लिये खड़ा हो जाये, और कुछ लोग इस तरह से खड़े होकर अव्यवस्था पैदा करें और उनको बोलने न दें । मेरी बिना इजाजत के आप लोग इस तरह से बोलते रहें, यह बात देखिये ठीक नहीं है । यह चीज यहां की व्यवस्था के खिलाफ है यह यहां की प्रथा नहीं है ।

श्री राम बिलास पांडेय--

सदन केवल आज तक ही चलने वाला है । इसलिये आज खाद्य की चर्चा होने के पहले मेरी आप एक आवश्यक बात सुन लीजिये । मैं कल जेल गया था- श्री राजनारायण जी, विश्वनाथ कपूर जी आदि को देखने, तो हम वहां पर तमाम विश्वविद्यालय के लड़के मिल गये। उन्होंने कहा कि जब पी0 ए0 सी0 और पुलिस नहीं थी तो 6 रोज हमारी परीक्षायें शान्तिपूर्ण ढंग से चलीं, लेकिन जब पी0 ए0 सी0 और पुलिस पंहुच गई तो हमारी कापियां को फाड़ दिया गया और हम लोगों को जेल भेज दिया गया, तथा परीक्षायें बहरहाल 16 मई, तक के लिये स्थगित कर दी गईं । इसलिये मैं चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में मुख्य मंत्री जी घोषणा कर दें कि वे लड़के जेल से छोड़ दिये जायेंगे, जिससे कि वे परीक्षा में सम्मि- लित हो सकें और शन्तिपूर्ण ढंग से परीक्षायें हो सकें।

श्री अध्यक्ष---

यह बाद में होगा, जब वह आजायेंगे तब होगा ।

श्री मोहनलाल कपूर

इसमें मेरा भी नियम 56 में है, उसपर आपने क्या किया ।

श्री बनारसी राम (जिला आजमगढ़)---

आज इस सरकार की पुलिस के जुल्मों के कारण एक यादव आदमी की जान खतरे में पड़ गई है...

श्री अध्यक्ष--

यह आपकी बहुत ज्यादती है । आपके नेता खड़े हैं और आप उन्हें बोलने नहीं देते हैं ।

श्री बनारसी राम--

आजमगढ़ की फूलपुर पुलिस चौकी के एक पुलिस कर्मचारी राय साहब एक यादव पर बहुत अत्याचार कर रहे हैं' उसे झूठ ही मुकदमे में फंसा दिया है । मेरे पास तार आया है, मैंने लिखा है, लेकिन सरकार ने कुछ नहीं किया है । यह सरकार इतनी बहरी, इतनी पाजी और इतनी भ्रष्ट है कि उसके रहते एक यादव की जान खतरे में है ।

सरकारी राशन की दूकानों में गेहूं का अभाव, गेहूं के राष्ट्रीय करण से खुले बाजार में गेहूं न आने से उत्पन्न परिस्थिति, खाद्यान्न तथा अन्य जीवनोपयोगी वस्तुओं की कमी तथा उनके मूल्य में अत्यधिक वृद्धि के सम्बन्ध में चर्चा

श्री जयराम वर्मा (जिला फैजाबाद)--

मान्यवर, आज खाद्यान्न और अन्य जीवनोपयोगी वस्तुओं के घोर अभाव से इस प्रदेश का सारा जन-जीवन बड़ी कठिनाई में पड़ गया है।

("बहुत ठीक" "बहुत ठीक" की आवाजे ।)

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)--

श्रीमन् जी, इतने गम्भीर विषय पर हमारे नेता विरोधी दल बोलने जा रहे हैं, लेकिन सरकार के लोग उस पर हंसी कर रहे हैं । मेरा निवेदन है कि ये लोग जरा गम्भीर मुद्रा में हों तो बड़ी अच्छी बात है ।

श्री राम बिलास पांडेय (जिला आजमगढ़)--

ये सुनते नहीं हैं, मजाक कर रहे हैं ।

श्री जयराम वर्मा--

अब आप कृपा करके सुन लीजिये । मौका तो बोलने का दोनों तरफ के लोगों को मिलेगा । यदि मेरी बात आप नहीं सुनेंगे तो उसका जवाब नहीं दे सकेंगे । मैं खाद्य मंत्री जी से इस बात के लिये क्षमा अवश्य मागूंगा कि उन्होंने यहां पर जो वक्तव्य हम लोगो को देखने के लिये प्रसारित किया है, मैं उसको देख नही सका, क्योंकि उसकी एक प्रति यहां पर रखी हुयी थी । उसे तो मेरे पास पहले से भेज देना चाहिये था । उसमें क्या लिखा है, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकूंगा । केवल जानकारी के आधार पर जो मेरे पास है उसके आधार पर ही मैं निवेदन करुंगा।

तो मैं कह रहा था खाद्यान्य और दूसरी जीवन की जरूरी चीजों का घोर अभाव हो गया है । श्रीमान जी, यह अभाव कई महीने पहले हो गया था । चीजों की कीमत बढ़ती जा रही हैं । इसके पीछे जिम्मेदारी इस सरकार की है । सरकार ने यह बहुत खुले शब्दों में घोषणा कर रखी थी कि उनके पास गेहूं और दूसरे सामान इतनी बड़ी मात्रा में मौजूद हैं कि किसी तरह से भी राशन की दूकानों पर गल्ले की कमी नहीं हो पायेगी । अपनी इस शान में उन्होंने इस प्रदेश का बड़ा नुकसान किया है । यह तो उनकी ऐड़ थी कि हमारे पास सामान बहुत है लेकिन धीरे-धीरे दूकानों पर प्रति यूनिट कोटा घटता गया । अब इतना घट गया है कि किसी तरह से भी उनके जीवन निर्वाह के लिये प्रर्याप्त नहीं रह गया ।

यह बात तो थी ही । लेकिन इस बीच में सरकार ने बगैर बिचारे, वगैरह अच्छी तरह से सोचे हुये, वगैर यह देखे हुये कि उनकी किसी कार्यवाही का क्या प्रभाव पड़ने वाला है उन्होंने यह फैसला कर लिया कि वह खाद्यान्य को अपने हाथ में लेना चाहते हैं लेकिन फिलहाल गेहूं को पूरी तरह से हाथ में लेंगे । बाजार में सिवा सरकार के और कोई दूसरा खरीददार नहीं होगा । केवल रिटेलर्स को एक निश्चित मात्रा में खरीदने का अधिकार होगा । और निश्चित दामों पर बेचना होगा । इस तरह का उन्होंने फैसला कर लिया । यह उनका फैसला बिलकुल बिना सोचे समझे किया गया । उसके परिणाम को कभी सोचा नहीं गया । यह फैसला करने के बाद जब इसको लागू किया तो उसके बाद जो उन्होंने आदेश जारी किये उसके बहुत बुरे परिणाम निकले । जब यह आदेश जारी हुये, जब गेहूं बाजारों से गायब हो गया और गेहूं की उपलब्धि बिलकुल नहीं रह गई तो उन्होंने कहा कि रिटेलर्स किसी भी दाम पर खरीद सकते हैं, किसी दाम पर

बेच सकते हैं इसमें उनको कोई रुकावट नहीं होगी जिससे बाजारों में, शहरों में सामान उपलब्ध रहे और किसी तरह से कठिनाई लोगों के सामने न आवे ।

सरकार के इस आदेश के तहत में रिटेलर्स ने ऊंचे दामों पर गेहूं खरीदना शुरू किया और बेचना भी शुरू किया जिसकी वजह से कुछ सामान थोड़ा बहुत शहरों में मिलता रहा । अब जब फिर उन्होंने बिना अच्छी तरह से बिचारे हुये यह आदेश दे दिया कि रिटेलर्स ने चाहे जिस दाम पर खरीदा हो उनको 86,88,90 पैसे प्रति किलो ही बेचना पड़ेगा । इससे अब यह उम्मीद की जा सकती थी कि सरकार के आदेश के अनुसार ही जिन रिटेलर्स ने ज्यादा दामों पर गेहूं खरीदा है कैसे वे कम दामों पर बेचने के लिये तैयार हो जायेंगे । सरकार के इस आदेश का परिणाम निकला कि कल से गल्ला, कम से कम गेहूं बिल्कुल गायब हो गया है बिल्कुल उपलब्ध नही है

मंत्री जी ने अपने बयान में कुछ आंकड़े दिये हैं कि अप्रैल, मई में कितना-कितना सामान किस जिले में उपलब्ध कराया है । उनके अपने आंकड़ें से साबित होता है कि उनके द्वारा जो निश्चित मात्रा में हर जिले को जितना गेंहूं मिलना चाहिये उतना गेंहूं उन्होंने नहीं दिया है । यह बात उनके अपने आंकड़ें साबित करते हैं । फिर दुकानों पर उचित मात्रा में गेहूं या दूसरे सामान उपलब्ध नहीं होंगे । गेहूं की खरीद को हाथ में लेने के समय जो आदेश जारी किये उसमें कुछ उद्देश्य थे । पहला उद्देश्य यह था कि किसान को अपनी उपज के उचित दाम मिल सकें । इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये सरकार ने क्या किया ? यह किया कि आम तौर से गेहूं के दाम 76 रु0 क्विंटल मुकर्रर किये और गेहूं की जो स्पेशल वेराइटीज हैं उनके लिये 82 रु0 मुकर्रर किये । यही दाम पार साल तथा त्योरिस साल भी थे और इन दामों को मुकर्रर करते समय उसने यह नहीं सोचा कि इधर खेती के जो सामान हैं उनकी कीमतें किस परसेंटेज में बढ़ी है । उसका ध्यान उनको रखना चाहिये था अगर उसे ध्यान में रख कर तब गेहूं के दाम मुकर्रर करने चाहिये थे लेकिन इसका ख्याल बिलकुल नहीं किया गया और आबिट्रेरिली 76 रुपये क्विंटल उन्होंने गेहूं के दाम मुकर्रर कर दिये । इससे किसानों के दिल में यह आशंका पैदा हो गयी कि जब सरकार ही केवल बाजार में रह जायगी तो आगे दाम गेहूं के और घट सकते हैं और घट कर कहां जायेंगे इसके लिये कोई सीमा निर्धारित नहीं है ।

इस प्रकार सरकार किसी चीज केऔचित्य को देखने कोतैयार नहींहै औरइस प्रकारकिसानों के साथ वह जुल्म तथा अन्याय करेगी । इस तरह से सरकार किसानों को दबा कर कम दामों पर उनस गेहूं लेना चाहती ह । एक तरफ तो जब अन्य चीजों की कीमतें ड्योढ़ी तथा दूनी बढ़ गयी हैं तो सरकार दूसरी तरफ खाद्यान्नों की कीमत कम करने की कोशिश में है । इस तरह से सरकार किसान के साथ जिसकी हालत प्रदेश में अन्य पेशे वालों से कहीं अधिक खराब है अन्याय करना चाहती है तो ऐसी सरकार से किसान को क्या आशा हो सकती है ? किसान ने यह भी महसूस किया कि जहां गेहूं का दाम सरकार द्वारा 76 रु0 क्विंटल मुकर्रर है वहां मटर 100 रु0 क्विंटल तथा चनाव व जौ और अधिक दामों पर बाजार में बिक रहे हैं जो अन्न सबसे अच्छा है यानी गेहूं उसके दाम कम कर दिये गये और जो मोटा अनाज है उसके दाम अधिक इस प्रकार किसान के दिल में आशंका उत्पन्न हो गयी कि पता नहीं यह सरकार क्या करना चाहती है ?

लोग समझते थे कि मुमकिन है यह किस्सा और कहानी हो लेकिन वह कहानी आज चरितार्थ हो गयी अन्धेर नगरी धमधूसर राजा" टके सेर भाजी टके सेर खाजा ।" आज यह सरकार जो दावा करती है कि वह समाजवाद लाना चाहती है, सबमें बराबरी लाना चाहती है और कल वित्त मंत्री ने बड़े जोरदार शब्दों में तथा बड़ी प्रसन्नता के साथ यह ऐलान किया था कि

[श्री जयराम वर्मा]

उनका समाजवाद बड़े जोरों से तथा तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है और वह तेजी यह है कि जीवन की जितनी जरूरी चीजें हैं वे सब गायब होती जा रही हैं । तो क्या समाजवाद का यही नक्शा होगा कि समाजवाद में कोई चीज न मिल सके और जो समानता लाने की वह बात करते हैं वह समानता यह होगी कि आज जो 50 फीसदी लोगों को दो वक्त खाना नहीं मिल रहा है तो 100 फीसदी लोगों को दोनों वक्त खाना न मिल सके ।

दूसरा उद्देश्य उनका यह था कि जो व्यापारी है वह ज्यादा खर्चा करता है और जब सरकार इस व्यापार को अपने हाथ में ले लेगी तो खर्चा कम हो जायेगा । सरकार इस बात को तस्लीम करती है कि फी क्विंटल उसका खर्चा 26 रुपये है और 76 रुपये खरीद है । लेकिन क्या खाद्यमंत्री इस बात को स्वीकार करेंगे कि कभी भी व्यापारी का इतना खर्चा नहीं हो सकता है । इस व्यापार के सरकार के हाथ में आ जाने से जो उसके ऊपर खर्चा होता वह कम हो जायेगा और लोगों को सस्ते दाम पर गल्ला मिल जायेगा, इस उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो सकी । इसके बजाय वह उल्टा हो रहा है, खर्चा बढ़ता चला जा रहा है और लोगों के दिलों में यह आशंका बन रही है कि किस दाम पर उन्हें गेहूं मिलेगा ।

तीसरा उद्देश्य इस व्यापार को अपने हाथ में लेने का यह था कि जिससे बाजार में गेहूं की उपलब्धता बनी रहे । यह आपने देख ही लिया कि जब से सरकार ने इसे अपने हाथ में लिया, सारा सामान बाजार से गायब होता जा रहा है । आप देख रहे होंगे कि डालडा नहीं मिल रहा है, शक्कर नहीं मिल रही है, बिजली का तो कोई ठिकाना नहीं है, कसे किसान अपने खेतों की सिचाई कर सकेगा । गेहूं और जौ सभी सामान बाजार से गायब होते चले जा रहे हैं तो जो यह तीसरा उद्देश्य सरकार का था कि सामान की उपलब्धता बनी रहेगी, उस उद्देश्य की पूर्ति भी नहीं हो सकी बल्कि इसका प्रभाव उल्टा ही पड़ रहा है । मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार इस झूठी प्रतिष्ठा में क्यों पड़ी हुई है । ऐसा करने से आपने सारे प्रदेश को तकलीफ में डाल दिया है । इससे उनको भी आभास हो गया होगा कि यह काम बगैर सोचे विचारे केवल अन्दाज लगाकर किया गया है ।

मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे अपने इस आदेश को वापस लें जिससे प्रदेश की जनता की दिनचर्या चल सके । कहा जाता है कि लोगों को ज्यादा गल्ला दिया जायेगा । मेरे पास कई जगहों से खबरें आई हैं । फतेहपुर से एक तार आया है जिसमें यह लिखा गया है कि तहसीलदार एस0डी0एम0 पुलिस की मदद से किसानों को डरा-धमका कर मजबूर कर रहे हैं कि उन्हें सरकार को अपना गेहूं देना ही पड़ेगा । मेरे पास गोंडा से भी इस विषय से संबंधित पत्र आये हैं और कहा गया है उनके साथ ज्यादती हो रही है । एक तरफ से यह कहा जाता है कि उनको सस्ते मूल्य पर खाद्यान्न दिये जायेंगे और दूसरी तरफ सारा गल्ला बाजार से गायब हो गया है । सारी मशीनरी गेहूं की वसूली में लगा दी गई कि किसी न किसी तरह से किसान से गेहूं ले लिया जाय । तो जो योजना यह सरकार ने बनाई है वह जिन तथ्यों पर आधारित है जब कि किसी भी उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो पा रही है । इनका मुख्य आधार है मार्केट सरप्लस किसान अपनी मर्जी से जो गल्ला बाजार में लाता है उसे सरकार अपने हाथ में लेगी । इस योजना से तब लाभ हो सकता था जब कि वास्तव में सरप्लस गेहूं मार्केट मे हो और जरूरत से ज्यादा पैदावार हो ।

लेकिन जब सरप्लस पैदावार न हो तो इस तरह की योजना नहीं चल सकती है । खाद्य मंत्री जी ने पैदावार के जो आंकड़े दिये हैं वे बिलकुल गलत और निराधार है, इस तरह से पदावार हरगिज नहीं होने वाली है । वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में कहा था कि इस साल 182–192 लाख टन पैदावार होने वाली है और कृषि मंत्री जी से यह घोषणा करा दी कि इस साल इस सूबे में 197 लाख टन पैदावार होने वाली है । जो बिलकुल गलत है । मैं कहता हूं कि जब सही आंकड़े आ जायेंगे तो आप देखेंगे कि 160 लाख टन से ज्यादा

पैदावार किसी भी हालत में नहीं हुई है । गलत आंकड़े के आधार पर और गलत समय पर एक गलत स्कीम बनायी गयी है जो चलने वाली नहीं है । क्योंकि जब सरप्लस पैदावार है ही नहीं तो फिर बाजार में सामान कहां से आवेगा ? और जब आपने यह कर रखा है कि हम किसान को ठीक दाम भी नहीं देंगे कम के दाम देंगे, जिससे उसका खर्च भी न निकले और उसका नुकसान हो तो नुकसान उठा कर किसान अपने आप बाजार में गल्ला कैसे बेंचने के लिये ले आयेगा।

आपने जो स्कीम बनायी है वह गलत आधार पर बनायी है । यह जो सारी योजना का आधार है वह बिलकुल गलत है और उसके अनुसार कभी भी काम नहीं चल सकता है। जब पैदावार सरप्लस न हो, और पैदावार मालूम से कम हो जाय और उससे नीचे गिर जाय तो इस तरह की योजना कभी भी नहीं चल सकती । उसके लिये दूसरी योजना बनाना पड़ेगा मारकेटेबिल सरप्लस के आधार पर जब किसान के पास इसका अन्दाजा लग जाय कि उसके पास अपनी जरूरत से यादा सामान है और उसके आधार पर स्कीम बनायी जाय तब उसमें कुछ सफलता मिल सकती है और उसी के आधार पर आंका जाय कि इतना पर्टिक्युलर किसान के पास गेहूं या सामान उसकी जरूरत से ज्यादा है तो उसकी जरूरत के लायक तो सरकार उसके पास छोड़ दिया जाय और सरप्लस गल्ले के कुछ भाग को उससे लेने की उचित मूल्य पर कोशिश की जाय सही तो पैदावार कम होगी और इस तरह की कोई योजना चलेगी नहीं । वह योजना भी तभी चलेगी जब किसानों को उसकी उपज का ठीक दाम मिलेगा। अगर उसकी उपज का दाम ठीक नहीं मिलेगा तो फिर वह योजना चलने वाली नहीं है।

यह बात दूसरी है कि आप अपने अख्तियारात का बेजा इस्तेमाल करें और किसान पर जबरदस्ती करें या जोर दबाव डाल कर मजबूर करें कि वह गल्ला आपको दे दें । यह हो सकता है कि इस साल मजबूरी की हालत में किसान से आपको गेहूं मिल जाय लेकिन जब किसान यह देख लेगा कि उसके साथ इस तरह की ज्यादती की जा रही है और उसकी पैदावार करने में जो खर्च है वह भी सरकार किसी तरह से देने को तैयार नहीं है, जब कि दूसरी चीजों की कीमत इस आधार पर निर्धारित की जाती है कि इस पैदावार में कितना खर्च लगा है और पैदावार करने वाले को कितना मुनाफा मिलना चाहिये । लेकिन इस सिद्धांत को आप किसानों के लिये मानने को तैयार नहीं हैं अगर किसान ने यह देख लिया कि आप उसके साथ अन्याय करना चाहते हैं तो अगले साल वह तय कर लेगा कि अपनी जरूरत से ज्यादा गेहूं नहीं पैदा करना है और फिर पैदावार कम होगी और नतीजा यह होगा कि जिस उम्मीद से आपने इस स्कीम को चलाया है और इस तरह स गेहूं के सारे व्यापार को अपन हाथ में लना चाहते है, वह पैदावार अपने आप गिर जायेगी ।

आपकी गलत स्कीम जो गलत आंकड़ों के आधार पर बनी है वह आपकी नासमझी से अपने आप फेल हो जायेगी और यह बिलकुल चौपट हो जायेगी । अगर आप इसका आधार दूसरा बनाना चाहते हैं और यहीं तक अपने को सीमित न रखत हुए कुछ आग की बात सोचना चाहते हैं तो मुझे खतरा लगता है कि आप कम्युनिज्म की तरफ जाना चाहते हैं रूस के रास्ते पर जाना चाहते हैं । अगर यह बात अपनी जगह पर हैं तब तो दूसरी बात हो सकती है । इसको आधार बना कर कि किसान हमारे देश और प्रदेश को खान भर को गल्ला नहीं दे सकता है इसको बहाना बना कर सरकार किसानों की जमीन को अपन हाथ में लना चाहती है तो यह बिलकुल गलत और नासमझी का काम होगा और इससे हालत और भी बिगड़ जायगी । अगर सरकार ने जमीन को अपने हाथ में ले लिया तो वह इस मामले को और चौपट कर देगी।

[श्री जयराम वर्मा]

इस काम को खत्म कर देंगे । रूस की मिसाल हमारे सामने मौजूद है । रूस ज्यादा मुस्तैदी से काम करना चाहता है और उसकी तस्वीर हमारे सामने है । उसकी पैदावार, इंगलैन्ड के मुकाबले में, जर्मनी के मुकाबले में कहीं कम है और आज रूस को अमरीका के साथ समझौता करना पड़ा है तीन साल तक गल्ला लेने के लिये । अगर यही आप चाहते है तो बात दूसरी है । लेकिन आप इससे न अपना कल्याण करेंगे और न प्रदेश का ही करेंगे बल्कि इस प्रदेश को चौपट कर देंगे । इसलिये इस गल्ले के काम को न करें । अगर आप ऐसा करेंगे तो प्रदेश का कभी कल्याण होने वाला नहीं है ।

मैं कहना चाहता हूं कि इस तरह की बात आप सोचते हैं और कभी कभी सोचते है कि अगर प्रदेश और देश के किसान गल्ला नहीं देंगे तो आप अमरीका से गल्ला मंगा कर देश और प्रदेश के लोगों को लिखायेंगे । आप सोच सकते हैं कि अमरीका कितना गल्ला दे सकता है । अमरीका की आबादी 20 करोड़ है और आपके सूबे की आबादी 9 करोड़ है और आपके देश की आबादी 56 करोड़ है तो अमेरिका आपको इतना गल्ला नहीं दे सकता है आपको अपने देश और प्रदेश के लोगों को खिलाने के लिये अपने किसानों पर ही निर्भर करना पड़ेगा । आपको अपना पेट भरने के लिये अपनी आजादी बेंचनी नहीं चाहिये । क्या दूसरों पर निर्भर करना चाहेंगे ? अगर आप ऐसा करेंग तो बुरा करेंगे और इससे हमारी आजादी खतरे में पड़ने वाली है । अगर आप अमेरिका से गल्ला मंगायेंगे तो किस दाम पर वह पड़ेगा । 100 रुपय क्विंटल से कम पर पड़ने वाला नहीं है । फिर क्या जिद है । अमरीका को तो आप रुपया दे सकते हैं लेकिन अपने देश के किसानों को जिनकी तरक्की पर ही देश की तरक्की हो सकती है, जो किसान देश और प्रदेश की तरक्की का आधारशिला है, उसको क्यों मारना चाहते हैं । प्रदेश के किसान को आप देना नहीं चाहते हैं ।

मैं कहता हूं कि अगर आप चाहते हैं कि खाद्यान्न में अपने पैरों पर खड़े हों, हमें किसी के सामने हाथ न फैलाने पड़ें तो हमें किसानों में जोश लाना पड़ेगा और उनके दिल में विश्वास पैदा करना होगा कि हम उनके साथ न्याय करेंगे, अन्याय नहीं करेंगे । आप 100 रुपय क्विंटल अमरीका से लेकर उपभोक्ता को 86 पर देंगे तो फिर अपने यहां के किसानों से उसी मूल्य पर लेकर क्यों न इसी दाम पर उपभोक्ताओं को दें । किसानों के साथ आप न्याय कीजिय और उनको मुनासिब दाम दीजिये । जिससे देश और प्रदेश की पैदावार अच्छी हो । हम पहले खाद्यान्न पर निर्भर हो गये थे लेकिन उससे खिसकते चले जा रहे हैं, यह नहीं होना चाहिये बल्कि यह होना चाहिये कि हम अपने देश को खिलायें ही नहीं बल्कि इतना अपने देश में खाद्यान्न पदा होने लगे कि जहां गल्ला कम होता है वहां के लोगों का गल्ला दे सकें । ऐसी स्थिति हमें पैदा करनी चाहिये । ऐसा नहीं होना चाहिये कि हम अपनी मजबूरी बता कर दूसरों के हाथ में खलने लगें।

मैं कहना चाहता हूं कि यह बात किसी तरह से भी मुनासिब नहीं है इस को सोचिये और एक मुनासिब निणय लीजिय । यह जो आपने गलत आंकड़ों के आधार पर गल्ला स्कीम शुरू की है उसको वापस लेना चाहिये । बिड़ला और टाटा जैस पूंजीपतियों को खिलान का आप जिम्मा क्यों लेते हैं । क्यों नहीं जो गरीब है , छोटी हैसियत के यानी 300।500 रुपये मासिक आय के लोग हैं उनको ही खिलाइये । जो खर्चा हो उसका 1/4 सरकार बरदाश्त करे और कंज्यूमर्स को कम दाम पर गल्ला दिया जाय जिससे गरीब लोग आराम से जिन्दगी व्यतीत कर सकें और जो दूसरे बड़े लोग हैं उनकी जिम्मेदारी न लें । और जो व्यापारी के पास काम था उसको हम छोड़ दें और और वह काम उनके हाथों में रहन दें । सरकार भी खरीद करती रहे और व्यापारी भी करत रहें । सरकार के पास जिम्मेदारी हो छोटी हैसियत के लोगों को खिलाने के लिये और बड़ी हैसियत के लोग व्यापारियों से खरीद कर खाते रहेंगे । उनकी जिम्मेदारी आप अपन ऊपर क्यों लना चाहते हैं ।

एक आदमी ने मजाक किया इस संबंध में और वह कहने लगे कि सरकार तो गरीबों की बड़ी हमदर्द है लेकिन कौन गरीब है इसके बारे में सरकार की निगाह जरा दूसरी है। उसने कहा कि हमारे प्रदेश में सबसे गरीब तो बिड़ला है इसी वास्ते उसको दो पैसे से कम प्रति यूनिट पर बिजली दी जाती है और किसान के जो उससे कहीं बड़ी अच्छी हसियत का है बीस पैसा या उससे ज्यादा पर बिजली प्रति यूनिट दी जाती है। इसलिये लोग यह महसूस करने लगे है कि आप किसको गरीब समझते हैं और किसको उपेक्षा करना चाहते है। तो इस तरह की बात न कीजिये और अपनी स्कीम को वापस लीजिये और इस तरह का काम मत कीजिये जिससे सब लोगों को गल्ला न दे सकें।

गल्ले का व्यापार एक विशेष प्रकार का व्यापार है, वे लोग पुश्तहा पुस्त से करते चले आ रहे है और उसका उनको अनुभव है जिसका अनुभव आपके सरकारी कर्मचारियो को नहीं हो सकता। अगर वह ईमानदारी से उसको करना भी चाहें तो भी वे उस काम को नहीं कर सकते, उस कामयाबी के साथ नहीं कर सकते जिस कामयाबी के साथ व्यापारी करते हैं। लेकिन आप इस पर विचार नहीं करना चाहते। आप जानते हैं कि आज भ्रष्टाचार कितना व्याप्त है। कुछ थोड़े से ही आदमी होंगे जो ईमानदारी से काम करना चाहते हैं। तो जब इतना भ्रष्टाचार है तो उन्हीं के हाथों में, जिनको कोई अनुभव नहीं है, क्यों इस काम को दे रहे हैं और क्यों प्रदेश की छीछालेदर करना चाहते हैं। व्यापारियों से आपको शिकायत है वह तो है ही, व्यापारियों में कुछ भ्रष्टाचारी हैं, तो, उनकी उस शिकायत को दूर करने की कोशिश कीजिये, उनको आप समाप्त क्यों करना चाहते हैं।

पुलिस में भी तो भ्रष्टाचार है, कोआपरेटिव विभाग में कितनी बुराइयां है तो क्या आप उनको खत्म कर रहे हैं। आप उनकी बुराइयों को दूर करने की कोशिश करते हैं। समाज को चलाने के लिये आपका काम है कि आप बुरे आदमियों को हटायें और जो अच्छे आदमी है, उनसे काम लीजिये। जो बुरे आदमी है उनकी बुराइयां रोकने के बजाय आप अच्छे आदमियों को भी समाप्त कर देना चाहते हैं आप ऐसे कदम उठाइये कि जो अच्छे आदमी हैं जो अच्छे काम करें और आपको सहयोग दे सकें, जो इस देश और इस प्रदेश की स्थिति को ठीक करने के लिये मदद दे सकें, उनसे काम लीजिये, और इस तरह की कार्यवाही मत कीजिये कि अच्छे आदमियों को भी समाप्त की जायं।

यह तो खाद्यान्न की बात है लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि कहां है आज मिट्टी का तेल, कहां है आज शक्कर, डालडा कहां चला गया। यह सब क्यों गायब हो गया और क्यों नहीं आप इन चीजों को ठीक से सप्लाई करने का इन्तिजाम करते? लोग ठीक ही कहते हैं कि जिन जिन चीजों को यह सरकार हाथ में लेती जायगी वह सब गायब होती जावेगी। खाद्यान्न को अपने हाथ में आपने ले लिया और सब चीजों गायब हो गयी। तो अब लोग कहत हैं कि सरकार जिस चीज को भी छू देती है वह चीज गायब हो जाती है। तो कृपा करके आप चीजों को छुआ न कीजिये और उससे दूर रहिये क्योंकि आपके छूने से चीजें गायब हो जाती है और उससे जनता को तकलीफ होती है, इससे कृपा करके लोगों को बचाइये। मैं इसीलिये आपसे कहना चाहूंगा कि आप ठीक से और मुस्तदी से काम कीजिये। आप अपने अफसरों पर कंट्रोल रखिये। देखिये हर तरफ भ्रष्टाचार व्याप्त ह जिसके वजह से यह सब चीजें गायब हो गयी हैं, चाह शकर हो, चाह मिट्टी का तेल हो और चाहे डालडा हो। अगर आप इंतिजाम कर सकते हैं तो कीजिये नहीं तो छोड़िये। लेकिन आप इंतिजाम करना नहीं चाहते हैं, सिर्फ बातें करना चाहते हैं और अफसरान पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। ब जिस तरह से निरंकुशता से काम करना चाहते हैं आप उनकी उस निरंकुशता को बनाये

[श्री जयराम वर्मा]

रखना चाहते हैं तो काम चलने वाला नहीं है। इसलिये आपसे प्रार्थना करूंगा कि ईश्वर के लिये, देश के लिए, इस प्रदेश की गरीब जनता के लिये कृपा करके अपने गलत कामो से अपने को हटाइये और इस प्रदेश की जनता की तकलीफों को दूर होने दीजिये।

(श्री रामकरन सिंह को बुलाये जाने पर)

*श्री यादवेंद्रदत्त दुबे (जिला कानपुर)—

मैं एक प्वाइंट आफ आर्डर उठाना चाहता हूं। यह जो खाद्यान्न का डिवेट है उसमें उस तरफ के लोगों को मत अवसर दीजिये क्योंकि वे लोग मंत्री महोदय के कमरे में जाकर सब बातें कह सकते हैं और कहते ही हैं और उनको कागज भी दे सकते हैं। वास्तव में यह समय तो केवल आपोजीशन के लिये ही होना चाहिये। मंत्री जी एक घंटे का समय बोलने के लिये जवाब देने के लिये दे दीजिये, बाकी तीन घंटे का समय आपोजीशन को दें और आपने अगर उस पद्धति का अनुसरण किया कि एक इधर का और एक उधर का तो हमें अपनी बातें कहने का अवसर बहुत कम होगा।

उस पक्ष के लोग मंत्री जी के कमरे में जाकर कह सकते हैं .....

श्री बीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फर नगर)—

मंत्री जी के कमरे उनके लिये (भी बन्द नहीं हैं, जैसे इधर के) लोग बिचार उनके सामने रख सकते हैं वैसे ही उधर के लोग भी रख सकते हैं।

श्री अध्यक्ष—

मैं सब को दस-दस मिनट दूंगा।

श्री बीरेन्द्र वर्मा—

यह हमारा शोषण करना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठें, मैं दस-दस मिनट सब को दूंगा।

श्री यादवेन्द्र दत्त दुबे—

फिलहाल तो गरीब का शोषण होता है उसके लिये आप को बधाई है।

श्री राम करन सिंह (जिला गोरखपुर)—

अध्यक्ष महोदय, मुझे आपसे निवेदन करना है कि जो दस मिनट का समय आप दे रहें हैं उसे बढ़ाकर 15 मिनट कर दें।

श्री अध्यक्ष—

बहुत लोग बोलना चाहते हैं, इतना ही काफी है, अधिक समय नहीं दे सकेंगे।

श्री राम करन सिंह—

मैं आप के माध्यम से सभी बिरोधी पक्ष में बैठे हुये माननीय सदस्यों से कहना चाहूंगा कि खाद्यानों की कमी और जीवनोपयोगी वस्तुओं के बारे में माननीय नेता बिरोधी दल नें अपने जो बिचार व्यक्त किये हैं उसमे मुख्यतः सवाल यह है कि सरकार ने जो गेंहू की खरीद अपने हांथ में

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

ली है उसके कारण ही यह सब समस्यायें खड़ीं हुई हैं। यह सही है कि जो गेंहूं की खरीद का काम सरकार ने अपने हांथ में लिया है और जब से यह फैसला किया कि गेंहूं की खरीद सरकार करेगी तब से इस देश में और और इस प्रदेश में जिन लोगों के वेस्टेड इन्टरेस्ट्स थे उन्होंने भिन्न-भिन्न तरीके से नान-कोआपरेशन चालू कर दिया और उसका असर सरकार और सरकार द्वारा चलाई जाने वाली नीति और उस के तहत में जो ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुविधा देने का सवाल है उसके ऊपर उसका बुरा असर पड़ा ....

श्री रामकुमार दीक्षित (जिला कानपुर)—

गेहूं की खरीद का सीधा संबन्ध किसान से है ...

श्री अध्यक्ष—

आप बैठें इस तरह से टोकेंगे तो समय कम हो जायगा।

*श्री राम करन सिंह—

मैं माननीय नेता बिरोधी दल तथा सभी दलों के नेताओं से कहना चाहता हूं कि आज इस प्रदेश में किसान की हमदर्दी की बात सबने उस वक्त करना शुरू कर दी जब सरकार ने फैसला किया कि गेंहूं की पूरी खरीद हम करेंगे। उदाहरण स्वरूप आप बिचार करें कि सन् 68–69–70, 70–71, 71–72 में जब कि सरकार ने केवल यह तय किया कि हम गेंहूं के भाव गिरने न देकर किसान को गेहूं की लागत भाव से कम कीमत न मिले और यानी जब प्राइस सपोर्ट की बात थी उस वक्त बिरोधी दल के लोगों ने जो आज किसान की हमदर्दी को बात करते हैं, किसी पार्टी ने उस वक्त किसान की हमदर्दी की बात नहीं की और यदि हम प्राइस सपोर्ट के भाव का औसत लगायें तो जो भाव सरकार के उस वक्त निर्धारित थे उससे कम भाव पर गेहूं व्यापारियों ने खरीदा। सरकार निश्चित भाव पर गेंहूं खरीदना चाहती है और उस गेहूं को जों उपभोक्ता हैं, उनको देना चाहती है।

प्रदेश की स्थिति को देखा जाय तो इस प्रदेश में डेढ़ पौने दो करोड़ आदमी शहरों में रहते हैं और कुछ अभाव ग्रस्त क्षेत्र के लोग हैं जिनको हम सस्ते गल्ले की दुकानों से गल्ला देते हैं। मैं पिछले साल की बात नहीं इस साल की ही बात मैं कहना चाहता हूं कि खरीफ का जो हमारा टारगेट है और जो इस वक्त प्रश्न है उसका सीधा सवाल यह है कि हम उपभोक्ता को उसी दाम में दें और उसे किसी प्रकार का नुक्सान न हो। मनासिब दाम पर उसे वर्ष भर गेंहूं मिलता रहे, यह सरकार की मंशा है। आप देखें कि पहिली बार क्या हुआ। गेंहूं खरीदा तो गया 60, 65 और 70 रु0 प्रति क्विंटल में और जब सरकार ने यह तय किया कि हम गेंहूं की खरीदारी करेंगे तो मार्केट में जब मेंहूं की कमीं आयी तो वही गेहूं जो 60 या 65 रु0 प्रति क्विंटल पर खरीदा गया था 130 रु0 तक बेचा गया। दुगने का मार्जिन आया। तो सरकार के पास कौन सा हथकंडा है जिसे यह सरकार लागू करे कि गहूं के ये बढ़ते हुये दाम को कम किये जा सकें। इस समय गेंहूं की खरीद की योजना है देखने में तो आप इसे बड़ी कठिन महसूस करेंगे लेकिन सदन के माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि इस गेंहूं की खरीद की योजना जो देश और प्रदेश में लागू हुयी है इससे प्रदेश की ही नहीं बल्कि हिन्दुस्तान भर की आर्थिक स्थिति और आर्थिक रीढ़ मजबूत होगी। (विरोधी दलों की ओर से वाह वाह की आवाजें)

मान्यवर, मैं तो कहता हूं कि जो तमाम किस्म के नारे बाजी, तमाम किस्म की प्रोब्लम्स जो आप क्रिएट करते हैं और यह कहते हैं कि खाद्यान्न के भाव बढे हैं, पानी के भाव बढ़ें हैं, बिजली

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राम करन सिंह]

के, और खाद के दाम बढ़े हैं तो आखिर इनको रोक कहां होगी, किस जगह पर ये रुकेगी। अगर इनके भावों को रोकना है तो हमें प्राइस फिक्स करनी ही पड़ेगी और इन सभी चीजों को सोच समझ कर सरकार ने यह काम अपने हाथ में लिया है । जहां तक भाव निर्धारित होने का प्रश्न है भारतीय क्रांति दल के नेता और दल वाले तो इस स्कीम के बारे में चाहे जो कहें, मैं कहूंगा कि उन्हें ऐसा कहने का मौलिक अधिकार है, कहना चाहिये क्योंकि जो समाजवादी और प्रगतिशील नीतियां हैं, उनमें उनकी आस्था, उनका यकीन है ही नहीं इस मुल्क की सारी चीजों को बिगाड़ने और पिछाड़ने का एक ही कारण बताते हैं और यह सरकार समाजवाद के रास्ते पर चल रही है जो सारी जनता को ग्राह्य है । इसलिये यह जो गेंहूं की खरीद की योजना है, गेंहूं की जो स्थिति है मैं चाहूंगा कि इसमें सारे लोग कोआपेरेट करें । इससे जनता और प्रदेश का हित होगा और देश की जो आर्थिक स्थिति भविष्य में बिगड़ने वाली है, उसकी रोकथाम होगी ।

जहां तक खाद्यान्नों और अन्य चीजों का सवाल है माननीय वर्मा जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जब कोई भी इस प्रकार की स्थिति होती है तो कुछ चीजें मार्केट से गायब हो जाती हैं, कुछ परेशानी बढ़ती है । यह हमारे देश में ही नहीं दुनिया के सभी मार्केट में ऐसा हो जाता है । जब कहीं समाजीकरण की बात आयेगी तो उसे रोकने के लिये उसे विफल करने के लिये में उसे फेल करने को साजिश करते हैं । ये चीजें उधर से बार-बार अयेंगी लेकिन श्रीमन्, आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि सरकार इसके लिये दृढ़ प्रतिज्ञ है । डालडा, चीनी, गेंहूं इन सारी चीजों की जो मार्च और अप्रैल में स्थिति थी आप देखेंगे कि मई के महीने में उसमें निरन्तर सुधार होगा । जहां तक, मान्यवर गेंहूं की प्राइसेस का सवाल है, मैं एक बात कहना चाहता हूं । माननीय वर्मा जी ने कहा कि गेंहूं दूसरे देशों से मंगाकर आप यहां खिलायें, तो भाव ज्यादा पड़ेगा । मैं जानता हूं और निवेदन करना चाहता हूं कि 76 रुपये गेंहूं की प्राइस इन्टर-नेशनल प्राइस है और दूसरे मुल्कों में से जो गेंहूं आता है, वह 74 रुपये प्रति क्विन्टल पड़ता है । मैं कहना चाहता हूं कि अगर आवश्यकता पड़ेगी, तो वह काम होगा ।

जहां तक भुखमरी का सवाल है, मैं इस प्रदेश की सरकार के बारे में कहना चाहता हूं कि इसने मैसूर, महाराष्ट्र, गुजरात और गोवा आदि प्रदेशों में ज्वार, भेज हैं और दूसरे कोर्स ग्रेन पंहुचाये हैं और वहां की भुखमरी की स्थिति को दूर करने की कोशिश की है । इसलिये ऐसा नहीं है कि प्रदेश की जनता भूखों मरेगी गेहूं और तमाम चीजों के अभाव में । हमने अपनी स्थिति देखते हुये, अपने प्रदेश की स्थिति को देखते हुये, खाद्यान्नों की पूर्ति के लिये दूसरे प्रान्तों की मदद की है ।

श्री अध्यक्ष—

अब आप समाप्त करें ।

*श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

माननीय, खाद्यान्नों और बढ़ती हुयी कीमतों की स्थिति इतनी गम्भीर है कि यह बात आज किसी से छिपी नहीं है । सन् 1800 के बाद, प्रथम बार इतने जबर्दस्त अकाल और भुखमरी की स्थिति सारे देश में है और लगभग 4 करोड़ आदमी भुखमरी के चपेट में है । उत्तर प्रदेश भी उसका एक अंश है । स्थिति कितनी गम्भीर है, इसको इसी से आंका जा सकता है कि आज हमारी प्राइम मिनिस्टर और केन्द्रीय खाद्य मंत्री को ज्ञान नहीं है कि हमें खाद्यान्न बाहर से मंगाना पड़ेगा या नहीं । एक बार कहते हैं कि आयात किये बिना काम चल सकता है और दूसरी बार प्रधान मंत्री कहती हैं कि मंगाना पड़ेगा । ऐसी सरकार पर आज किसी को विश्वास नहीं रह गया है, जिसको अपने देश की खाद्यान्नों की स्थिति का ज्ञान न हो ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

इतना ही नहीं, मान्यवर, फ़्रस्ट्रेशन की स्थिति यहां तक पंहुच गयी है कि दो जगहों से सजेशन आये हैं, एक राज्य सभा से आया है और एक मैसूर से आया है कि यदि खाद्य स्थिति को संभालना चाहते हैं तो खाने के तरीके को बदलना पडेगा गो-मांस खाना पड़ेगा । यहां तक, मान्यवर, फ़्रस्टेशन की स्थिति पंहुच गयी है । सारे देश की भावना को, यह कहकर, ठेंस पंहुचायी गयी है कि हमें गो-मांस खाना पड़ेगा । मान्यवर, जो सरकार जीवनोपयोगी वस्तुओं का भी प्रबन्ध नहीं कर सकती है, उसे रिजाइन कर देना चाहिये । उत्तर प्रदेश सरकार की आज की स्थिति जैसी चल रही है, वह नागपुर और मैसूर की सी नहीं है । इससे पहले कि यह सरकार उस स्थिति में पंहुचे, इसे तुरन्त रिजाइन कर देना चाहिये । मैं मैसूर और राज्य सभा की बात कहता हूं, जहां यह कह कर कि खाद्यान्नों की स्थिति सुधारने के लिये हमें गोमांस खाना चाहिये, सारे देश की भावना को ठेंस पंहुचायी गयी है । क्या यहां क्रान्ति आप लाना चाहते हैं ? आप परिस्थिति के बदलने को क्रान्ति का अर्थ देते हैं और हम एक स्थिति से आगे बढ़ने को क्रीति कहते हैं । हमारे और आपके विचारों में यही अंतर है ।

आज आपने फ़्रस्टेशन की हालत में पंहुचकर लाखों और करोड़ों व्यक्तियों के हृदय को ठेंस पंहुचाया है कि हमें गोमांस खाना चाहिये । मैसूर के चीफ मिनिस्टर मि0 उर्फ ने और राज्य सभा में किसी व्यक्ति ने ऐसा भाषण दिया है । अगर मैं गलत कहता हूं, तो मैं माफी मांग सकता हूं । मान्यवर, इस तरह, आज इस प्रदेश की स्थिति बड़ी गम्भीर है । इनकी हरित क्रांति बिलकुल फेल हो चुकी है । खाद्यान्नों की स्थिति का इनको ठीक ज्ञान नहीं है । ऐसी परिस्थिति में ....

श्री राम कुमार शास्त्री (जिला बस्ती)—

मान्यवर, इस गोमांस वाली बात के बारे में पूछना चाहता हूं । यह एक ऐसी बात है जिससे स्वभावतः यह जानने की इच्छा होती है कि कहां से यह इंगित हुई है, इसका मूल श्रोत क्या है ताकि जबाब देने में आसानी हो ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मैं चैलेन्ज के साथ इसको कहता हूं कि चीफ मिनिस्टर, मैसूर ने यह बात अपने भाषण में कही है । मैं इसकी कटिंग दिखा दूंगा ।

(शेम–शेम की आवाज होने लगी)

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

अगर गलत बात हुयी तो सदन जो मुझको सजा दे मैं भुगत लूंगा । चूंकि मेरी भावना को ठेस लगी इसलिये मुझे याद है ।

खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री बेनी सिंह)—

मुझसे कहा जाता है कि मैं झूठ बोलता हूं । लेकिन मैं यह भी तो नहीं कहता कि मैं सही बोल रहे हैं ।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य (जिला मेरठ)—

मान्यवर, एक बात मैं यह निवेदन करना चाहता था कि माधव प्रसाद त्रिपाठी जी ने यह जो बात कही है काफी गम्भीर कह दी है और इससे हमको भी ठेस लगी है । (शोर) मान्यवर, सिर्फ मोहनलाल जी ने ठेंस लगाने का ठेका ले लिया है तो यह दूसरी बात है, परन्तु प्रत्येक हिन्दू को ऐसी बात से ठेस लगती है । मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि कृपा कर ऐसी बात इस सदन में न होंने दें । तब तक कोई ऐसी बात नहीं कही जाय जो उत्तरदायित्व पूर्ण न हो ।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

मैंने पूरे उत्तरदायित्व से और सोच समझकर यह बात कही है और जो इल्जाम मुझ पर लगायें और सजा दें मैं भुगत लूंगा । मान्यवर, यह मेरी बात से लगता है छनछना उठे । मान्यवर, मैंने तो यह कहा था कि फ़्रस्ट्रेशन इतनी चरम सीमा पर पंहुच गया है कि इनका कि गोमान्स खाने वाली बात आई । अगर यह बात राज्य सभा की प्रोसीडिंग्स में न हो तो मैं रिजाइन कर दूंगा । मैं अखबार की भी कटिंग दिखला दूंगा ।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

अखबारों की कटिंग से ऐसा कैसे सबित हो जायेगा कि किसने क्या कहा ?

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

अगर साबित नहीं हो जायेगा तो इसका मेरे पास जबाब नहीं है । आप खुद प्रधान मंत्री जी से और मुख्य मंत्री से पता लगायें । मैंने तो कह दिया कि जो सजा सदन देगा मैं उसको भुगत लूंगा । मान्यवर, ऐसी स्थिति है पूरे प्रदेश की और उत्तर प्रदेश उसकी एक कड़ी है । जो मौजूदा स्थिति है वह किसी से छिपी नहीं है । आपने इसका एक तरीका अपनाया और स्थिति का मुकाबला करने के लिये आपने गेंहूं का थोक व्यापार का अधिग्रहण कर लिया और फेयर प्राइस शाप्स खुल गई । मान्यवर, मैं बात संक्षेप में दूंगा क्योंकि इन लोगों ने मेरे 15 मिनट ले लिये, लेकिन मैं समय इन्हीं से छीनूंगा । मान्यवर, मैं कह रहा था कि थोक व्यापार इन्होंने अपने हाथ में ले लिया जिसके सम्बन्ध में हमारे नेता विरोधी दल ने बहुत कुछ स्पष्ट रूप से कह दिया । मैं सोचता था कि कौन सी बात कहूं । मेरे दल की सदैव यह नीति रही है कि सरकार खड़ी रहे लेकिन एक स्पर्धी के रूप में मार्केट में आये ताकि काश्तकार यह सुनिश्चित हो जाय कि ज्यादा से ज्यादा कीमत मिलेगी और सरकार उस गेंहूं को बफर-स्टाक में रखें और तब रिलीज करे जब प्राइस बढ़ने लगे ताकि प्राइस कम आ सकें । लेकिन जब आपने अधिग्रहण किया तो उसका परिणाम क्या निकला ? पहला परिणाम तो यह निकला कि आपने लाखों को बेकार कर दिया । आपने अधिग्रहण कर लिया और लाखों को बेकार कर दिया तो क्या इससे आपका मतलब सिद्ध हुआ या नहीं ?

मान्यवर, कैसे सिद्ध हुआ वह सुन लीजिये—कीमतें बढ़ गई अधिग्रहण जब से शुरू किया । वि सी चीज की कीमत घटी नहीं है । जो इन्होंने मंडियों के कानून बनाये कितना इन्होंने अहित किया है । यहां की सारी अर्थ व्यवस्था ही उलट पुलट कर दी । इन्होंने मंडियों का निर्माण किया, मंडी समितियों का निर्माण किया । करोड़ों रुपया वर्ल्ड बैंक से लिया, मंडी यार्ड बनाने के लिये लेकिन वह सारा ध्वस्त हो गया । उन्होंने गल्ले के दाम फिक्स किये लेकिन काश्तकार इनको देने के लिये तैयार नहीं है । उसके पैदा करने की हर चीज की कीमत बढ़ गयी तो उसके द्वारा उत्पादन की कीमत क्यों न बढ़े । जो लोग इनके यहां गल्ला लेकर जाते हैं उनसे भी इनकी भ्रष्ट मशीनरी कहती है कि पछोड़ डालो, इसमें जो है, 72 रुपये पर दे दो । वह 72 पर देते हैं और यह 76 लिखते हैं । मेरे यहां बांसी मंडी है । वहां पर हजारों लोगों ने मार्कटिंग इंस्सपेक्टर को घेर लिया । अगर मुख्य मंत्री जी चाहें तो इसकी जांच करवा लें । यहां 72 रुपये पर गल्ला लिया गया है ।

रामकरन जी चले गये । वह स्वच्छ प्रशासन समझते हैं । मैं कहता हूं कि आपकी यह मशीनरी कितनी भ्रष्ट है । काश्तकार को मजबूर करके तरह-तरह के बहाने बता कर 72 पर लेते हैं और 76 दिखलाते हैं कागज पर । अब मैं दूसरा पहलू लेता हूं । आप गरीब को पेट भरने के लिये गल्ला दीजिये । उसको सब्सीडी दीजिये । इसके लिये मेरे ऊपर भी टैक्स लगेगा तो मैं उसको बर्दाश्त करूंगा । अब आप जो आंकड़े देते हैं वह भी गलत देते हैं । मान्यवर, इनकी तीन एजेन्सीज हैं जो गल्ला खरीद रही हैं । एक एजेन्सी एफ 0सी0 आई0 है, दूसरी, पी0सी0एफ0 है और तीसरी इनकी खुद की है । अब तक इनकी वसूली

1 लाख टन 72 हजार टन हुई है जबकि इनका टार्गेट 18 लाख टन का है । आप यह भी देखें कि पी0सी0एफ0 के पास 200 सेन्टर्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट के पास 500 हैं और एफ0 सी0 आई0 के 356 हैं । सबसे खराब और भ्रष्ट उगाही आपकी हैं । जैसा मैंने कहा, मंडी समिति तो बर्बाद हो ही चुकी है ।

मैं चाहूंगा कि मंत्री जी बतलायेंगे कि आपको खरीदने की एजेन्सियां कितनी जगह जायेंगी । आपकी मंडियां आपके भ्रष्ट कर्मचारियों की बदौलत और बिलो इंसेंटिव प्राइस की बदौलत काम नहीं कर पा रही है । आप जिन बड़े बड़े काश्तकारों और सेठ साहुकारों की बदौलत जिन्दा हैं आज वही स्टाक रोक लेंगे और फिर हाई प्राइस पर उसको निकालेंगे । आप जो कुछ कर रहे हैं यह बड़े बड़े काश्तकारों के लिये और वेस्टेड इन्टरेस्ट के लिये हैं, मेरे जैसे दस बीघे या बीस बीघे वाले आदमी के लिये उनके सप्लाई विभाग में, भ्रष्टाचर की बात मैं क्या करूं । उसके तो हर दरवाजे पर पूजा चढ़ानी पड़ती है । इन्होंने आज स्मगलर्स की भी संख्या बढ़ा दी है । महाराष्ट्र में 5 रु0 किलो बिक रहा है तो वहां गल्ला जायगा । इससे मेरा संकेत उस ओर है जो आपकी 800 करोड़ रुपये की पैरलेल इकनोमी चल रही है सप्लाई आफिसर्स और मारकेटिंग इन्सपेक्टर्स की संख्या बढ़ाकर आप ए न्यू क्लास आफ वेस्टेड इन्टरेस्ट बढ़ा रहे हैं । मनी होल्डर्स पैदा कर दिये हैं । श्रीमन्, 15 मिनट मेरे इन लोगों ने ले लिये हैं . . .

श्री अध्यक्ष—

3 मिनट और ले लीजिये ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मैं कह रहा था कि इनकी सस्ते गल्ले की दुकानें कैसी हैं । राशन की दुकानों पर गल्ला नहीं है । दो रोज भी इंतजार करने पर सामान नहीं मिल पाता है । एक आदमी को महीने भर के लिये दो किलो गेहूं मिलता है और वह भी मिल नहीं पाता है तो उसे ओपेन मार्केट से जरूरत पूरी करनी पड़ती है । ओपेन मार्केट में गेहूं मिल नहीं रहा है । तो जनता का क्या हाल होगा ? अनाज के साथ ही डालडा भी गायब हो गया है । अरहर, जौ, और चना की कीमतें भी आकाश छूने लगी हैं । चीनी की कीमत भी बढ़ गई है । कोयले का व्यापार तो आपने अभी हाल में लिया है लेकिन वह भी मिल नहीं रहा है । 15 दिन हो गये ह मुझे कोयला नहीं मिला है । आपकी वितरण प्रणाली भी बड़ी विचित्र है । मेरा तो कहना है कि आप महाराष्ट्र वाले पग न उठाइये । रोटी के बदले आपने वहां जनता को बुलेट्स दिये हैं । अगर ऐसा ही रहा तो यहां भी आप उसको रोक नहीं सकते हैं । वितरण व्यवस्था में हर प्वायन्ट पर पैसा देना पड़ता है, हर दरवाजे पर पैसा देना पड़ता है । आपकी दुकानें भी कागज पर होती हैं ।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि अधिकतर दुकानें राजनैतिक नेताओं के पास हैं जो सबलेट किये हुये हैं । तो टी0आर0 ओ0 आदि सभी को बदल डालिये । इसमें भी सभी के वेस्टेड इन्टरेस्ट हैं । सहकारी समितियां भी भ्रष्टाचार से भरी हुई हैं । मुझे पता लगा है कि यहां की 250 फेअर प्राइज शाप्स में 175 सब लेट हैं । पूरे प्रदेश की यही हालत है । मैं कीमतें बढ़ने के लिये केवल सरकार को दोषी मानता हूं । उत्पादन बढ़ना चाहिये जिससे रा मैटीरियल मिल सके लेकिन हर चीज में आपका वेस्टेड इन्टरेस्ट है । आपकी नीति के कारण आज कीमतें आकाश छू रही हैं । जन जीवन दुर्लभ हो गया है । अगर यही स्थिति रही तो कुछ दिन में लाखों आदमी मरेंगे और जब लोग भूख से पीड़ित होंगे तो निश्चित रूप से रायट्स होंगे और यह सरकार रोक नहीं पायेगी ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह निर्विवाद सत्य है कि इस समय देश में एक संकट की स्थिति है, माननीय माधव प्रसाद त्रिपाठी जी ने भी स्वीकार किया और उसे कोई डिनाई भी नहीं कर सकता है। देश के कई प्रदेशों में, जैसे राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मैसूर और मध्य प्रदेश का भी कुछ भाग सूखे से पीड़ित है। कुछ भाग उड़ीसा का भी सूखे से ग्रसित है। इस तरीके से जो देश में उत्पादन होना चाहिये था दुर्भाग्यवश उतना उत्पादन देश की आवश्यकता-नुसार हो नहीं सका। नहीं तो इससे पहले वर्षों में ही देश की सरकार ने अपने देश की अनाज की आवश्यकता को अपने एफट्र्स से पूरा कर लिया था और विदेशों से अनाज के आयात पर पाबन्दी भी लगा दी थी।

इसी प्रकार की स्थिति 1967 में भी जिस समय माननीय चौधरी चरण सिंह जी इस प्रदेश के मुख्य मंत्री थे और श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी की पार्टी के डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे और अन्य सभी विरोधी दलों के आदमी उस सरकार में सम्मिलित थे, इस प्रदेश में आयीं थी। फसल के टाइम पर 54 रुपये मन अर्थात् 135-140 रुपये प्रति क्विटल अनाज का भाव था और संविद सरकार ने 32 रुपये प्रति मन था या 82 या 85 रुपये प्रति क्विटल अनाज की लेवी लगा कर अनिवार्य रूप से खरीद की थी। जिस समय इन्सान के कन्धे पर जिम्मेदारी आती है उस समय अपने दायित्व को निभाने के लिये संविद सरकार ने भी 1967 में अनिवार्य रूप से अनाज की वसूली की थी और उस समय भी किसानों ने यह आवाज उठायी थी कि बाजार भाव को देख कर गेहूं के भाव में बढ़ोत्तरी की जाय लेकिन भाव में बढ़ोत्तरी नहीं की गयी थी और अनिवार्य वसूली की गयी थी।

माननीय नेता विरोधी दल ने कहा कि यह समय उपयुक्त नहीं था। मैं यह कह सकता हूं कि इससे उपयुक्त समय इस स्कीम को लागू करने का और कोई हो नहीं सकता था। अगर देश में इफरात हो तो अनाज के खरीदने और बेचने वालों के लिये कोई प्राब्लेम पैदा ही नहीं होगी। लेकिन आज एक कठिन परिस्थिति इस देश और प्रदेश के सामने है। इसी प्रकार की समस्या 1943 में बंगाल में उत्पन्न हुई थी और 30 लाख आदमी भूख से वहां पर मरे थे और उस एंटी सोशल एलीमेंट ने, जो इस व्यापार में पड़ा हुआ था, जनता के जीवन के साथ खिलवाड़ की थी। उस समय जांच एक कमीशन तत्कालीन सरकार ने वहां वुडहेड नाम के एक अंग्रेज की अध्यक्षता में स्थापित किया गया था जिसने यह रिपोर्ट दी थी कि खाद्यान्न का थोक व्यापार सरकार को अपने हाथ में ले लेता चाहिये न कि इन आदमियों को इस प्रकार की दयनीय स्थिति पैदा करने के लिये मौका दिया जाय। किसान और उपभोक्ता क्रमशः हमेशा यह शिकायत करते रहे कि फसल पर तो भाव गिर जाते हैं और बाद में काफी बढ़ जाते है जिसके कारण प्रारम्भ में किसान का शोषण होता है। दोनों अवसरों पर उपभोक्ता और उत्पादक का शोषण होता रहा है। थोक व्यापारी इस साल कितनी जखीरेबाजी और ब्लैकमार्केटिंग करते यह सर्वविदित है।

जो वनस्पति की चर्चा आपने की है यह भी हमें स्वीकार करना चाहिये कि सूखे के कारण वनस्पति का जो उत्पादन गुजरात और महाराष्ट्र में होता था वह तो हुआ ही नहीं इसके अलावा जो बिजली की कटौती 40 प्रतिशत हुई उसके कारण भी उसका उत्पादन बहुत कम हुआ। इसी कारण सरकार को बनस्पति भी फेयर प्राइस शाप्स से बिकवाने के लिये मजबूर होना पड़ा। आज, मान्यवर, यह लोग व्यापारियों के बड़े हमदर्द बने हुये हैं। और यह व्यापारी हमेशा जनता क साथ खिलवाड़ करते रहे। आज माननीय जयराम वर्मा, माननीय माधव प्रसाद त्रिपाठी जी व विरोधी पक्ष क सभी माननीय नताओं की निगाह उस गरीब की तरफ नहीं है, बल्कि व्यापारी वग की तरफ ह। हां, अगर आप सब लोग अनाज की वसूली में सहयोग देते, और वितरण व्यवस्था उसके बाद भी ठीक न होती तो आप सरकार को दोष दे सकते थ। मगर आप तो अनाज की वसूली में अड़ंगेबाजी लगा रह हैं। चोर से कहते हैं चोरी करो,

और दोष सरकार को दे रहे हैं। (व्यवधान) मैं विरोधी दलों के माननीय नेताओं से पूछना चाहता हूं कि क्या उनके एकशन्स गरीब जनता के हित में हैं ? जनता की मुसीबतों के साथ खिलवाड़ करना ठीक नहीं है (व्यवधान)।

श्री जगवीर सिंह (जिला बुलन्दशहर)--

आप भी तो काश्तकार हैं, आपने कितना गल्ला सरकार को दिया।

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

मान्यवर, अगर इधर से कोई सक्रिय सुझाव आते तो मेरी समझ में आ सकता था। मगर खाली सरकार को दोष देना, यह ठीक नहीं है। मेरा निवेदन है कि आप प्रदेश में ला एन्ड आर्डर की अव्यवस्था पैदा न करें। इस कार्य में सरकार का सहयोग दें। ईश्वर की खातिर, इस प्रदेश की खातिर और गरीब जनता की खातिर आप उपभोक्ता और किसान को व्यापारी के शोषण से बचायें। किसान को इनके शोषण से बचाने के लिये मजबूर होकर इस योजना को लागू करना पड़ा है। 1952 में जमींदारी खात्मे के बाद से ही और 1959 में नागपुर अधिवेशन में इस संबंध में प्रस्ताव पास होने के बाद ही इसे लागू कर देना चाहिये था। मगर आज इतनी देर बाद भी अगर यह कदम उठाया गया है तो आपको इन व्यापारी वर्ग से इतनी हमदर्दी क्यों हो गयी ?

जहां तक जिलों में गेहूं भेजने का सवाल है, अभी आंकड़ों में स्पष्ट किया गया है कि पिछले माह की बजाय इस माह में अधिक गेहूं दिया गया है। सरकार ने इस माह अधिक गेहूं दिया है। चीनी का जहां तक सवाल है (लाल बत्ती होने पर) मान्यवर, अभी तो मुझे बहुत कम समय दिया गया है।

श्री अध्यक्ष--

आपके दो मिनट और हैं।

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

आपने अभी उनको इतना समय दे दिया....

(व्यवधान)

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)--

माधव प्रसाद जी अपने दल के नेता हैं। क्या उनके समान ही इनको भी समय दिया जायेगा, यह तो नेता हैं नहीं।

श्री अध्यक्ष--

आपके दो मिनट हैं।

चूंकि इनका समय गया था, इसलिये उनको थोड़ा और समय दे दिया गया था, लेकिन आप बैठे नहीं है, इसलिये इनको उतना समय नहीं दूंगा। माननीय सदस्य को दो मिनट और दे रहा हूं, तब तक वह अवश्य समाप्त कर दें।

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

तो मान्यवर, मैं यह कह रहा था कि यद्यपि अपने प्रदेश में चीनी का उत्पादन सबसे ज्यादा है किन्तु चीनी का कोटा एलाट करने का भारत सरकार को अधिकार है, जो कि पिछले

[श्री वीरेन्द्र वर्मा]

कई मासों से घटता रहा है। यह खुशी की बात है कि पिछली बार जो 24 हजार टन कोटा मिला था, वह कोटा भारत सरकार ने मई महीने में 27 हजार टन कर दिया है 6 हजार टन का और अतिरिक्त कोटा इस प्रदेश को भारत सरकार ने देने का वचन दिया है।

मान्यवर, जहां तक डीजेल-आयल की बहुत बड़ी दिक्कत है, उसके बारे में इतना निवेदन करना चाहता हूं कि 54 हजार टन उत्तर प्रदेश को एक महीने में अब वह उपलब्ध होगा। इस बात के लिये मैं मुख्य मंत्री जी को बधाई देता हूं कि इस प्रदेश में जो डीजेल-आयल की कमी थी, उसको उन्होंने अपनी कोशिशों से पूरा कर लिया है और आशा है कि कुछ ही दिनों में किसानों को इसकी कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी।

जहां तक बनस्पति घी का सवाल है। प्रदेश के लिए 7480 टन की मांग हमारी सरकार ने भारत सरकार को भेजा था, जो भारत सरकार ने स्वीकार कर लिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने उसमें एक विशेषता और की है कि जितना भी बनस्पति घी आयेगा, उसमें से 30 फीसदी उन्हीं के पास छोड़कर जो डीलर्स हैं, शेष 70 फीसदी का 40 फीसदी अलग रख लिया है, जिसका आधा 2 भाग ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्रों में सरकार जनता को कन्ट्रोल रेट पर देगी।

श्रीमन्, मेरी बात एक मिनट आप और सुन लें। यह बात सही है कि जहां तक गेहूं के मूल्य का प्रश्न है, उसके लिये मैंने भी सोचा था कि कुछ कीमत उसकी बढ़ाई जाये। उत्तर प्रदेश सरकार ने उसके लिये कोशिश की और उसने भारत सरकार से सिफारिश भी की थी कि उसकी कुछ कीमतें बढ़ाई जायं, लेकिन भारत सरकार ने, जो 130 करोड़ रुपये का अनुदान इस कीमत पर दे रही है, उसका मूल्य और बढ़ाना अस्वीकार कर दिया है। प्रदेश सरकार अब यह कोशिश कर रही है कि यह जितना भी अनाज हैं वह खरीदेगी, उस पर ग्रामीण जनता को, किसान को कपड़ा, डीजेल आयल, मिट्टी का तेल, बनस्पति घी, सीमेंट आदि जो उसकी आवश्यकता की चीजें हैं, उसे कंट्रोल रेट पर मुहैय्या करेगी।

श्री करन सिंह (जिला खीरी)--

अध्यक्ष महोदय, हमारे देश की प्रधान मंत्री ने विरोधी पक्ष पर यह चार्ज लगाया है कि वह निहित स्वार्थों के साथ मिलकर अन्न की समस्या, जो राष्ट्रीय समस्या हैं, सुधारने में अड़-चन डालते हैं, किन्तु आज यहां पर सरकारी पक्ष से एक और चार्ज हम पर यह लगाया गया कि सन् 74 को सामने रखकर हम इसका विरोध करते हैं। हम यह अनुभव करते हैं कि यदि प्रदेश में किसी एक वर्ग या व्यक्ति के साथ कोई ज्यादती होती है तो विरोधी पक्ष

(इस समय 1 बज कर 10 मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री वासुदेव पीठासीन हुए।)

का पवित्र कर्त्तव्य हो जाता है कि वह उसके विरुद्ध आवाज उठायें। आज इस प्रदेश में सबसे अधिक संख्या, किसानों की है, उनके साथ ज्यादती करने, उनके कृषि पेशे को नष्ट करने और बर्बाद करने में यह सरकार लगी हुई है और वह चाहती है कि हम उसके खिलाफ आवाज भी न उठायें।

श्रीमन्, सोते को तो जगाया जा सकता है, लेकिन जो बनावटी सोता हो, उसको कैसे जगाया जा सकता है। आज सरकार कहती है कि देश के आमुक भाग में अकाल ह, उसके लिए उसे अन्न चाहिय। यह होगा और सही है, पर शहरी क्षेत्र में बहुत अधिक ह लेकिन देहाती क्षेत्र में किसान जिसकी सबसे बड़ी संख्या है, इस देश में, उसकी कुछ आवश्यकताएं हैं, अगर इस सरकार का यह पवित्र कर्त्तव्य है कि शहरी क्षेत्र में कुछ विशेष व्यक्तियों को भोजन सस्ता मिले इस के लिए वह अन्न का व्यापार अधिग्रहण कर ले, तो उसका भी यह कर्त्तव्य है कि किसानों की आवश्यकताओं को सस्ते और उचित मूल्य पर उन्हें सुलभ करवायें। किसान की आवश्यकताएं

हो ही क्या सकती हैं ? नमक, मिट्टी का तेल, कपड़ा, डीजल, ट्रैक्टर, शकर, बिजली, खाद, ये किसान की आवश्यकताएं हैं ।

श्रीमन्, बिजली का रेट बढ़ा, खाद के दाम बढ़े, डीजल किसान ब्लैक से खरीद कर अपने खेती के काम में इस्तेमाल कर रहा था, मिट्टी का तेल ढाई रुपये बोतल खुले आम बाजार में बिक रहा है। जो शहरी क्षेत्र में शकर वितरण होती है बहुत ज्यादा और जो ग्रामीण क्षेत्र में शकर किसानों को दी जाती है वह प्रत्येक इकाई नहीं प्रत्येक परिवार को आधा किलो और वह भी 1962 की जन गणना के आधार के ऊपर। तो किसान की कौन सी आवश्यकता यह सरकार सुलभ करवाने में समर्थ हुई है, यह मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं। सप्लाई विभाग जो जिलों में कायम है वह तो सीधा सीधा एक अड्डा है अपने लिए कमाने का। जिस चीज पर कंट्रोल हो जाता है, वही गायब, जो इन्सपेक्टर गांव में जाता है, ऐसा कोई मंत्री जी भी किसी क्षेत्र से विधायक चुन कर आये हैं वहां पता लगा लें, ऐसी कोई दूकान नहीं है जहां पर उस दूकान में मासिक हिस्सा सप्लाई विभाग को न बंधा हो। सारी दिक्कत तो यह है। जब किसान की आवश्यकता आप पूरी नहीं कर पाते और किसान अधिक कीमत देकर, अपना खून पसीना मिला कर गेहुं पैदा करे तो उसकी गर्दन पर लात रख कर मनमाने भाव पर खरीदें ?

श्रीमन्, जो गल्ला अमरीका से इस देश में आता है उसकी कीमत 74 रूपये प्रति क्विंटल बम्बई पोर्ट पर पड़ती है। जो उत्तर प्रदेश सरकार के फार्म हैं, उनके ऊपर जो गेहूं पैदा करते हैं उस पर 72हे7 पैसे प्रति क्विंटल गेहूं की लागत आती है। किसान से गेहूं खरीदते हैं 72 से 74 तक। यह घाटे की खेती कोई किसान कब तक करता रहेगा, सबसे बड़ा सवाल किसान के सामने यह है। (व्यवधान) 76 भी हो तो क्या होता है। श्रीमन्, बावजूद कठिनाइयों इसके दो लाख टन से अधिक जो गल्ला किसान ने दिया है क्या इस बात का प्रमाण नहीं है कि किसान किसी भी वेस्टेड इंटरेस्ट से प्रभावित नहीं है ? शहर के रहने वाले के साथ अगर ज्यादती होती है, तो वे लखनऊ बंद, लखीमपुर बंद करके विरोध प्रदर्शित कर सकता है। फैक्टरी में काम करने वाले मजदूर भी हड़ताल करके विरोध प्रदर्शित कर सकते हैं। लेकिन किसान के साथ अगर ज्यादती होती है तो उसके विरुद्ध प्रदर्शन भी करने के लिये उसके पास न कोई स्थान है न कोई चारा है। जितने पेशे हैं, विविध पेशों में जितने समुदाय और व्यक्ति लगे हुए हैं इस देश और संसार भर में उसमें केवल किसान का ऐसा पेशा है जिसके पास आपकी नीतियों के विरोध में प्रदर्शन करने के लिये समय नहीं है। यह तो एक छोटी बात है। अगर किसान के बेटे की लाश पड़ी हो, तो कम से कम बैल की सानी उसे करनी पड़ेगी और उसको बांधना पड़ेगा। जब बेटे की लाश के पास रहने के भी उसके पास समय नहीं है तो आपकी नीति के विरोध में उठ खड़े होकर कुछ कदम उठाने की बात भी सम्भव नहीं है।

मैं आपकी नीति का विरोध इसलिये करना चाहता हूं कि मैं विरोध पक्ष में हूं यह बात गलत है। मैं किसान हूं और मैं यह अनुभव करता हूं कि दिन व दिन सरकारी पक्ष के विधायक जितना भी सीधा सम्बन्ध किसानों से है जान बूझ कर गांव की स्थिति या किसान की स्थिति का अनुशासन के डर से गलत दिग्दर्शन कराते ह कि किसान ही सोने की ऐसी चिड़िया समझते हैं कि उसका खून जितना ज्यादा निचोड़ सके निचोड़ लिया जाय। यह चीज कब तक इस देश व प्रदेश में चलेगी कि शहर की जरूरतें पूरी होती रहें और किसान जो कुछ पदा करे वह जबरदस्ती उससे ले लिया जाय। लेवी लगा कर जो चरण सिंह की सरकार ने किया था वह भी गलत था और आज भी प्रोक्योरमेंट के जरिये से जो यह सरकार कर रही है वह भी गलत है। बनिया गांव से मक्का लेकर 56 और 58 रु0 कुन्टल दे रहा है सरकार को। वह खरीदता ह 80 रुपये क्विंटल में। 60 फीसदी सरकार को देता ह तो 40 फीसदी में घाटा पूरा कर ले, मुनाफा भी कमा ले इसके लिय वह कौन सी जादूगरी करता है ? आप

[श्री करन सिंह]

कहते हैं कि किसान से इसलिये भी गल्ला आप ले रहे हैं कि आवश्यकता होगी तो सही व उचित दाम पर आप उसे ही वापस दे सकेंगे।

पिछले वर्ष जब गल्ला आपने किसान से लिया और बाद में अतिवृष्टि तथा बाढ़ के कारण अभाव हुआ और गांव में गल्ले की कमी हुई तो मैं निश्चयपूर्वक कह सकता हूं कि आप गांव में गल्ला नहीं पहुंचा सके। और भी दिक्कतें उसके सामने हैं। किसान यह समझता है कि जब शकर नहीं मिलती है, डीजल नहीं मिलता है मिट्टी का तेल नहीं मिलता है और गल्ला जो उसका है उसे वह अपने घर में न रख कर सरकार को बेच दे तो बाद में उसकी जरूरत कैसे पूरी होगी? शहर वाले तो राशन की दूकान से सामान ले लेते हैं, या मंत्री का घेराव करके किसी तरह से कोई रास्ता निकाल लेते हैं लेकिन किसान के पास वह भी रास्ता नहीं है। इसलिये किसान मजबूर है कि साल भर खाने के लिये गल्ला अपने पास रक्खे जब तक वह दूसरी फसल न पकड़ ले।

पिछली बार किसान ने जब अपना गल्ला दे दिया लेकिन बाढ़ तथा अतिवृष्टि के कारण किसान का बीज नष्ट हो गया तो आपने जिस गल्ले की 72 व 74 रुपये कुन्टल में लिया था उसे आपने 110 रु0 से लेकर 132 रुपये कुन्टल तक उसे किसान को बेचा। उसे यही शंका है कि अगर उसकी आवश्यकता होगी आगे चल कर तो उसके साथ आप यही व्यवहार करेंगे और उचित मूल्य पर उसकी आवश्यकता की चीजों को सुलभ नहीं करा सकेंगे। आज तक जिन चीजों का व्यापार आपने अपने हाथ में लिया है और चाहे फेयर प्राइस शाप हो अथवा नया बाजार हो हर एजेंसी में आपके घाटा तथा घोटाला हुआ तो कैसे उम्मीद की जा सकती है कि इस व्यापार में आप सफल होंगे। आप चाहे जितनी अच्छी योजना बनायें समाजवाद का राग आप चाहे जितना सुरीला अलापें---आप और हम सब समाजवादी हैं---एक गुरु के चेले हैं गांधी जी के--लेकिन आपके समाजवाद का संचालन कौन करता है--अधिकारी जिसको न समाजवाद में विश्वास है और जो न केवल व्यक्तिवाद और वर्गवाद में विश्वास रखते हैं और उसे कायम रखना चाहते हैं। श्रीमन्, मैं इन शब्दों के साथ अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूं कि इस समस्या को राजनीतिक विरोध के अन्तर्गत न आंका जाय। मैंने वह बातें कहीं हैं जो कि आज वास्तविक रूप से गांवों में हो रही हैं। मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी व सरकार अपने भाषण और व्यवहार से गांवों के किसानों को संतुष्ट कर दें और उसकी आवश्यकता की सभी चीजें उचित मूल्य पर उन्हें दें। किसानों के थ्रेशर ठप पड़े हुये हैं उन्हें कहीं डीजल उपलब्ध नहीं होता है। मंत्री जी इसकी भी व्यवस्था कर दें।

श्रीमती कुदसिया बेगम (जिला हरदोई)---

उपाध्यक्ष जी, हमारे सामने आज का जो विषय है उसके ऊपर बड़ी तकरीरें हमारे विरोधी दलों की तरफ से हुई है।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)---

मैं बेगम साहिबा से गुजारिश करूंगा अपनी तकरीर करने के बाद चली तो नहीं जायेंगी?

*श्रीमती कुदसिया बेगम---

मैं उनमें से हूं जो ज्यादातर हाउस में ही बैठते हैं। बहुत से विरोधी दल के मेम्बरान अपनी बात कह कर चले जाते हैं। तो, जनाबेवाला, मैं गुजारिश कर रही थी कि आज जो विषय हमारे सामने है इसमें कोई शक नहीं है और न कोई इस बात से इन्कार कर सकता है कि

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

विरोधी दलों को पूरा हक है इस बात का, कि सरकार की नीति यों और सरकार के कारनामों पर नुक्ताचीनी करें। लेकिन मैं यह अर्ज करना चाहती हूं कि बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जिनमें कि एक नेशनल सवाल उठता है जिसका सम्बन्ध सारे देश औ र प्रदेश से होता है। उसमें उम्मीद यह की जाती है कि उधर से कोई पालिसी शुरु हो या इधर से कोई चीज कह दी जाय अगर वह जनता के हित में है तो उसके ऊपर पूरी तरह से सभी पार्टियों का सहयोग होना चाहिये और मिल कर उसको कामयाब बनाने की कोशिश की जानी चाहिये।

जनाबे वाला, हमारे मुल्क में जब संकट आया, दुश्मनों के हमले हुये उस समय हम सभी लोग, चाहे वह किसी भी पार्टी से सम्बन्ध रखते हों, किसी भी मजहब के हो, एक हो गये, अपने देश के लिये कुर्बानी करने के लिये तैयार हो गये और उसके लिये मुसल्लत हैं। इसी तरीके से इस वक्त हमारे सामने जो सवाल है वह खाने पीने का है और मैं समझती हूं कि वह भी जहन में आता है क्योंकि अगर हमारी सरकार कोई नीति जनता के हित में बनाती है तो मैं उधर के बैठे हुये माननीय मेम्बर साहिबान से यह पूछना चाहती हूं कि क्या ये ही इस बात का दावा करते हैं कि वे किसानों के हक में है और वे ही किसानों के हकूक और फायदे के लिये अपना नुक्ते-नजर रखत हैं। मैं यह दरयाफ्त करना चाहती हूं कि हम भी गांवों को रिप्रिजेंट करते हैं, देहाती हल्कों से चुनकर आये हैं।

श्री भानु प्रताप सिंह (जिला बस्ती)---

आप किसानों को मुनासिब कीमत दिलाने के हिमायती हैं?

श्रीमती कुदसिया बेगम---

मैं उसी पर आ रही हूं, आप जरा इन्तजार करें। इस पहलू पर सरकार की तरफ से सोचा जा रहा है, बिचार किया जा रहा है। जहां तक खाने पीने का सवाल है, हमें इस बात को सोचना है और सरकार की जिम्मेदारी सबसे बड़ी यह हो जाती है कि शहरों में रहने वाले जो लोग हैं उनके खाने पीने का इन्तजाम गांव में रहने वाला किसान ही करता है। जितने भी यहां पर मेम्बर साहेबान हैं, वे 80 प्रतिशत किसानों के वोटों से यहां पर आते हैं जाहिर है कि उन्हें किसान के हित का सबसे ज्यादा ख्याल होगा।

मैं अभी अपने क्षेत्र में गयी थी। जनाबेवाला मैं बराबर घूमती फिरती रही हूं। संडीला में उस दिन मीटिंग हुई थी जिसमें तहसील भर के किसान आये थे तो मैंने किसानों से यही कहा था कि आप लोग अपना गल्ला लावें और सरकार की नीति को सफल बनाने की कोशिश करें। मैंने किसानों से यह कहा कि आप यह सोच सकते हैं कि इस वक्त सरकार ने यह सरदर्द अपने ऊपर क्यों लिया। हमारे प्रदेश में एलेक्शन आने वाला है और हमेशा यह होता है कि एलेक्शन जब करीब होता है तो सरकार अपनी नीतियों को बदलती है और वह नीति अख्तियार करती है जिसके जरिये ज्यादा से ज्यादा वोट हासिल किये जांय। चाहे एलेक्शन के बाद उन नीतियों को बदल दिया जाय। तो इस वक्त सरकार ने जो यह नीति अपनायी जिसके जरिये वह किसानों से एक फिक्स्ड कीमत पर गल्ला ले रही है वह किसके लिये? अगर सरकार को यह डर होता कि किसानों को जो गल्ला देना है वह उस कीमत पर नही देंगे जो हमने मुकर्रर किया है और उसको पसन्द नही है तो वह सरकार के खिलाफ सोच सकते हैं और आयन्दा हमें वोट मांगने के लिये उनके पास जाना है।

हमें किसानों के पास वोट मांगने के लिये जाना है इधर जो मेम्बरान बैठे हुये हैं उनको तो जनता के पास वोट मांगने जाना ही है। हम कहते हैं कि आप इस सरकार की इस नीति को कामयाब बनाने की कोशिश करें जिससे किसान भी हमसे नाराज न हो और वह हमारे ऊपर

श्रीमती कुदसिया बेगम]

यह एतराज न करें कि आप की सरकार ने हमें गल्ले की कम कीमत दी है। लेकिन सवाल यह उठता है कि एक तरफ हमारे बिरोधी दल के लोग रात दिन चीखते हैं कि हर चीज की कीमत बढ़ती चली जा रही है, तमाम खाने पीने की चीजों की कीमत ही नहीं बल्कि कपड़ें और तमाम जितनी भी जरूरियात जिन्दगी की चीजें हैं उनकी कीमत बढ़ती चली जा रही है और दूसरी तरफ अगर सरकार कीमतों के ऊपर कोई प्रतिबन्ध लगाती है तो इस तरह की बातें की जाती हैं। क्योंकि इसमें कोई दो रायें नहीं हो सकती कि जितनी भी जरूरियात जिन्दगी की चीजें हैं वे निर्भर करती हैं गल्ले की कीमत के ऊपर और अगर गल्ले की कीमत गिर रही है या एक हद रही और ऊंची नही गयी तो लामुहाला दूसरी चीजों की कीमत कम होगी। अगर सरकार ने यह नीति अख्तियार की है तो वह किसके हित में अख्तियार की है?

मैं विरोधी दल के सभी मेंम्बरों से पूंछना चाहती हूं कि वे अपने दिलों पर हाथ रखें और देखें कि सरकार ने जो इतना बड़ा कदम उठाया है वह किसके लिये है? वह सिर्फ इस लिये है कि जनता का फायदा हो और किसान अपनी जिम्मेंदारी को ठीक प्रकार से समझे। मैंने उस दिन भी किसानों से कहा था कि आपकी इस बात की जिम्मेंदारी होनी चाहिये कि आप शहर में रहने वालों के लिये खाना मुहइया करें क्योंकि किसान को तो थोड़ा बहुत दोनों वक्त का खाना मिल ही सकता है क्योंकि वह गल्ला पैदा करता है। आज जो फसल हुई है, जैसे अरहर को बेचकर किसानों ने अपनी मालगुजारी अदा कर दी, तो दूसरी जो फसल उसके पास है यह देखने की बात है कि वह अपनी जरूरत से ज्यादा जो गल्ला उसके पास है उसको वह खुशी के साथ लेकर आवे मारकेट में और बेंच जाय। सरकार ने जो यह कीमत मुकर्रर की है वह बहुत सोच समझकर की है। क्योंकि अगर उसने 100,110 रुपये क्विंटल पर अपना गल्ला बेंच दिया और फिर अपनी जरूरत के वक्त जब उसे लेने के लिये जाता है तो उसकी कीमत गिर जाती है।

साथ ही घर में रखने से उसमे घुन वगैरह लग जाता है और बरसात में भी गल्ला खराब हो जाता है क्योंकि उसके पास घर में इतनी जगह गल्ला रखने के लिये होती नहीं है जिससे उसको वही कीमत मिलती है जितनी कीमत देने का सरकार ने फैसला कर लिया है। इस तरह से उसको वही कीमत हासिल हो जाती है। जनाबेवाला, मैं आपकी शुक्रगुजार हूं सिर्फ एक बात और अर्ज करना चाहती हूं कि हमारे विरोधी दल के लोग इसको राजनीतिक तरीके से न देखें बल्कि इस तरह से देखें कि इसमें जनता का फायदा है, उनको फाके से बचाने के लिए, और इस सरकार की नीति को सफल बनाने में इस तरह से हाथ बटावें। इतना हम जरूर चाहते हैं कि देहाती क्षेत्र में जरूरयात जिन्दगी की जो और चीज हैं, जैसे केरासिन आयल हैं, जैसे शक्कर है कपड़ा है, सीमेंट है, उनकी वहां आजकल बहुत कमी है। मैं मुख्य मन्त्री जी से कहूंगा कि वह इन चीजों का काश्तकार के पास भिजवाने का इन्तजाम कर। 1945-46 में गवर्नमेंट ने जब कन्ट्रोल किया था उस वक्त भी उसने इन चीजों को देने का वायदा किया था और खुशी-खुशी काश्तकार गल्ला लेकर आया था। कीमतों पर न जाकर यह देखना चाहिये कि आगे चलकर भी यही कीमत मिलेगी। भानु प्रताप सिंह जी बैठे हुए, वे जानते हैं कि मिडिल मैन कितना फायदा उठाता है और काश्तकार को बहुत कम मिलता है। 15-20 रुपए वह खुद रख लेता है। इसको कम करने के लिए सरकार ने कीमतें तय की हैं जो मेरे ख्याल से सही है। अगर हमारे विरोधी दल के लोग गलत प्रोपोगंडा न करें तो कोई शक नहीं है, वैसे भी ज्यादा से ज्यादा गल्ला आ रहा है, और आयेगा। अभी किसान देख रहा है कि क्या हालत है? हमें जितनी पैदावार की उम्मीद थी उतनी नहीं हुई है। इसलिए हम मजबूर हैं। लेकिन नाउम्मीद नहीं हैं। क्योंकि हम समझते है कि आखिर में गल्ला आयेगा। जब मिडिल मैन देख लेगा कि ज्यादा कीमत पर गल्ला बेचने का अख्तियार नहीं है तो वह गवनमेंट को अपना सहयोग देगा। इन अल्फाज के साथ में उम्मीद करती हूं कि सरकार की नीति कामयाब होगी और गलत तरीके से प्रोपोगंडा न किया जाय।

*श्री अनन्तराम जायसवाल—

माननीय उपाध्यक्ष जी देश के सूबे की सरकारों से लेकर प्रधान मन्त्री ने देश में अनेक बार धारा प्रवाह में अपने भाषण के जरिये और देश में घूम-घूम कर बतलाया है कि देश अन्न के मामलें में स्वावलम्बी हो जायेगा। एक बार नहीं बल्कि अनेक बार इस बात को कहा गया है। लेकिन आज हालत यह है कि चारों तरफ हूहू मची हुई है। खाली अनाज की ही कमी नहीं है बल्कि कोयले तक जितनी भी जीवनोपयोगी वस्तुयें हैं, उनका अभाव है, अकाल है। इससे साफ मतलब निकलता है कि मन्त्री लोग घोषणा कर देते हैं, लेकिन उसके मुताबिक कभी काम नहीं करते हैं, उसके मुताबिक नीति नहीं बनाते हैं।

जहां तक अन्न का मामला है मैं कहना चाहूंगा कि अन्न की समस्या, भूख की समस्या, शायद यह समझते भी नहीं हैं। क्या कारण है कि हम अन्न की पैदावार नहीं पढ़ा पा रहे हैं ? खाली सवाल यह नहीं है कि आपने थोक गल्ला व्यापार का अधिग्रहण कर लिया, इससे जुड़े हुए कई सवाल हैं। गद्दी नशीन पार्टी की तरफ से बताया जा रहा है कि गल्ला व्यापार को लेकर सरकार ने एक बड़ा क्रान्तिकारी कदम उठाया है और जो इसकी मुखालफत कर रहे हैं, ये प्रतिक्रियावादी हैं। इसी चीज पर सीमित होकर चर्चा चल रही है। मैं चाहता हूं कि हम लोग इससे आगे जायं।

सवाल यह है कि अन्न की पैदावार हम क्यों नहीं बढ़ा पा रहे हैं मैं कहना चाहूंगा कि सरकार की कोई नीति नहीं रही है और जहां तक खेती का सम्बन्ध है, इसको दो हिस्सों में बांटना होता है यानी ऐसी जमीन जिस पर पहले से खेती हो रही थी, उसको ध्यान में रखा होता कि जब तक इस खेती को पूरा पानी नहीं दिया जायगा तब तक अन्न का उत्पादन बढ़ नहीं सकता है।

बड़े-बड़े विशेषज्ञों की राय है कि इस देश में बड़े-बड़े बांधों से केवल 10 या 15 फीसदी तक ही सिंचाई हो सकती है और खेती को पानी मिल सकता है लेकिन पहली योजना जब आयी तो उसमें केवल बड़े-बड़े बंधों पर जोर दिया गया। जो सिंचाई के विषय में सबसे बड़े विशेषज्ञ हैं उनकी राय भी नहीं मानी गयी और पहली योजना में तो बड़े बांध आये उसके बाद भी जितनी मात्रा में तालाब और कुओं का निर्माण होना चाहिये था, सरकार ने उस पर भी पूरा ध्यान नहीं दिया। नतीजा आज साफ है कि आज पूरे देश के स्तर पर भी और इस प्रदेश के स्तर पर भी सिर्फ चार-पांच आना जमीन ऐसी होगी जिस पर सिंचाई की सुविधा हो बाकी 12–11 आना जमीन पर वह सुविधा नहीं है।

पिछली फसल की खरीफ पानी के अभाव में स्वाहा हो गयी और आपने एलान किया था कि रबी की फसल में वह कमी पूरी हो जावेगी लेकिन वह कभी तो पूरी नहीं हुई, इन्होंने खुद स्वीकार किया है बाद में कि गल्ला इसलिये पूरा नहीं हुआ कि पानी ही उपलब्ध नहीं हुआ, खाद भी उपलब्ध नहीं हुई। यह तो हुआ पुरानी खेती के बारे में। लेकिन वह जमीन जिस पर खेती हो सकती थी, खेती के लायक जमीन थी लेकिन उस पर काश्त नहीं हो रही थी। उसके लिये सबसे पहले डाक्टर लोहिया ने सुझाव दिया था कि 8, 10 अरब रुपया खर्च करके 7–8 लाख पलटन खेतिहरों की भरती करो और नयी जमीन पर खेती शुरू करो लेकिन इन लोगों ने वह सलाह नहीं मानी और अगर वह सलाह मान ली गयी होती तो जहां आज ये 10 करोड़ खाद्यान्न के लिये रो रहे हैं वहां देश में इस समय 12 करोड़ टन के करीब उत्पत्ति होती। तो मैं कह रहा हूं कि आप खेती की पैदावार को बढ़ाने में असमर्थ रहे हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री अनन्तराम जायसवाल]

अब दूसरा सवाल यह होता है कि व्यापार कैसे हो और व्यापार में सबसे पहला सवाल दाम का आता है। और दाम के मामले में तो आपकी कोई नीति ही नहीं रही है। लेकिन जहां तक उस दल का सवाल है जिसका मैं प्रतिनिधित्व यहां पर कर रहा हूं, जहां तक उसके नेता का सवाल है सगूचे देश में वह अकेला व्यक्ति रहा है जिसने सबसे पहले कहा था कि फसल के समय और फसल के अन्त में 20 सैकड़े से ज्यादा दाम में अन्तर नहीं रहना चाहिये लेकिन उस बात को किसी ने नहीं सुना। जहां तक खाद्यान्न के दाम की बात है इस तरह से लूट मची है कि किसान के घर में जब तक अनाज है तब तक दाम बजाय बढ़ने के गिरताहै और बीज के भाव में और व्यापारी के पास जब पहुंच जाता है तो उसी गल्ले का भाव 10 फीसदी, 20 फीसदी, 25 फीसदी का फर्क नहीं होता है दुगना, ढ़ाई गुना तक दाम हो जाता है। यह बराबर लूट होती रही दामों की और इससे न केवल किसान लुटता रहा, मजदूर भी लटता रहा, शहरवाले भी लुटते रहे, सभी लुटते रहे लेकिन वह दाम नीति नहीं चलसकी और जिन लोगों से व्यापारी लोग हाथ मिला कर भी दाम नीति नहीं चल रही है। तो मैंने शुरू में कहा है कि इस तरह से व्यापार से लाभ नहीं मिलने वाला है। किसान को उसके दाम नहीं मिल रहे हैं, और अगर इस कसौटी पर जब इसे कसा जायगा तो जो दाम मिल रहे हैं वह उसके लिये उपयुक्त नहीं है और यही कारण है कि जिसकी वजह से आपको आज गेहूं नहीं मिल रहा है। आज भी सरकार की यह सलाह है यद्यपि यह उसके वश की बात नहीं है वह केन्द्रीय सरकार से कहे कि अगर वह सचमुच में समाजवादी है और वह जन कल्याण चाहती है तो वह दाम निश्चित करे कि फसल के वक्त जो दाम किसान को मिलेगा उससे फसल के अन्त तक 20 फी सैकड़ा से ज्यादा उसके दाम में बढ़ती नहीं होगी।

दूसरा उसूल दाम की नीति का यह भी है कि खेती से पैदा की हुई चीजों के दाम और कारखाने से बनी चीजों के जो दाम हैं उनमें संतलन स्थापित किया जाय। लेकिन जो खेतिहर आदमी हैं, कारखाने के आदमी हैं उनमें संतुलन स्थापित किया जाय लेकिन आज खेतिहर और कारखाने के आदमी में कोई संतुलन नहीं है। किसान की परेशानी का सब से बड़ा कारण यह भी है कि जितनी उसकी आवश्यकता की चीजें हैं, खाद, पानी, बिजली, औजार, कपड़ा, बीज, सीमेन्ट वगैरा सब के दाम बराबर बढ़ते जा रहे हैं और दाम बढ़ने का अब तो हालत यह है कि दामों का एक ऐसा काश्रोस है कि जिस की वजह से जितनी बढ़ती दामों की पहले साल भर में होती थी उतनी अब प्रतिमास हो रही है। आज बढ़ी हुई कीमतों से हर आदमी परेशान है, इस तरह के हालात इन्होंने पैदा कर दिये हैं। अगर सचमुच आप क्रांति लाना चाहते हैं, मुझे तो केवल शक नहीं है बल्कि पूरा विश्वास है कि जिनका प्रतिनिधित्व यह कर रहे हैं उनके अहित में यह कोई दाम नीति चला नहीं सकते, यह तो पूंजीवादी लोगों के सामन्तों के एजेंट हैं, यह उस के आदमी हैं, यह कभी भी कोई दाम नीति ऐसी चला नहीं सकते कि जो जन कल्याणकारी हो, यह मेरा उनके ऊपर आरोप है।

फिर एक सवाल यह है कि व्यापार कौन करे। नेगी जी खुश हो जायेंगे शायद यह उनका विचार है कि सरकार अधिक व्यापार अपने हाथ में ले लें। महाभारत के काल में 4 हजार वर्ष पहले लिखा है कि राजा गल्ले का थोक व्यापार किया करते थे और यह समझते हैं कि इन्होंने थोक व्यापार लेकर बड़ा भारी तीर मार दिया है और निजी लोगों से लेकर व्यापार को सरकार के लोगों के हाथ में दे दिया है। लेकिन अन्तर क्या पड़ा? अगर निजी लोग भ्रष्ट हैं तो क्या सरकार और उसके आदमी उनसे ज्यादा भ्रष्ट नहीं हैं? एक भ्रष्ट आदमी से व्यापार निकालकर दूसरे भ्रष्ट को दिया जाय और उसके साथ दाम नीति न बंधे तो उस व्यापार से कोई फल नहीं निकलने वाला है। इस विषय में मैंने पहले भी कहा था कि आप का यह व्यापार विफल होकर रहेगा और वह विफलता आपके सामने है।

यहां से घोषणा की गयी कि गेहूं के खरीद के दाम 74–76 रुपये प्रति क्विंटल होंगे और बाद में आपने उसमें संशोधन किया कि अच्छे गेहूं के लिये 82 रुपया दिया जायगा। उसके बाद कहा

गया कि ढुलाई के करीब 2रुपया प्रति क्विंटल के हिसाब से दिये जायेंगे और चुंगी और लोकल टैक्स भी देंगे, गेहूं की सफाई जो पहले किसान पर लादी गई थी उसका भी खर्च सरकार उठायेगी। इस तरह से इन्होंने थोड़ा सा संशोधन दामों में किया है लेकिन और चीजों के दामों के मुकाबले में किसान को उचित दाम अब भी नहीं मिल रहे हैं। उपभोक्ता के लिये भी इन्होंने एलान किया था कि उन को 86 रुपया प्रति क्विंटल या 86 पैसे प्रति किलो गेहूं उपलब्ध कराया जायगा लेकिन आज इस भाव में कहां उनको गेहूं मिल रहा है ? मन्त्री जी यकीन करें कि जितनी राशन की दुकानें हैं उनके कहने के मताबिक 1 करोड़ लोगों के लिये गल्ला है, लेकिन कहीं भी गल्ला नहीं है। सरकार के पास कोई सुरक्षित भंडार नहीं है और इन्हें हमेशा केन्द्र का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन केन्द्र भी प्रदेश की जितनी जरूरत है उस का एक तिहाई ही यहां के लिये देता रहा है। 21 लाख टन हमें मिलना चाहिये था जबकि केवल 7 लाख टन ही मिला है। दोष दिया जाता है कि गल्ला बेचने वाले, सप्लाई आफिसर या जिला स्तर के अन्य अधिकारी गलती करते हैं लेकिन यह गलती इन में से किसी की नहीं है,यह आप की गलती है,आप गेहूं दे नहीं पा रहे हैं लोग बड़ी-बड़ी लाइन लगाये कई-कई दिन तक खड़े रहते हैं और उनको गेहूं नहीं मिलता। असल कारण आप का है, आप की नीति विफल हो रही है, आप जो घमंड में गलत एलान करते हैं, जनता में जाकर आप एलान करते हैं कि हम अन्न के मामले में स्वावलम्बी हो गये, इस घमंड का आप यह फल भोग रहे हैं।

इन्होंने यह भी एलान कर दिया है कि हम बाहर भेजने लगेंगे लेकिन आज आप दाने दाने को तरस रहे हैं, दुनिया में भागे-भागे फिर रहे हैं। देश में आज भुखमरी है, आप खुशामद करेंगे लेकिन फिर भी आपको गेहूं नहीं मिल पायेगा। आखिर आपने यह जिम्मेदारी ली क्यों? भुखमरी के मुताल्लिक भी आप नहीं समझते हैं। आप कह देते हैं कि नैसर्गिक मौत से मर गये। आप घोषणा करते हैं कि भूख से नहीं मरने देंगे लेकिन लोग बराबर भूख से मरते गये हैं। इस देश में कम से कम 4–5 लाख आदमी भुखमरी से मरते रहे हैं, इसके शिकार होते रहे हैं। आप भुखमरी को एक घटना मानते हैं लेकिन मैं कहता हूं कि वह एक सिलसिला होता है। अगर आज दिन भर एक आदमी भूखा रहा और शाम को उसे एक या डेढ़ छटांक मिल जाता है और फिर इसी प्रकार दूसरे दिन भी भूखा रहता है और शाम को एक डेढ़ छटांक भोजन मिल जाता है तो यह सिलसिला 2, 3 या 4 महीने अगर चलता है तो धीरे-धीरे उसका प्राणान्त हो जाता है लेकिन आप फिर यह कहते हैं कि वह नैसर्गिक मौत से मरा है।

यह अभी तक आपकी परिभाषा रही है। आप लोगों को बराबर भूख से मारते रहे हैं क्योंकि न आपकी कोई खेती की नीति रही है और न आपकी कोई दाम नीति रही है। यह प्रदेश ऐसे कगार पर खड़ा है और मुझे दुख है कि विरोधी दल जन विद्रोह को उभार नहीं सके उसी प्रकार से जाति प्रथा जो है, उसके कारण भी यहां पर विद्रोह नहीं हो रहा है। भूख से लोग चल रहे है, मर रहे हैं। वे लोग ऐसे हैं जिनमें शक्ति नहीं है वे उठ नहीं सकते हैं न उनकी जाति में कोई नेता ही आ पाता है और न कोई उनका अगुवा ही बन पाता है। जब तक शक्ति रहे और उसके रहते-रहते उन्हें सरकार के सामने आना चाहिये। वे सत्याग्रह करें, उनके पास शक्ति नहीं है। मुझे अत्यन्त क्षोभ है कि आपने आज हालत ऐसी कर दी है। इस कांग्रेसी सरकार से बढ़ कर कोई पूंजी परस्त जमायत और सामान्तवादी जमायत नहीं है। सामन्तवाद की तारीफ यह है कि इसमें पैदावार को नफे के लिये करते हैं, आवश्यकतानुसार नहीं। हमारी अविकसित अर्थ व्यवस्था में नफे की कोई गुंजायश नहीं है। इसीलिये हमारी फैक्टरीज मर रही है, पैदावार घट रही है। कपड़े की कीमत, सीमेंट की कीमत, चीनी की कीमत, तेल की कीमत ये सब बराबर बढ़ रही हैं। (लाल बत्ती होने पर) भोजन, मुझे कुछ और समय दे दीजिए ? मैं बहुत जल्दी में अपनी बात को समाप्त कर दूंगा।

[श्री अनन्त राम जायसवाल]

तो मैं कह रहा था कि यह पूंजीवाद नफे के लिये पैदा कर सकता है और हिन्दुस्तान जैसे अविकसित देश में जहां लोगों की ऐसी आवश्यकता जैसे अनाज है, घर है, या साधारण लोगों की आवश्यकता की चीजें है, उनको वे पैदा कर ही नहीं सकते हैं। वे पैदा करते है नफे के लिये जैसे दवाई और सिनेमा वगैरह है और अनाज भर कर ये लोग आज सट्टेबाजी में लगे हुये हैं। सट्टेबाजी अनाज के व्यापार में ही आप कहते हैं लेकिन वह भोजन के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में और यहां तक कि बच्चों के मामले में भी सट्टेबाजी चलती है।

इस तरह से सट्टेबाजी चलती है। ये सट्टेबाजी के हितैषी हैं। स्कूल की किताबों को ले लीजिये। सारा का सारा कोर्स और किताबें साल के साल बदलती रहती है कि जिससे इनके प्रकाशकों और लेखकों को पैसा मिलता रहे। इस तरह से सट्टेबाजी देश में चल रही है। इस तरह के पेशे बनाये हैं। इतना ही नहीं, आज आदमी, आधा आदमी और आधा घोड़ा बन गया है। ढुलाई का काम आदमी करने लगा है। रिक्शा चलाने वाला आधा आदमी और आधा घोड़ा, आपके राज्य का प्रतीक है, इससे अच्छा काम का निर्माण कोई पूंजीवादी सरकार नहीं कर सकती, लेकिन वह काम आपने अपने यहां कर दिया है। राज्य सभा, पार्लियामेंट, सभी जगह पूंजीवादी लोग, या आपके आदमी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विद्यमान है। आप वही गोरों की तरह विलासिता के छोटे-छोटे टापू बना रहे हैं और खुश होते हैं कि दिल्ली को हमने संवारा है, लखनऊ को हमने संवारा है और उसी तरह के मकान, टेलीफोन, रेडियो आदि के पीछे शक्ति और श्रम को नष्ट कर रहे हैं। मान्यवर, यह महज गोरों की नकल है। जब तक इसमें संशोधन नहीं करेंगे, यह पूजीवादी और सांमन्तवादी व्यवस्था को जब तक समाप्त नहीं करेंगे, तब तक हमारे देश का उत्थान नहीं हो सकता, तब तक हमारे देश से भुखमरी नहीं जा सकती और लोग भूख से मरते रहें और दामों की लूट बराबर चलती रहेगी।

मान्यवर, दामों की लूट क्यों चल रही है? आप जन-कल्याणकारी नीति क्यों नहीं बना पा रहे हैं? और मान्यवर, मैं कहता हूं कि वह आप नहीं कर सकते हैं। आज विधान सभाओं में और पार्लियामेंट में बड़े आदमियों का ही बहुमत है, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में। वे इस तरह के कानून बनने ही नहीं देंगे, कि जिससे जन-कल्याण हो सके और भुखमरी को खतम किया जा सके। जब तक हमारे खेतों को पूंजी की आवश्यकता है, जब तक कारखानों को पूंजी की आवश्यकता है, जब नये-नये उद्योग धंधों के लिये पूंजी की आवश्यकता है, तब तक किसी को विलासी खर्च की इजाजत नहीं होगी, और वह पाप माना जायेगा, जरूरत है आज इस तरह की विचारधारा हरेक व्यक्ति के दिल और दिमाग में बिठाने की। लेकिन मान्यवर, हो क्या रहा है आज? मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि वे कभी यहीं लखनऊ में शक्ति भवन में तो जरा जाकर देखें। चारों ओर विलासिता का सामाज्य है। जो एश्वर्य आप को भी नसीब नहीं है, वह आज वहां के नौकर को, जो कि जनसेवक ह, प्राप्त है। दरी, कालीन, कूलर, स्पीको फोन, ये सभी विलासिताप्रद सामग्रियां वहां मौजूद हैं। जो धन आपको देश की पैदावार में लगाना चाहिये, आज वह खर्च हो रहा है विलासिता के पीछे। इस महंगाई का कोई भी असर वहां दिखाई नहीं देता। अगर इन बातों की ओर थोड़ा ध्यान दें, तो उनके दिमाग थोड़ा दरुस्त होंगे और विलासिता के प्रति खर्च बंद होगा।

मान्यवर, यहां लखनऊ में दूध की त्राहि त्राहि मची है। 8 से लेकर 11 तारीख हो रही है आज, दूध लोगों को नही मिल रहा है। दूधवालों की मोटी मांग है कि उनके लिये बैठने का स्थान मिले और उनका शोषण जो होता है, दूध के दामों के बारे में, वह बन्द किया जाय। 1.15 पैसे मे जो डेरी के लिये दूध उनसे खरीदा जाता है, वह 1.80 पैसे फी लीटर के हिसाब से जनता को दिया जाता है और इस तरह से उनको उचित दाम नही मिलते और उनका शोषण हो रहा है। दूसरी मांग उनकी है खोये के नियंत्रण को लखनऊ से हटाने की। खोये पर रोक हटा ली

जाय, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मान्यवर, आज 5 हजार दूध-बिक्रेता जो बारह हजार लीटर दूध की सप्लाई करते हैं, 4 दिनों से हड़ताल कर रहे हैं।

डेयरी वाले मुश्किल से 25–30 लीटर दूध की पूर्ति कर सकते हैं। लखनऊ में त्राहि त्राहि मची हुई है। आज 4 दिन हो गये लेकिन उनकी मागों को पूरा करने की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जब कि पहली दो मांगों को पूरा करने के लिये कोई पैसा खर्च होने वाला नहीं है तथा तीसरी में भी कोई असर पड़ने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी यह लोग ऊंगली डाले बैठे हुये हैं। अब तो इन्होंने दमन का रास्ता अपना लिया है। 60–70 आदमियों को इन्होंने गिफ्तार कर लिया है, साइकिल छीन ली है और पुलिस इनको मार रही है। इससे समस्या हल होने वाली नहीं है, बल्कि आग में घी का काम कर रही है, इसलिये मुझे फिर अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि बिरोधियों में आज ताकत नहीं है। लोग भूखों मर रहे हैं, यह सरकार कपड़ा नहीं दे सकती, खाना नहीं दे सकती, लेकिन फिर भी कायम है। इसका कारण विरोध की कमजोरी है, ऐसा मैं मानता हूं।

एक बात मैं और कहूंगा बड़ें अधिकार के साथ कि आपके यहां एक अधिकारी ने एक सर्कुलर निकाला है जिसमें जिला अधिकारी को यह हिदायत दी है कि शादी व्याह के लिये जब कोई किसान चीनी के लिये परमिट लेने आवे तो उससे 10 किलो चीनी के लिये एक क्विंटल गेहूं अवश्य लिया जाय। उसमें यह हिदायत भी है कि इस सर्कुलर को पढ़कर फाड़ दिया जाय। इस तरह से किसानों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। मैं उस डाकूमेन्ट को आपको दूंगा और शर्त यह है कि उस अधिकारी को अवश्य सजा दी जाय। मैं कल या शाम तक अवश्य उप लब्ध करा दूंगा। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री राम कुमार शास्त्री—

मान्यवर, मुझे अभी तक सदन में बोलने का मौका नहीं मिला। मैं यहां आज शुबह से बैठा हुआ हूं और मैं बराबर खड़ा होता रहा हूं।

श्री उपाध्याय—

यह तो सब के लिये है। इसके अलावा जो लिस्ट भेजी गयी है उसमें आपका नाम श्री शिव राज सिंह के बाद लिखा हुआ है। आप कृपया बैठ जायं।

श्री शिवराज सिंह (जिला बदायूं)—

मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, श्रीमन्, जब मैंने नेता बिरोधी दल का भाषण सुना। यद्यपि मैं उन्हें प्रदेश के कृषक वर्ग और कमजोर तबके का हिमायती मानता हूं इसी नाते मैं यह अपेक्षा करता था कि जहां तक शासन द्वारा थोक व्यापार अधिग्रहण की योजना का सम्बन्ध है वह सिद्धान्त रूप में इसका समर्थन करेंगे और इसके प्रारूप के संबन्ध में वे आलोचना करेंगे। मान्यवर, प्रश्नगत योजना पर ठीक तरह से बिचार करने के लिये उसे तीन भागों में बांट कर बहस होनी चाहिये। प्रथम यह योजना संविधान की दृष्टि से और समाजवाद के सिद्धान्त की दृष्टि से उचित है या नहीं है ?

दूसरा आज देश के अन्दर और राज्य के अन्दर यहां तक वे परिस्थितियां उत्पन्न हो गयीं हैं जिनके तहत में इस योजना को क्रियान्वित करना सामयिक है ? और तीसरी चीज यह है कि इस योजना का जो प्रारुप है उसमें कहां कहां त्रुटि है। मान्यवर, मैं यह भ्रांन्ति दूर कर देना चाहता हूं कि यह योजना इस वर्ष के खाद्यानों के अभाव की पूर्ति करने के लिये चलाई गई है, ऐसा मेरा विश्वास नही है। यह योजना संविधान के अनुच्छेद 39 (बी0) (सी0) जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं उसके उद्देश्य के अनुपालन में बनाई गयी हैं।

[श्री शिवराजसिंह]

मान्यवर, जैसा कि सम्मानित सदस्य जानते होंगे अनुच्छेद 39 बी0,सी0 का उद्देश्य यह है कि राज्य में जो तबका अनअर्न्ड इंकम पाता हो उसे समाप्त किया जाय, जिन तबकों का शोषण होता हो उस शोषण को समाप्त किया जाय, जिन तत्वों के पास धन तथा धन कमाने के स्रोत इकट्ठा होते हों वह तबके समाप्त किये जायं। मान्यवर, क्या यह सही है या नहीं, मा0 भानु प्रताप सिंह जी बतावें, कि उत्तर प्रदेश के अन्दर जो थोक व्यापारी थे उनकी आय प्रति कुन्तल किसान की प्रति कुन्तल आय से गत वर्षों में ज्यादा रही है। क्या यह सही है या नहीं कि खाद्यान्न का इस प्रदेश के अन्दर थोक व्यापारी वर्ग वर्ष प्रति वर्ष मालदार होता जा रहा है और किसान गरीब होता जा रहा है। क्या यह सही है या नहीं कि उपभोक्ता जो दाम देता है अगर उसका यदि हम विभिन्न भागों में विश्लेषण करें, उसका वितरण स्पेक्ट्रम बनावें, तो उसका ज्यादातर हिस्सा थोक व्यापारियों के पास जाता है। मान्यवर, इस दृष्टि से अगर देखेंगे तो इस नतीजे पर पहुंचेगें कि संविधान के अनुच्छेद 39 बी0 और सी0 के अनुपालन के लिये यह योजना चालू की जा रही है।

श्रीमन्, इस योजना की एक विशेषता और भी है अब तक संविधान में वर्णित राज्य की नीति निर्देशक तत्व जो अब तक सोये हुए रहे, जो अब तक शून्य रहे और आर्थिक नीति से सम्बन्धित जो डायरेक्टिव प्रिन्सपुल्स थे उन पर 20–22 वर्षों में बिलकुल काम नहीं हुआ था संविधान में संशोधन करके उनका अस्तित्व कायम किया गया और उनकी पूर्ति के लिये शासन हर दिशा में अग्रसर है और यह गेहूं थोक व्यापार अधिग्रहण योजना भी अनुच्छेद 39 के बी0 और सी0 के तहत में उनके उद्देश्यों के अनुपालन में लायी गयी है। अब देखना यह है कि आज जो परिस्थितियां हैं उनके तहत में यह योजना कहां तक सामयिक और मौके की है। हम जानते हैं कि 72–73 में भूतपूर्व सूखा इस प्रदेश में पड़ा था। माननीय भानुप्रताप जी ने कहा कि उनकी पैदावार तो सूखे से बढ़ गयी। लेकिन मान्यवर, प्रदेश के अन्दर सभी लोग उनकी तरह साधन संपन्न नहीं हैं। यह दुर्भाग्य ही है। यह हमारा सौभाग्य होगा कि सभी उनकी तरह से साधन संपन्न हो जायं।

श्री भानुप्रताप सिंह (जिला बस्ती)—

क्यों नहीं किसान साधन संपन्न हो सके ? किसकी जिम्मेदारी है।

श्री शिवराज सिंह—

उसमें वक्त लगेगा। हथेली पर सरसों उगाई नहीं जा सकती मान्यवर, एक बात तो यह स्वीकार कर लें कि प्राकृतिक असहयोग के कारण खाद्यान्न का उत्पादन घटा है। मान्यवर, इस बात को भी स्वीकार कर लें कि पिछले वर्ष ही नहीं इससे पूर्व आगामी वर्ष में भी प्राकृतिक असहयोग रहा है। सभी को ज्ञात है पश्चिम बंगाल में बंगला देश की जंग हुई और इसका बोझ सरकार पर पड़ा। करोड़ों लोगों को रोजाना खिलाना पड़ा और इस कारण केन्द्र और राज्य सरकार क पास पिछला फूड रिजर्व समाप्त हो गया। अब मान्यवर, हमारा जो थोक व्यापारी तबका है उसके नतिक स्तर पर भी ध्यान दें। उनका नैतिक स्तर इस प्रकार का है कि वह ट्रबल्ड वाटर में सेल करना चाहता है, मुश्किलात का फायदा उठाना चाहता है, ज्यादा मुनाफा कमाना चाहता है। उनका नैतिक स्तर इस प्रकार का नहीं था कि भावों को खुला छोड़ा जाता। इसलिये इन तीन कारणों से मैं समझता हूं कि सरकार ने बहुत ही सामयिक कदम उठाया है। अब जो विचार करने वाली बात है वह यह कि इस योजना का जो प्रारूप है वह कहां तक उचित है। उसके अन्दर सबसे महत्वपूर्ण बात है कीमत।

श्रीमन्, कीमत पर आपत्ति होती है। मैं माननीय सदस्यों से जानना चाहता हूं कि क्या यह सत्य नहीं है कि राज्य के अन्दर हर तबके के लोग चाहे कृषि क हों या उद्योग के हों सबके

सब अपना मूल्य ऊंचा चाहते हैं ? सरकारी कर्मचारी अपनी वेतन वृद्धि चाहते हैं। तो असन्तोष का एक विशस सर्किल व्याप्त है। इस विशस सर्किल को कहीं न कहीं काटना होगा। गेहूं का मूल्य 76 रु0 प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। गेहूं जिन्दगी की सबसे महत्वपूर्ण चीज है। मैं समझता हूं 76 रु0 प्रति क्विंटल गेहूं के दाम के हिसाब से जो वेतन सरकारी कर्मचारियों के हैं वे उचित हैं। मैं शासन से अनुरोध करूंगा कि 76 रु0 प्रति क्विंटल गेहूं के दाम मानकर सब चीजों के दाम निश्चित करें जैसे आबपाशी के, फर्टिलाइजर के, बिजली के। एक मुस्तकिल कदम उठाकर दामों को निश्चित करें। सब चीजों के दाम ऐसे निश्चित होने चाहिए ताकि कृषक भी जिन्दा रह सके।

श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

अगर न करें तो ?

श्री शिवराज सिंह—

अगर नहीं करते हैं तो मैं अनुरोध करूंगा कि किये जायं अन्यथा वांछित फल प्राप्त नहीं होंगे।

(श्री जगवीर सिंह के कुछ कहने का प्रयास करने पर)

मेरे पास समय नहीं है। नहीं तो में बैठ जाता। कृपया अब व्यवधान न करें।

आज किसान की जरूरयात की चीज उपलब्ध नहीं है। सीमेंट, चीनी, डाल्डा मिलने में कठिनाई हो रही है। मेरा सुझाव है कि जहां आपकी गल्ला खरीद की दुकानें हों वहां आवश्यकता की सारी चीजें उपलब्ध रहें और उचित मात्रा में उपलब्ध हों। जो किसान गल्ला लेकर आते हैं उन्हें वे चीजें कन्ट्रोल्ड प्राइस पर उपलब्ध करें। डाल्डा की बहुत कमी ह। इसका एक कारण है। मूंगफली के तेल का अभाव हो गया है। बाहर से तेल आया नहीं। मंगाना भी नहीं चाहिये। हिन्दुस्तान के लिये यह तौहीन की बात है कि जब यहां की जलवायु मूंगफली के उत्पादन के लिये उपयुक्त ह और फिर भी तेल इम्पोर्ट करना पड़े। अगर तेल इम्पोर्ट करना पड़ता है तब में कहूंगा कि शासन की योजना में गलती है। में शासन को सुझाव दूंगा कि शासन की ओर से निश्चित रूप से पकेज प्रोग्राम बनाया जाय और मूंगफली के उत्पादन के लिये इनसेंटिव दिया जाय। इनपुट्स का और बीज का प्रबन्ध हो। अगले वर्ष से यह स्कीम चलायी जाय। बुआई का मौसम बहुत करीब है। उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर मूंगफली उत्पादन की योजना चालू करनी चाहिये।

में सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि जो डाल्डा की कमी है भविष्य में वह बनी रहेगी। दूसरा मेरा सुझाव यह है कि सरकार केन्द्र के सामने बहुत दस्तबस्ता न रहे। संविधान की concurrent लिस्ट के अन्दर फूडस्टफ के नियंत्रण करने का अधिकार राज्य सरकार को भी है और केन्द्रीय सरकार को भी। मैंने देखने की कोशिश की लेकिन मुझे कहीं कोई ऐसा आदेश नहीं मिला जो केन्द्रीय सरकार की ओर से जारी किया गया हो कि राज्य सरकार अपना स्टाक नहीं बिल्ड कर सकती है। अगर ऐसा कोई आदेश है तब तो मजबूरी की बात है। अगर ऐसे आदेश केन्द्र से नहीं आये हैं तब तो राज्य सरकार निश्चित रूप से अपना रिजर्व बना सकती है। अगर नहीं बनाती है तो उसका कोई औचित्य नहीं है। हम सेन्ट्रल पूल को दें 2,14,000 टन और पायें 33,000 टन। इस सबन्ध में केन्द्र से कड़ाई के साथ राज्य सरकार को कहना चाहिये। हमारी आवश्यकता की पूर्ति में राज्य सरकार को प्रयाप्त हिस्सा मिलना चाहिये, वर्ना जो स्थिति है उसका मुकाबला नहीं कर पायेंगे।

मान्यवर, में माननीय मंत्रीजी से एक बात विशेष रूप से कहना चाहता हूं। मंत्री जी पूरे प्रदेश के मन्त्री हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि फयर प्राइस शाप्स से खाद्यान्न देंगे।

[श्री शिवराज सिंह]

केवल 2 करोड़ नागरिकों को खाद्यान्न देने की बात है। उनके दिमाग में केवल शहरी तबके के लोग हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि मंत्रीजी से कि गांवों के अन्दर क्या लैण्डलैस लेबरस नहीं हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार ही मैं उनसे कहना चाहता हूं कि लैण्डलैस लेबरर्स की संख्या बढ़ रही है। सन् 1951 में जितने टोटल वर्कर्स राज्य में थे उनका 7 प्रतिशत एग्रीकल्चरल वर्कर्स थे। सन् 1961 में बढ़कर वे 11 प्रतिशत हो गये और आज व 19 पर्सेन्ट हैं। देहात के अन्दर रहने वाले इन वर्कर्स की खाद्यान्न की आवश्यकता उन लोगों से कहीं ज्यादा है जो शहरों में 1,000–1,500 रुपये मासिक पाते हैं। उनसें उनकी मांग कहीं ज्यादा उचित है खाद्यान्न पाने की। आप निश्चित समय के अन्दर गांवों में राशन कार्ड बनवा दें और गांवों में कमजोर तबके के लोगों को और लैण्डलैस लेबरर्स को राशन देने की व्यवस्था करें।

(लाल बत्ती होने पर)

मान्यवर, 2 बात कह कर समाप्त कर दूंगा। किसान की गाड़ी से 1 किलोग्राम गेहूं नमूने के तौर पर लिया जा रहा है। इस प्रकार एक लाख क्विंटल गेहूं यानी 76 लाख रुपये का गल्ला नमूने में कृषक वर्ग का चला जायेगा। मन्त्रीजी इस ओर ध्यान दें। नमूना सरकार की खरीद से निकालें।

दूसरी बात 6 प्रतिशत शिरिविल्ड गेहूं की है। छलने इस प्रकार के लगाये जायें जिनसे 6 प्रतिशत शिरिविल्ड के अन्दर निकल जाय। मैं तो मन्त्रीजी से अनुरोध करूंगा कि वे शिरिविल्ड गहूं की भी खरीद का पूरा-पूरा प्रबन्ध कर दें। मान्यवर, मैं इन शब्दों के साथ सिद्धांतः भी इस योजना का समर्थन करता हूं। यह योजना बहुत सामयिक है और अगर सुचारुरूप से चलायी गयी तो अवश्य ही सफल होगी और संविधन के अनुच्छेद 39 (बी) तथा (सी) के उद्देशों की पूर्ति होगी।

*श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)––

मान्यवर, इस सरकार की आज स्थिति 2 जानवरों की सी है। एक जानवर होता है बरसात में जिसे मेढक कहते हैं। पानी बरसा है तो गला फाड़-फाड़ कर चिल्लाता है और दूसरा जानवर है सियारिन। वह अपशकुन समझा जाता है। ठीक वही हालत इस सरकार की है। प्रकृति साथ दे तो अनाज हो जाय। प्रकृति साथ न दे, खेती मारी जाय तो सारा दोष प्रकृति पर है। कहने का मतलब यह है कि आज तक जो भी योजना बनी इस सरकार की वह सब प्रकृति पर निर्भर थी और जब प्रकृति पर निभर होगी तो निश्चित है कि आपदा आयगी और सूखे का सामना करना पड़गा जो दशा आज भुगत रहे हैं। आज सदन में कोई माननीय सदस्य यह नहीं कहेगा कि मंहगाई नहीं बढ़ी, कोयला, चीनी, डालडा, सीमेंट मिल

(इस समय 2 बजकर 14 मिनट पर अधिष्ठाता श्री शिवराज सिंह पीठासीन हुए।)

रहा है। हिन्दुस्तान में ऐसा कोई आदमी नहीं होगा जो यह कहे कि ये चीजें मिल रही हैं। आप देखें सितम्बर 1972 और जनवरी, 1973 में कितनी दरें बढ़ीं:

	1972	1973
ज्वार	118	150
बाजरा	85	110
मक्का	78	95
चीनी	376	386
मिट्टी का तेल	520	570
बनस्पति	93	104

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

एक साल में ड्योढ़ी महंगाई बढ़ गई और अगर 1961 की प्राइसेज से तुलना करें तो महंगाई ढ़ाई गुनी बढ़ गई है। मैंने पहले भी कहा था कि यह सब मुद्रा प्रसार ज्यादा होने के कारण है। सन् 1947 में मुद्रा प्रसार 12 1/2 अरब रुपये था और बढ़कर 86 अरब हो गया। श्री सी0 डी0 देशमुख ने कहा था कि उस पर रोक लगायी जाये, परन्तु अब तक रोक नहीं लगी। कमेटी बनी। रोक लगती नहीं है। गैर विकास के कार्यों पर सारा खर्च किया जा रहा है। वित्त मंत्री जी कह रहे थे कि इतने करोड़ सरकारी कर्मचारियों को दे रहे हैं, तो उससे तो विकास होने वाला नहीं है। अगर मंत्री जी ने कहा होता कि इतने करोड़ रुपये की किसानों को खाद देंगे तो दूसरी बात थी। उससे किसान में जान आई होती। यहां का वातावरण दूसरा होता। सारा खर्च गैर विकास के कार्यों पर हो रहा है। बिजली की कमी है लेकिन सचिवालय में 350 कूलर लगे हैं। इनकी क्या जरूरत थी ? अगर हम किसान को बिजली नहीं दे सकते हैं तो कूलर की जरूरत भी नहीं थी। इन कूलरों में जिस मुटाई की चद्दर लगनी चाहिये वह न लगाकर लाखों रुपया ठेकेदार और इंजीनियर ने बचाया है और कल ही हजरतगंज में 40,000 रुपया बंटा है। बिजली की कमी थी लेकिन हरिजनों की बस्ती में बिजली लगाई गई। एक तरफ तो आप कहते हैं कि बिजली की कमी के कारण किसान के लिये बिजली नहीं है और दूसरी तरफ सारे प्रदेश में मंत्रीगण उद्घाटन करने जाते हैं और भत्ता बनाते हैं कि हरिजन बस्ती में बिजली दी गई है। जब खाने को नहीं मिल रहा है तो हरिजन बिजली लेकर क्या करेगा।

प्रधान मंत्री जी ने पिछली साल कह दिया कि हम खाद्यान्नों में आत्मनिर्भर हैं। अभी डेढ़ साल भी नहीं हुआ गल्ले की कमी पड़गई। अगर दूसरा देश होता तो प्रधान मंत्री को स्तीफा देना पड़ता। अब वह डेढ़ साल के अन्दर ही अमेरिका से गेहूं के लिये घिघिआ रही हैं। यह हालत है। आपने झूठ बोला है और अगर ऐसा किया होगा तो गल्ला बंगला देश भेजने में कठिनाई होती। जनता कहती कि उसको नहीं मिल रहा है और आप बंगला देश भेज रहे हैं। रामकरन सिंह जी इस समय नहीं है। मैं तो डंके की चोट पर कहता हूं कि हमारी समाजवाद में आस्था नहीं है और समाजवाद में आस्था के कारण ही आज जनता भुगत रही है। जो भी कार्य आपने किये हैं सभी में घाटा हुआ है। यही राष्ट्रीयकरण है। गांधी जी कहा करते थे.....

श्री रूपनाथ सिंह यादव (जिला इलाहाबाद)—

मान्यवर, इस देश में सभी चाहते हैं कि समाजवाद हो, क्योंकि समाजवाद का अर्थ सम्पन्नता होता है। तो मैं जानना चाहता हूं कि जब यह समाजवाद पार्टी में थे तो कहा करते थे, ठीक है, लेकिन अब क्या बात है।

श्री अधिष्ठाता—

यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। माननीय सदस्य जारी रखें।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

भारतीय क्रांति दल समाजवाद में नहीं गांधीवाद में विश्वास करता है। देश के लिये वह अधिक उपयुक्त है।

श्री बांकेलाल (जिला देवरिया)—

उसका तो निर्माण समाजवाद से हुआ है, तो विश्वास तो करें। क्या इनकी बुद्धि का विनाश हो गया है ?

श्री अधिष्ठाता—

मेरी आज्ञा के बिना जो भी सदस्य बोलेंगे उनका भाषण कार्यवाही का अंग नहीं बनेगा।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

मैं इन लोगों को उत्तर तो देता। इनमें से जब कोई मंत्री रहा तो फाइल ही उलटता रहा और कोई अस्पताल में नर्सों की ही सेवा करता रहा।

श्री अधिष्ठाता—

आप कृपया विषयान्तर न करें।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

मेरी समाजवाद में आस्था नहीं, गांधी जी के विचारों पर हम चलते हैं और गांधी जी कंट्रोल के खिलाफ थे। उनका कहना था कि कंट्रोल काला बाजार लेकर आता है और आज जनता ने देख लिया कि जिन-जिन चीजों पर आपने कंट्रोल किया उन्हीं चीजों का अभाव हो गया। इसका सब से बड़ा उदाहरण चीनी है। चीनी जब खुले बाजार में बिक रही थी तो दो, सवा दो रुपये किलो भाव था लेकिन आज कंट्रोल में उससे महंगी दे रहे रहे हैं। यह है आपके कंट्रोल का नतीजा। राष्ट्रीयकरण का मतलब सरकारीकरण है और हमारे रियासत भाई कहते हैं कि नौकरशाही बिल्कुल भ्रष्ट है। आप भ्रष्ट नौकर-शाही के सिपुर्द यह सारा व्यापार करना चाहते हैं। ऐसा करने से जनता को चीजें उचित दाम पर मिल सकेंगी यह बिल्कुल असम्भव है।

हमारे शिवराज सिंह जी ने कहा कि व्यापारी मालामाल हो गया। मैं तो कहता हूं कि शिवराज सिंह ऐसे बड़े-बड़े काश्तकार सबसे ज्यादा मालामाल हुये हैं। जो बड़े-बड़े काश्तकार हैं वह भी तो मंहगे रेट पर बेंचते हैं।

श्री अधिष्ठाता—

सबसे 76 रुपये में लिया जायगा। आपका समय समाप्त।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

केवल दो मिनट और। गल्ला व्यापार के लिये 21 अरब रुपये की जरूरत है। यह कहां से आयेगा। इसके अलावा इसके लिये गोदामों की जरूरत होगी और जो भी गोदाम इनके हैं वह खरीदारी के केंद्रों से बहुत दूर हैं। फिर अच्छी देखरेख की आवश्यकता होगी लाखों रुपये के कूलर्स की तो ये देखभाल कर नहीं पाते हैं, इतने बड़े कारोबार की देखरेख कैसे करेंगे प्रदेश में 440 मंडियां हैं, 40 हजार दुकानदार हैं, 1 लाख 45 हजार हिस्से-दार हैं, 1 लाख 5 हजार बनिया हैं, 1 लाख 50 हजार मजदूर हैं और 5 हजार दलाल हैं जो इस व्यापार में लगे हुये हैं। ये सारे लोग बेरोजगार हो जायेंगे। सरकार कोई व्यव-सायी संस्था नहीं है। इस चीज को वही चला सकता है जो व्यापार में निपुण हो। अभी तो आपको अपने कर्मचारियों को सिखाना पड़ेगा। आप इन सब बातों को छोड़ दीजिये। बी0के0डी0 ने आपको कर के दिखा दिया है। माननीय चौधरी साहब ने 85 रुपये पर गेहूं लेवी लगा कर इस प्रदेश को भूख से बचा लिया था, बिजली का रेट बढ़ा था, न डालडा के भाव बढ़े थे और न चीनी के दाम बढ़े थे। हमारे नेता ने यह कर दिखा दिया है।

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपको धन्यबाद देता हूं और उन अपने साथियों को भी धन्यबाद देता हूं जिन्होंने हमारी सहायता की। अधिष्ठाता महोदय, यह समय तुरशी आकर भाषण देने का नहीं है। यह संकटकाल का समय है। जब जब देश पर संकट आया है और उस संकट से निपटने के लिये सरकार ने कुछ न कुछ कदम उठाया है। जो भी

सरकार की नीतियों से विभिन्न विचार रखने वाले लोग हैं, वे सदा सरकार के कदमों में रोड़े अटकाते रहे हैं । सरकार ने चाहे कितना ही अच्छा कदम क्यों न उठाया है, उसके मार्ग में रोड़े अटकाये गये हैं । सदन के सामने पिछले उदाहरण मौजूद हैं । कार्यवाही निकलवाकर देखा जा सकता है । जब भी कोई कल्याणकारी और क्रांतिकारी कदम सरकार ने उठाया, इन लोगों ने इसका विरोध किया । मैं उनकी नीयत पर हमला नहीं करता, हो सकता है उसमें उनका कोई स्वार्थ निहित रहा हो, लेकिन ऐसे संकट के समय तो उनको इस काम में सहयोग देना चाहिये था । जमींदारी उन्मूलन के समय भी इन लोगों ने उसका डटकर विरोध किया था । यह योजना जो शुरू की गयी है बहुत सोच समझ कर की गयी है और किसानों ने जब कई बार काफी शिकायतें कीं, तब इसे लागू किया गया । गरीब किसान को उचित मूल्य नहीं मिलता था और बिचौलियों द्वारा उसका शोषण होता था । तो ऐसे समय में जब किसानों के हित के लिये ऐसा क्रांतिकारी कदम उठाया गया हो तो आप सभी को सरकार का सहयोग देना चाहिये । सरकार को कोई शौक नहीं था कि वह किसी के व्यापार को अपने हाथ में लेती । जनता और किसान को राहत पहुंचाने के लिये सरकार ने इस व्यापार को अपने हाथ में लिया ।

माननीय सदस्य, खाद्य समस्या के साथ-साथ कुछ माननीय सदस्यों ने किसान की अन्य कठिनाइयों का भी जिक्र कर दिया । आज तो जरूरत इस बात की थी कि माननीय सदस्य उस खरीद फरोख्त की खामियों और उसमें सुधार की ओर अपने सुझाव देते । कहां-कहां क्या-क्या विकृतियां हैं, कहां सुधार किया जा सकता है, इस ओर यदि माननीय सदस्य कुछ सुझाव देते तो अच्छा होता । अगर वे ऐसा करते तो अवश्य दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ जाता । मैं एक फील्ड वर्कर की हैसियत से अपने मन में यह एक पिपासा रखता था कि मैं भी मौके पर जाकर देखूं कि किस प्रकार खरीद फरोख्त हो रही है । मेरी इच्छा थी कि मैं माननीय खाद्य मंत्री जी के साथ जाकर देखता । लेकिन रुग्ण अवस्था के कारण न जा सका । मैं जिला निजामुर और देवरिया के विषय में कहना चाहता हूं । विशेषकर मैं देवरिया जिले को लेता हूं ।

देवरिया में काफी घनी आबादी है । वहां बड़ी कठिन परिस्थिति थी । आगजनी वहां हुई थी, उससे आतातरंग कुछ दूसरा ही था, उनका नुकसान हुआ था, हमारे सामने सवाल था कि उनको कैसे राहत पहुंचाऊं । तो उनके मकान बहुत जले, लेकिन उनकी जो गेहूं की फसल थी उसको बहुत थोड़ा ही नुकसान हुआ था गेहूं काफी खलिहानों में देखने को मिला । मैंने पाया कि लोग कोशिश करते हैं कि वह अपना गल्ला सरकार को दें बावजूद इसके कि समाचार पत्रों में तरह तरह की आलोचनाएं निकलती रहती हैं । मुझे इससे भी तस्कीन नहीं हुई, तो मेरा जी चाहा कि मैं पश्चिमी जिलों की तरफ जाऊं, जो हिस्से सबसे ज्यादा गेहूं पैदा करने वाले हैं । मेरठ कमिश्नरी में बुलन्दशहर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, सहारनपुर, देहरादून तो नाममात्र का गेहूं पैदा करता है, इन बाकी सभी जिलों में देखने से मालूम होता है कि अखिरकार गेहूं की बिक्री की क्या हालत है । गढ़मुक्तेश्वर जब पहुंच गया तो देखा कि वहां अभी फसल कटने को पड़ी है । बहुत सी फसल पावर न होने के वजह से थ्रेशर्स न चलने के कारण खलिहान में पड़ी हुई है । लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि बिलकुल ही नहीं हुई है । यह ठीक है कि तमाम लोग थ्रेशर्स से अपना गेहूं नहीं निकाल पाये हैं, किन्तु छोटे काश्तकारों ने बैलों की मदद से गल्ला इकट्ठा कर लिया है और उसे लेकर वे बाजारों में जाने लगे हैं । मैंने देखा है कि सारी बाधा उत्पन्न करने के बावजूद, वह सरकार को अनाज बेचने का इच्छुक है । मैंने हापुड़ भी देखा और वहां के लोगों से पूछा, 10 अन्न के बिक्री सेन्टर्स पर पहुंच, देखा सेन्टर्स में किसान गेहूं ला रहे हैं । उसका सेम्पल भी हमारे यहां रखा है, लेकिन चूंकि फसल पूरी तरह से तयार नहीं है, इसलिए कहीं कहीं थोड़ी कमी रह गई है । इसके विपरीत ऐसा भी हुआ है जैसे कि एक स्थान पर

[श्री रामकुमार शास्त्री]

7 हजार टन का टारगेट था, किन्तु इतना अधिक आया कि उसके इंचार्ज ने बताया कि हम 10 हजार टन तक ले आवेंगे । ये बातें मैं कोई अतिशयोक्ति के रूप में नहीं कह रहा हूं न किसी मुगालते में कह रहा हूं, बल्कि पूरी जानकारी और स्थान स्थान पर जाकर देखकर कह रहा हूं। यह कहना कि किसान गेहूं देने से मुखरता हं, यह तथ्य से परे की बात है।

एक इंगलैण्ड के अर्थशास्त्री ने कहा था कि उसमें कई लाभ होते हैं और कई चीज इकट्ठा होकर वह चीज होती है, किन्तु वह अंधेरी कोठरी है, उसमें हाथ डालने से सोना भी निकल सकता है और बिच्छू भी निकल सकता है । यह थोड़ी बात अवश्य है कि जो बड़ा किसान है, वह अपना अनाज अभी नहीं ले आया है। सब जगह तौलाई की व्यवस्था थी और काम सुचारु रूप से होते हुए देखा है । मैंने किसान से भी पूछा, क्योंकि विरोधी पक्ष के सदस्य ही उनके हमदर्द नहीं हैं, हम भी उनके उतने ही हमदर्द हैं और हमारे मंत्री जी भी उनके शुभ-चिन्तक है, जो कि वह बाद में अपना भाषण के समय बताएंगे । मैंने यह जानने की कोशिश की कि वह अपना पैसा समय पर पाते हैं या नहीं, पूरा पैसा पाते हैं या नहीं, आदि चेक्स ठीक तरह से पाते हैं या नहीं, उनके भुगतान में उन्हें कोई कठिनाई तो नहीं होती, इनको देखने पर मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि सब जगह सब कुछ सन्तोषजनक रूप से ठीक व्यवस्था है। यह बात जरूर है कि यह फुल-स्विम (पूर्ण रूप से) पर अभी नहीं आया है ।

यह भी है कि हमारे पास डालडा नहीं है। अपनी आश्यकताओं की पूर्ति के लिए किसान आवाज लगाता है। वह चाहता है कि जिस अनुपात से सस्ता हमारा अनाज जाता है, उसी तरह से हमको हमारे लिए अन्य जीवनोपयोगी वस्तुएं सस्ते मूल्य पर प्राप्त होनी चाहिए। इस हेतु उन्होंने अपने स्थान स्थान पर प्रस्ताव भी पास किये हैं, इस सम्बन्ध में अपने ब्लाक में पास उनका प्रस्ताव मैंने भी पढ़ा, इस पर बड़ी चर्चाएं होती हैं। लेकिन मुद्दई चुस्त और गवाह सुस्त वाली बात इसमें भी होती है। वह इसको भी देखता-भालता है। यह कहना तथ्य से बिल्कुल परे है कि किसान मुकरता जाता है या गेहूं देने से बचना चाहता है। विधि वश सुजन कुसंगति परहिं है, इन निहित स्वार्थों के बारबार भरमाने में आकर वह थोड़ा बहुत कभी कभी प्रभावित भी हो जाते ह, लेकिन वह क्षणिक होता है और ऐसे लोग नगण्य हैं ।

हर किसान सोचता है कि उसके पास साल भर का खाने का रहे और वह उतना अवश्य बचा ले। हम भी छोटे किसान ह। फिर भी बच्चों को कह आया हूं कि इसको निकाल कर सरकार को दे देना है। ताकि आगे कम बढ़ता चले। जो लोग कहते हैं, खाने भर को नहीं है, हमारे मित्र जायसवाल साहब ने यहां से बैठ तूलताल बढ़ा दिया, निष्कर्ष यही निकलता है कि स्कीम कामयाब होकर रहेगी । इसमें सहयोग सब लोगों का अपेक्षित है। जब तक सबका सहयोग नहीं होगा सफलता दूर रहेगी। आपने मुल्क के बाहर के लोगों को भी भर पेट खिलाया, लोगों के बूंद-बूंद के सहारे से हमें सफलता हुई, इसमें भी सफलता होगी। इतना ही निवेदन करना था।

श्री भानु प्रताप सिंह (बस्ती)---

अधिष्ठाता महोदय, आप जैसा जानते ही हैं में एक दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करता हूं इस सदन में इसलिए कृपा करके थोड़ा समय अधिक दीजियेगा। विशेष कर आपने मुझसे कुछ प्रश्न पूछे थे उन प्रश्नों का उत्तर देना मेरे लिए लाजमी है। वह समय कम से कम जरूर फाजिल दीजियेगा।

श्री अधिष्ठाता---

आप कोशिश करें दस मिनट में समाप्त कर दें।

श्री भानु प्रताप सिंह (बस्ती)---

यह तो आपकी कृपा पर है और मेरी निपुणता पर है।

श्री हिम्मत सिंह--

बस मिनट से ज्यादा देंगे तो हमारे लिए मुश्किल होगा।

श्री भानु प्रताप सिंह (बस्ती)--

आपने मुझसे यह प्रश्न पूछा था कि क्या यह बात सच नहीं है कि थोक व्यापारी किसान से अधिक मुनाफा करता था? जो किसान अनाज पैदा करता है उसे जितना मुनाफा होता है उससे अधिक व्यापारी को नहीं होता? श्रीमन्, इस प्रश्न का उत्तर मैं सीधे-सीधे न देकर इसी संदर्भ में आपके द्वारा माननीय खाद्य मंत्री जरा सुन लें, आपको एक चुनौती देता हूं। आप इस सदन की एक समिति बैठा दें जिसके अध्यक्ष माननीय अधिष्ठाता महोदय हों और वह जांच करके बताएं, सदस्य कोई भी हों मुझे विश्वास है, मैं इस बात की चुनौती देता हूं सरकार का खरीददारी का जो खर्चा है, खरीदारी से लेकर वितरण तक जो खर्चा है, और व्यापारियों का भी चार पांच वर्षों का मंगाकर देखें अगर उससे यह खर्चा ज्यादा हो तब तो आप मेरी बात मान लें।

श्री उमाशंकर शुक्ल (जिला शाहजहांपुर)--

यह बात शिंडे साहब ने स्वयं स्वीकार की है।

*श्री भानु प्रताप सिंह (बस्ती)--

यद्यपि मैं व्यापारियों का हिमायती नहीं हूं। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि संकट काल की स्थिति में सरकार को हक है कि राज्य व्यापार कर। लेकिन फिर भी उसको हक उसी हद तक हासिल है जब वह व्यापारियों से सस्ते दाम पर सेवा दे सके, उपभोक्ता को। मैं वह आंकड़े प्रस्तुत करना चाहता हूं। इस समय ढाई हजार के लगभग क्रय केन्द्र चल रहे हैं। प्रत्येक क्रय केन्द्र पर लगभग 8 व्यक्ति नियुक्त हैं। उनकी दैनिक मजदूरी या तनख्वाह 50 रुपये से कम नहीं बैठती है। ढाई हजार को पचास से गुणा कीजिये। सवाल लाख रुपया केवल खरीदारी के जितने सेंटर हैं उन पर काम करने वालों का वेतन होता है।

इसके अतिरिक्त उस जमीन का किराया, पेट्रोमैक्स लैम्प, इत्यादि बहुत से खर्चे हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा कोई छोटा से छोटा समाचार-पत्र या साप्ताहिक नहीं बचा जिसमें सरकार ने लम्बे-लम्बे ऐडवर्टिजमेंट्स नहीं छपाये हैं। फिर इसके अलावा इन लोगों के जो दौरे हुए हैं उनका खर्चा जोड़ा जाय। तो मैं यह कह सकता हूं कि अब तक जो कुछ उन्होंने प्रोक्योरमेंट किया है, सिर्फ प्रोक्योरमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन अभी बाकी है, 30 रुपये प्रति क्विंटल केवल एकत्र करने में व्यय किया है। यह बात दूसरी है कि खाद्य मंत्री जवाब दें तो कह दें वह तो कोआपरेटिव का नौकर है। वह एफ० सी० आई० का नौकर है मुझे इससे सम्बन्ध नहीं जितने घंटे काम करता है उसकी मजदूरी पाता है, चाहे जिस सूत्र से आता हो उस इस व्यापार पर लगाया जाय और अगर यदि वह खर्चा व्यापारियों के पिछले तीन साल के मुनाफे से कम है तो मैं आपका समर्थक बन जाऊंगा।

दूसरी बात आपने यह कही और हर हाइनेस बेगम एजाज रसूल ने भी कही कि गेहूं का मूल्य इसलिये निश्चित किया जाता है जिससे और चीजों की कीमतें गिर जायं। मैं कल के बाजार के भाव जो विभिन्न मंडियों में ये खुले बाजार में उनको पेश कर रहा हूं ---मिर्जापुर 116 रु०, इलाहाबाद 110, सीतापुर 103, कानपुर 100, गोरखपुर 90, वाराणसी 132, लखनऊ 98, बांदा 85, बदायूं 88, मेरठ 86, तथा मुजफ्फरनगर 91 रु०। इनका अगर औसत निकाल जाय तो 100 से कम नहीं निकलेगा और सरकार 76 में खरीदना चाहती है लगभग 25 प्रतिशत कम में। मैं खाद्य मंत्री को फिर चुनौती देना चाहता हूं वह स्वीकार कर लें तो हिमायती बन

---

*वक्ता के भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

[श्री भानप्रताप सिंह]

जाऊंगा और गांव-गांव जाकर यह कोशिश करूंगा और कहूंगा कि 76 ई0 में आपको गेहूं मिले अगर आप सभी भावों को 3 महीने में 25 फीसदी गिरा दें और यदि 3 महीने में 25 फीसदी भाव सभी चीजों के आप नहीं गिरा सकेंगे तो किसानों को डेफर्ड पेमेंट देंगे। है आपको यह चिनौती स्वीकार ?

अब भ्रान्तियों की बात आती है। मेरे मित्र राम कुमार शास्त्री मेरे पड़ोस के हैं। उन्होंने दो भ्रान्तियों के आरोप मेरे ऊपर लगाये, मैं भी कुछ भ्रान्तियों की ओर सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं। (व्यवधान) मैं उन भ्रान्तियों का आरोप सरकार पर लगाता हूं। अप्रैल में शुरुआत में आल इंडिया रेडियो से प्रसार किया गया कि गेहूं के भाव निरन्तर गिर रहे हैं। आखिरी सप्ताह तक सरकार ने इन्तजार किया और जब भाव नहीं गिरे तो आल इंडिया रेडियो से गेहूं के मूल्य का प्रसारण आपने बन्द कर दिया। जो पंचायती प्रोग्राम सुनते होंगे उसमें उन्होंने सुना होगा कि गेहूं का भाव सबसे पहले सुनाया जाता था लेकिन 25 अप्रैल केबाद आपने उसे बन्द कर दिया क्योंकि वह छिपने वाली बात नहीं फिर प्रचार किया और बराबर करते रहे कि पिछले वर्ष इतना प्रोक्योरमेंट हुआ था इस दफा उससे दुगुना तथा तिगुना प्रोक्योरमेंट हुआ है लेकिन आपने यह नहीं बतलाया कि मुख्य प्रोक्योरमेंट एजेंसी पार साल हड़ताल किये हुए थी और यह नहीं बतलाया कि पिछले साल खुले बाजार में कुछ गेहूं आपको मिलता था और कुछ खुले बाजार में जाता था। इस प्रकार की भ्रान्तियां पैदा करके आप किसी को धोखा देना चाहते हैं ?

श्रीमन्, मेरे पास आंकड़े हैं पिछले वर्ष और इस वर्ष के एराइवल के। मैं आपको बताना चाहता हूं कि बदायूं में 1972 में 12,500 और 1973 में 2,500, कोसीकलां में 1972 में 51,000 और 1973 में 2,000 एटा में 1972 में 13,000 और 1973 में 4,000 गोरखपुर में 1972 में 12,000 और 1973 में 2,000 क्विंटल गेहूं आया है। इसी तरह से अन्य जिलों के आंकड़े भी मेरे पास हैं लेकिन मैं टोटल बताना चाहता हूं कि पिछले वर्ष अप्रैल के महीने में 4,94,000 क्विंटल की आमदनी आपकी मन्डियों में हुई जिसकी तुलना में इस वर्ष केवल 2,63,201 यानी 53 प्रतिशत की कमी आपकी आमदनी में हुई। जैसा कि माननीय रामकुमार शास्त्री ने कहा कि किसान अपना गेहूं मन्डियों में ला रहे हैं। अच्छा है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आज किसान खुश है? आपने उनको मन्डियों में अपना गेहूं लाते हुए देखा है। कल मैं भी उन्हीं जिलों का दौरा कर के आ रहा हूं। मुजफ्फरनगर और मेरठ में जा रहा था वहां कुछ क्रय केन्द्रों पर मैंने अपनी जीप रुकवाई। एक केन्द्र पर मुझे बताया गया कि एक दाना भी गेहूं नहीं आया है, दूसरे केन्द्र पर बताया गया कि सिर्फ 2 क्विंटल गेहूं आया है, तीसरे केन्द्र पर मुझे बताया गया कि अभी उस केन्द्र पर शुरू से केवल 20 क्विंटल गेहूं आया है। मैं इसमें जाकर ज्यादा समय नहीं लेना चाहता लकिन ये आंकड़े आपके सामने हैं। जो आमदनी हुई है वह पिछले वर्ष की अपेक्षा आधी से भी कम हुई है इसका कारण अवश्य होगा।

श्रीमन्, एक भ्रांति की बात यह फैलाई गई कि थोक व्यापारी गांवों में किसानों को रुपया दे रहे हैं और वे उन्हें बहका रहे हैं जैसे कि थोक व्यापारियों के पास इतना धन हो कि सब किसानों के माल को रोक सकते हैं या वे इतने निपुण हो गये हों कि किसान उनके बहकावे में आजायें आपने यह भी कहा कि ऐसे व्यापारियों के खिलाफ कार्यवाही की जायगी लेकिन आप अभी तक कुछ भी कार्यवाही नहीं कर पाये इससे जाहिर है कि आपकी बात गलत थी। अब आपके राजनीतिक दल प्रचार कर रहे हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि उसका भी कोई प्रभाव नहीं होगा। आपको क्या इस बात को मानते हुए शर्म आती है कि किसान स्वयं महसूस कर रहा है और उसके साथ बे-इन्साफी हो रही है। वह गल्ला नहीं ला रहा है। आप इस धोखे में न रहें। आज किसान इतना नासमझ नहीं है जितना कि आप उसे समझते हैं। मैं आपसे पूछता हूं कि आपके मूल्यों का आधार क्या है? मैं बराबर इस बात को मांग करता आ रहा हूं कि आखिर आपका मूल्य निर्धारित करने का आधार क्या है ? इस बारे में कुछ नहीं बताया जाता।

श्रीमन्, सरकार द्वारा संचालित जो कृषि फार्म हैं उत्तर प्रदेश में उनमें उत्पादकता 63 रुपये 60 पैसे प्रति क्विंटल पड़ती है। मैं पूछना चाहता हूं कि जो सरकार इस मूल्य पर गेहूं पैदा करती है उसको कौन सा नैतिक अधिकार है कि वह किसान के गेहूं का मूल्य 76 रुपये प्रति-क्विंटल निर्धारित करे। विदेशों से जो गेहूं आप लेते हैं वह 86 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से पड़ता है। मैं साफ तौर से चार्ज लगाना चाहता हूं कि यह सरकार भारतीय किसानों को उसके गेहूं का उतना मूल्य भी नहीं देना चाहती और न देने के लिये तैयार है जितना कि विदेशी गेहूं का मूल्य वह दे रही है। क्या आप भारत के किसान के साथ अमरीकी किसान की तुलना करना चाहते हैं। वहां का किसान एक घंटे में 5 एकड़ में कई क्विंटल पैदा कर लेता है। अमेरिका में एक रुपये में एक गैलन पेट्रोल बिकता है, आपके यहां एक रुपये में एक लीटर बिकता है, वे किसान को 4 पैसे प्रति यूनिट बिजली देते हैं और आप 22 पैसा प्रति यूनिट देते हैं और फिर इन्टरनेशनल मूल्यों की बात करते हैं। जहां तक कृषि उपकरणों का सम्बन्ध है हिन्दुस्तान का किसान विदेशी किसान से दुगुनी और तिगुनी पैदावार कर सकता है यदि उसे वे उपकरण उपलब्ध हो जायं।

एक बात इसी सन्दर्भ में यह कहना चाहता हूं कि क्या आप भारत के इतिहास में कोई ऐसा युग बता सकते हैं जब कि किसान का गेहूं महंगा बिका हो और आपने उसको ज्यादा दाम दिये हों। आप प्रायः यह कहते हैं कि अगर हम न खरीदारी करते तो भाव नीचे और रसातल को चला जाता। आप जो खरीदारी नहीं करते हैं उसका भाव क्यों रसातल में नहीं गया? पिछले वर्ष और इस वर्ष में आप कोई अन्तर ही नहीं पाते हैं? पिछले वर्ष बड़े अभिमान के साथ सरकार ने कहा था कि यह 76 रुपये क्विंटल का जो भाव है वह सपोर्ट प्राइस के तौर पर है। हमारे माननीय यादवेन्द्र जी ने कहा था कि खरीदारी करके किसानों को सपोर्ट देना चाहते हैं। क्या सरकार को इस तरह से सपोर्ट प्राइस के आधार पर मोनोपाली प्राइस का अधिकार देना आप न्यायोचित समझते हैं? सपोर्ट प्राइस के नाम पर आप यह मोनोपोली प्राइस कर रहे हैं।

उद्देश्य सरकार ने बतलाया कि उत्पादकों और उपभोक्ताओं के बीच जो बिचौलिये हैं उनको समाप्त किया जाय। मैंने एक योजना लिपिबद्ध करके खाद्य मन्त्री जी को दी थी जिसका उद्देश्य उत्पादक और उपभोक्ता के बीच बिचौलियों को पूर्ण रूप से समाप्त करना था। उसका कुछ सारांश मैं आपको बतला देना चाहता हूं। आज आप इन बिचौलियों को समाप्त नहीं कर रहे हैं। उत्पादक और उपभोक्ता के बीच बिचौलियों के स्थान पर अब सरकार बैठ रही है और जो सेवा वह हासिल करते थे वही सेवा वह हासिल करना चाहती है लेकिन इस प्रश्न में मैं जाना नहीं चाहता। मैंने यह कहा था कि 2-4-5 सामानों के रिटेलाइसेन्स आप किसानों को दे दें और जिस भाव पर आप कहते हैं उसी भाव पर नये रिटेलर बेचेंगे। लेकिन इसका कोई जवाब मुझे नहीं दिया गया, आखिर इसका क्या कारण है कि आप अपने किसानों को सीधे उपभोक्ता को अपना गेहूं बेचने का अवसर नहीं देते।

*श्री विजयबहादुर सिंह (जिला मिर्जापुर)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज जो स्थिति है खास कर खाद्य की स्थिति है मान्यवर मैं अपने जिले की ओर आपके माध्यम से सरकार का और इस पूरे सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। मान्यवर, जिस स्थिति पर बहस हो रही है और जहां से मैं आया हूं वह जिला मिर्जापुर है वहां की जो स्थिति है उस पर प्रकाश डालने का और अपने विचार प्रकट करने का अवसर मुझे अवश्य मिलेगा। मान्यवर, इनमें कोई शक नहीं कि आज जो समय चल रहा है, एक परिवर्तन की बेला चल रही है, यह परिवर्तन का समय है। जो आरम्भ है या जैसी आरम्भ

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

[श्री विजय बहादुर सिंह]

की मंजिल होगी बहुत दूर की मंजिल होगी । अगर इसके अन्तर की कल्पना करते हैं तो यह एक परे की बात मालूम होती है । आज सरकार द्वारा जो कदम उठाया गया है, उत्पादक और उपभोक्ता के बीच जो बिचौलिये की पुरानी दीवार थी, जब वह ढहने लगी तो निश्चय है कि जो पुरानी प्रथा के पुजारी हैं उनकी परेशानी हो लेकिन जो भविष्य के द्रष्टा हैं और जिन्होंने समाजवादी समाज की कल्पना की है उनके सामने एक दूसरी मंजिल दिख पड़ने लगी ।

एक ऐसी मंजिल जिसके बारे में आज से बहुत पहले हमारे महान विचारक डाक्टर लोहिया ने कहा था कि दाम बांधों नीति अपनाओ । उस दाम नीति के पीछे उसका एक अपना ही इतिहास है । डाक्टर लोहिया जब दाम बांधों नीति की बात कहते थे तो हम लोग उनके विचारों को सुनते थे और हमारे हृदय में यह भावना प्रकट होती थी कि वह दिन कौन सा आयगा जब इस सदन में खाद्य स्थिति को लेकर और दाम बांधों नीति को लेकर कोई ऐसा प्रस्ताव आवेगा जिसका समर्थन करने का मौका पूरे देश और प्रदेश को मिलेगा । मान्यवर, जो थोक व्यापार आज राज्य व्यापार के रूप में परिणित हुआ है और जो गेहूं का दाम बांधा गया है, मैं पूछना चाहता हूं कि आज गांवों में किसानों की स्थिति क्या है ?

मान्यवर, मैं गावों में गया था और वहां मैंने देखा कि वे बिचौलिये और व्यापारी जिन घरों में किसान जाकर उनकी जीहुजूरी करते थे और कर्जे की मांग करते थे जिनसे वह आग्रह करता था कि तुम्हारे पास कितना गेहूं चना है तिलहन है, अगर हो तो खरीद ले जायें । आज आश्चर्य होता है कि वही आज 25–30 हजार की गाड़ी पर गांव में आता है और 5–10 हजार उनको दे देता है और यह कहता है कि आप खर्च कीजिये । अगर जरूरत पड़ेगी तो आप से हम अनाज ले जायेंगे । मैं कहता हूं कि अपने देश में और प्रदेश में एक योजनाबद्ध षड़ यंत्र है चाहे वह विदेशों से चल रहा हो या अपने देश में चल रहा है, जो समाजवाद की मंजिल पर पहुंचाने वाली नीति सरकार की है उसको विफल कर दिया जाय ।

खाद्यान्नों पर जो सरकार ने दाम बांधी नीति अपनाई है वह भले ही आज एफ ईट के रूप में रखी हो, जिस विचार को हमारे देश के विचारकों ने रखा है उस पर एक दिन आयगा बड़ा भवन खड़ा होगा और सरकार की दाम बांधों नीति पूर्णतया सफल होगी । आज किसानों की बात की जाती है, तो उनको पीड़ा होती है । मैं उनसे जानना चाहता हूं कि पिछले सालों में गेहूं के क्या भाव थे, चने के क्या भाव थे, सरसों और तिलहन के क्या भाव थे? कहीं 130, 150 और 200 रुपये थे । लेकिन जब किसान अपनी जरूरत के लिये उपभोक्ता होता था और बाजार में जाता था तो उसको क्या भाव मिलतो थी । जब किसान अपना सामान बाजार में लाता था तो उसको बहुत सस्ते दाम मिलते थे । आज दुगुने तिगुने भाव बढ़ गये हैं उनसे जो पिछले वर्षों में थे । बीच के लोगों को समाप्त करने के लिये जो काला धन छिपाते हैं और अपने भंडारों में गेहूं छिपा कर रखते थ और उसको बाद में उंचे दामों पर बेचते थ । वे 85 प्रतिशत किसानों क आर्थिक ढांचे पर प्रहार करते थे ।

माननीय प्रताप सिंह जी ने जो चुनौती दी है उसको हमारे मन्त्री जी स्वीकार करते और कहते कि सीमेन्ट, डालडा और अन्य चीजों के दाम घटेंगे इससे बढ़कर खुशी का दिन और नहीं होता । वे बड़े किसान हैं, यह चुनौती उनको हो सकती है, हम छोट किसान हैं, उनके गांव में ट्रैक्टर चलता है, हम तो दो जोड़ी बैल ले खेती करते हैं और 4–5 बोरे घी खाया करते हैं, उनके दिल से पूछिये वे बड़े खुश हैं और सरकार की प्रशंसा कर रहे हैं । कोई भी मुसीबत अगर आयेगी तो उसे तोड़ कर समाजवादी समाज बनाने के लिये और अपनी मंजिल पर पहुंचने के लिये वे हर तरह से तैयार हैं ।

मैं राज्यमन्त्री और खाद्य मन्त्री दोनों से निवेदन करूंगा कि वे मेरे जनपद को ध्यान देने की कृपा करें । मिर्जापुर को क्या बड़ा कष्टप्रद रही है । कभी अनाज नहीं तो कभी

पानी नहीं है । आज मैं कहना चाहता हूं कि जो जिले पानी के लिये तरस रहे हैं, जो बेकारी से ग्रस्त हैं, ऐसे पिछड़े जिलों की ओर सरकार का ध्यान जाना चाहिये । वहां के लोगों को खिलाने तथा पानी का प्रबन्ध करे और ऐसा कोई उदाहरण न आने पाये जिससे कोई भी आदमी भूख और प्यास से मर जाये । सरकार पिछड़े जिलों की ओर विशेष रूप से ध्यान दें । आज हमारी जो यह दाम बांधो नीति है यह समाजवादी समाज को देश में जल्दी लाने वाली है और प्रहार करने वालों की जो ताकत है वह नष्ट भ्रष्ट होकर रहेगी ।

(श्री यादवेन्द्रदत्त दुबे जी का नाम पुकारे जाने पर ।)

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी गढ़वाल)—

क्या हमको भी समय मिलेगा ?

श्री अधिष्ठाता—

आपको मिलेगा ।

*श्री यादवेन्द्र दत्त दुबे (जिला जौनपुर)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं बड़े ध्यान से उधर की बातें सुन रहा था इस विषय पर कि सरकारी पक्ष क्या कहता है । क्योंकि मन्त्रीगण तो एक हो ! हमलोग जानते हैं कि चुप रहो और कोई कुछ कहे जावो कुछ असर नहीं होता क्योंकि इन्हें तो पता ही नहीं है कि फड़ा क्या है एक छोटी सी बात है कि जिस सरकार का पन्तनगर विश्वविद्यालय है वहां के गेहूं के उत्पादन का क्या खर्चा पड़ता है क्या मन्त्री जी बता सकते हैं ? 120 रुपये क्विंटल है । और, वही सरकार किसानों से 70 रुपये प्रति क्विंटल गेहूं मांग रही है । किस मुंह से मांग रही है ? इनको शर्म से डूब जाना चाहिये ।

श्री अधिष्ठाता—

आपकी सूचना का आधार क्या है ?

श्री यादवेन्द्र दत्त दूबे—

मेरी सूचना का आधार पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय की जो रिपोर्ट आयी है वह है । मैं मन्त्री जी से कहता हूं कि अगर मेरी सूचना सही नहीं है तो मेरे आरोप को कंट्रेडिक्ट करें और अगर नहीं कर सकते तो मेरी सूचना सही है ।

दूसरी बात जो मैं पूछना चाहता हूं वह यह है कि यूरिया आपका 70 रुपये बोरी है, खाद 65 और 70 रुपये बिक रहा है और पानी उसी पुराने रेट से आज भी चार्ज हो रहा है और सारी चीजें इतने हाई रेट्स पर चार्ज करने के बाद किस नैतिक अधिकार से आप उनसे कम दाम पर गेहूं लेना चाहते हैं । इसका उत्तर कहीं भी मन्त्री जी से नहीं आया है क्योंकि इनके पास नैतिकता का कोई आधार नहीं है । हमारे सामने आज इन्होंने एक बड़ा लम्बा चौड़ा स्टेटमेन्ट दे दिया कि 6 किलो प्रति यूनिट प्रति मास के हिसाब से रांशन देने की व्यवस्था है और उसमें 3 किलो आटा, 3 किलो चावल और 1 किलो मोटा अनाज देने के आदेश हैं । मैं अरे भाई साहब बाबू साहब सिसवा और आजकल के समाजवादी युग के सबसे छोट किसान, क्योंकि आज सबसे छोटा किसान कहने की आदत हो गयी है पूछना चाहता हूं कि इतने अनाज से क्या आप महीने भर खा सकते हैं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

खाद्य एवं रसद मन्त्री (श्री यादवेन्द्र सिंह)—

निश्चित रूप से ।

श्री यादवेन्द्र दत्त दूबे—

फल और मिठाई को छोड़ कर और अगर इसी 6 किलो में चलायेंगे तो यह तौल निश्चित रूप से आगे से पीछे चली जायगी ।

श्री यादवेन्द्र सिंह—

वह तो जिसकी जा रही है नजर ही आ रही है ।

श्री यादवेन्द्र दत्त दूबे—

मुर्गी के अंडे, और मिठाई, फल खाकर चले तब तो 7 किलो में चल सकता है ।

श्री अधिष्ठाता—

आप अपने अनुभव से बताते होंगे ।

श्री यादवेन्द्र दत्त दूबे—

मैं तो इनके अनुभव से बताता हूं । कोई भी मेहनतकश आदमी चाहे वह रिक्शेवाला ही हो, मजदूर हो उसका काम 7 किलो में नहीं चल सकता ।

श्री यादवेन्द्र सिंह—

आपने तो रिक्शेवाले से नहीं पूछा था आपने तो बाबू साहब सिंघा से पूछा था और उसने बतला दिया कि चल सकता है ।

श्री यादवेन्द्र दत्त दुबे—

शराब की बोतल को छोड़कर उनका भी नहीं चल सकता और फिर उतना भी आप नहीं दे रहे है । क्यों नहीं दे रहे है ?

श्री अधिष्ठाता—

क्या आप उनसे परिचित हैं ? लेकिन उनकी बात इस समय छोड़ दीजिये, समय बहुत कम है आप अपनी बात कहिये ।

श्री यादवेन्द्र दत्त दूबे—

मैं उनसे सन् 1921 से परिचित हूं आज से नहीं । अधिष्ठाता महोदय, वे हमारे पड़ोसी हैं .....

श्री यादवेन्द्र सिंह—

मेरे मित्र के पास सिवाय हंसी मजाक के और कुछ कहने के लिये है ही नहीं ।

श्री यादवेन्द्र दत्त दूबे—

अगर मैं आपको छेड़ूं नहीं तो आपका मन भी तो नहीं भरता । (हंसी) खैर, मेरी बातों का इनके पास उत्तर तक नहीं है । इन्होंने जिनकी नकल की है स्टेट ट्रेडिंग के बारे में वह रूस की है । आप उसके अनुभव से ही क्यों नहीं सीखते ? उस युग का वहां का युगपुरुष लनिन ने स्टेट ट्रेडिंग शुरू किया था लकिन उनको भी साल भर पीछे अपने पैर पीछे हटाने पड़े। और एक इकनामिक पालिसी को उन्हें 1922 में लाना पड़ा । ओमन्, बेनीसिंह जो को याद होगा अगर कुर्सी पर बैठने के बाद भूल न गये होंगे तो कि न्यू इकनामिक पालिसी को इसलिये लाना पड़ा था कि उन्होंने स्वयं राज्य को ट्रेडिंग की व्यवस्था करके नहीं रखा था और जो

पुराना ढांचा था उसको उन्होंने चकनाचूर कर दिया और सरकार ने अपना कोई निर्माण किया नहीं था तो स्वाभाविक था कि आज जो स्थिति है वह हुई ।

और अन्त में लेनिन को भी अपने पैर पीछे हटाने पड़े और न्यू एकनामिक पालिसी के नाम पर फिर छोटे ट्रेडर्स को लाना पड़ा और उस समय यूक्रेन और मास्को में अकाल पड़ा था । नेगी जी चले गये नहीं तो वह इस बात की सहमति देते । उस बड़े देश में क्रांति हो चुकी और वहां यह स्टेप फेल हो गया और उसी तरह से यह यहां भी फेल हो रहा है । यह बहाना लिया जा रहा है कि दाम रोकने के लिये हम यह कर रहे हैं लेकिन दाम रोको की हालत यह है कि आपके यहां जौ का क्या भाव है, चने का क्या भाव है? चना 135 रुपया प्रति क्विंटल बिक रहा है । आप के इस स्टेट ट्रेडिंग से दाम नहीं रुकेंगे, यह दाम जो आज हर चीजों के बढ़े हैं इसका कारण इन्फ्लेशन है, उसको रोकना आपके मान की चीज नहीं रह गई है । भारत सरकार ने जो बेतहाशा नोट छाप कर कागजी कीमत बढ़ाई इसके कारण हर चीज के दाम बढ़े हैं ।

आज बाजार में आदमी जाता है तो उस को हर चीज अधिक कीमत देने पर मिल सकती है, चीनी भी मिल सकती है, घी भी मिल सकता है, गल्ला भी मिल सकता है । आज बम्बई में हालत यह है कि वहां 8 रुपये किलो गेहूं है, वह बाजार में नहीं मिलता, आप 8 रुपये के हिसाब से दाम दे दीजिये और बोरा आप के घर पहुंच जायगा । यही स्थिति यहां भी है, मैं नाम नहीं बताऊंगा लेकिन मैं राज्य खाद्य मन्त्रीजी को बता दूं कि यह तमशा बड़े-बड़े कृषक और जौनपुर के उन्हीं के लोग कर रहे हैं, मैं नाम यहां नहीं बताना चाहता वह चाहेंगे तो अकेले में बता भी दूंगा । यह उनकी गलत नीतियों के कुपरिणाम है कि आज यह भीषण स्थिति पैदा है । जिस योजना का बड़ा हल्ला मचाते है कि इससे समाजवाद का विकास होगा, उसका मार्ग प्रशस्त होगा लेकिन नतीजा उस का कुछ नहीं हो रहा है । महाराष्ट्र में सूखा पड़ गया, गुजरात में सूखा पड़ गया, मैसूर में गल्ले की कमी हो गई, सब तरफ हाय हाय खाने की चीजों की मची हुई है । यह आपकी गलत योजनाओं का आप की गलत नीतियों का परिणाम है । इन गलत नीतियों पर चलने के कारण आप अब उन पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे है लेकिन अब इस से भी काम नहीं चलेगा ।

मेरठ का किस्सा बताया गया । चीनी का उदाहरण है कि प्रति यूनिट 800 ग्राम पहले देते थे और अब उसको काट कर 700 ग्राम कर दिया और उसी को शादियों के लिये अलग कर दिया और कलेक्टर को 50 किलो तक शादी में देने की पावर दे दी । यदि आप को शादियों के लिये ही देना था तो उपभोक्ता के कोटे से आपने क्यों काटा जब कि मेरठ और मवाना की मिलों में कई लाख क्विंटल पड़ी है, उसे आप उठा नहीं रहे हैं । आपके पास व्यापार तन्त्र नहीं है, जब व्यापारी की तरह व्यापार तन्त्र पास होता है तब व्यापार होता है । आप के पास तो एक ब्योरेक्रेट तन्त्र है जो आप के व्यापार को कभी सफल नहीं बना सकता । आप बिचौलिये को हटा रहे हैं लेकिन आप खुद बिचौलिया बनना चाहते हैं, उसी की तरह आप मुनाफा बनाना चाहते हैं लेकिन अब इस धोखे धड़ी से काम नहीं चलेगा । आप अपनी सही नीतियां निर्धारित कीजिये, ईमानदारी के आधार पर काम कीजिये । लेकिन आप तो डिक्टेटोरियल समाजवाद की तरफ चल रहे हैं । आप को तो हर ट्रेड और हर उत्पादन के कार्य को अपने हाथ में लेना है ।

रूस में जो कुछ कलेक्टिव प्रोडक्शन हुआ है वह वहां 50 लाख किसानों को मारने के बाद हुआ है और उस पर भी आज रूस की एकनामी बिलकुल फेल्योर है और वह अमरीका से भीख मांग रहा है, आस्ट्रेलिया से भीख मांग रहा है और 2 साल का एग्रीमेंट उस का हुआ है । आप, अब गेहूं बाहर से कहां से लायेंगे, अमरीका अब गेहूं रूस को दे रहा है, केनाडा चीन को दे रहा है आस्ट्रेलिया में है नहीं तो आप कहां से लायेंगे । पी0 एल0 380 के पैसे का आज तक अमरीका

[श्री यादवेन्द्र दत्त दूबे]

से आपका हिसाब नहीं हुआ, उस जाल में अभी भी आप फंसे पड़े हैं। आप गल्ले और रोटियों के साथ खिलवाड़ न करिये, आप अपनी गलत नीतियों को बदलिये वर्ना देश में जो भीषण क्रान्ति होगी उसे आप रोक नहीं सकेंगे, जगह जगह पर फ़ूड रायट्स हो रहे हैं, आप उन को सम्हाल नहीं पा रहे हैं। रोटियों के साथ आप खिलवाड़ न करें। गल्ले को फ़ीली आने दीजिए और किसान को जो आपके देश और प्रदेश की रीढ़ है, उसको अपने उत्पादन का उचित मूल्य मिलने दीजिए। सपोर्ट प्राइस के नाम पर आप मोनोपोली परचेज प्राइस बनाये हुए हैं। मेरी प्रार्थना है आप अपनी व्यवस्था को ठीक करें और इस दुराग्रह को छोड़ें?

*श्री रियासत हुसेन (जिला मुरादाबाद)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, इस प्रदेश का और इस देश का इतिहास बताता है कि जब जब ये दैनिक आपत्तियां (नेचुरल कैलेमिटीज) जैसे बाढ़, सूखा, अतिवृष्टि, आयीं हैं यहां इस प्रकार के संकट आये हैं। ज्यादा दिनों की बात में न जाकर 1949–50 में यहां पर गेहूं एक सेर का बिका है, 1958 में भी जब माननीय सम्पूर्णानन्द की सरकार इस प्रदश में थी राशन एक सेर का बिका है। इसी तरह से 1964–65 में भी। तो जब जब हमारे देश और प्रदेश में दैविक आपत्तियां आयी हैं राशन और अन्य चीजों के बारे में इस प्रदेश के सामने कठिनाइयां आयी हैं लेकिन माधव बाबू ने इन सारी परेशानियों की जिम्मेदारी सरकार के ऊपर रखकर और इसी प्रकार से माननीय शम्भूनाथ चौधरी ने सरकार के ऊपर रखकर बहुत सीधे तरीके से कह दिया कि सरकार इस्तीफा दे दे।

जहां तक इस्तीफा देने का सवाल है, बजट पास हो चुका है। आप हम सब मैदान में जा रहे हैं। जनता फैसला करेगी 8–9 महीने के बाद तो आपके द्वारा इस्तीफा मांगने की आवश्यकता ही नहीं है। जनता इस बात को देख रही है कि ये परेशानियां हैं और आपकी जितनी रिएक्शनरी और कन्जर्वेटिव फोर्स ह वे सब सारी शक्ति से और सारे बल से किसानों को गलत रास्ते पर बहकाने का प्रयास कर रही हैं लेकिन साथ साथ इस प्रदेश के किसान यह भी जानते हैं कि जो मौजूदा हालात है बारिश न होने के कारण, वे सरकार के बस की बात नहीं हैं। इस साल तो जितने हमारे डैम है, उनमें जरूरत के मुताबिक पानी भी नहीं भर पाया है और यह सब उसी का नतीजा है।

श्री कल्पनाथ सिंह—

श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न हैं। मैं आपके द्वारा सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या उनके द्वारा सारे डिफेक्टर्स की बोलने वालों की लिस्ट ही आपके सामने प्रस्तुत की हैं।

श्री अधिष्ठाता—

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री कल्पनाथ सिंह—

श्रीमन् आप देखें माननीय राम करन सिंह से लेकर माननीय रियासत हुसेन तक वे ही लोग बोले हैं जो डिफेक्टर्स हैं?

श्री अधिष्ठाता—

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री रियासत हुसेन—

मान्यवर, इस प्रदेश की जनता अच्छी तरह से जानती है कि इस साल बारिश नहीं हुयी है। हमारे यहां समरिया डाम के पानी से नहरों से 2 1/2 महीने आबपाशी के लिए पानी मिलता था।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

गेहूं के लिए लेकिन इस साल केवल 15 दिन से ज्यादा नहीं मिला है। इस वक्त गन्ने के खेतों में पानी देने की जरूरत है लेकिन हमारे डाभों में पानी ही नहीं है। यह बात जनता जानती है कि बारिश न होने के कारण बिजली पैदा नहीं हो पायी है। देश के अन्य प्रदेशों में तो हमारे प्रदेश से भी बुरी हालत हो गयी है। जैसे गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, मैसूर है और इन्सानियत के नाते नेशनल इन्टेग्रेशन के नाते उत्तर प्रदेश का फर्ज होता है कि अगर हम कुछ मदद कर सकते हैं तो करें। इसलिए 30 हजार कोर्स ग्रेज उत्तर प्रदेश ने गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा और मैसूर को दिया है, नेशनल इन्टेग्रेशन और अपने फर्ज को समझते हुए जनता यह भी जानती है कि एक बहुत बड़ा वर्ग जो होर्डर्स का है जिस पर इस पौलिसी की वजह से चोट पड़ी है, वह पूरी शक्ति लगाये हुए है कि गांवों में सरकार की जो ग्रेन पर्चेज स्कीम है, वह फेल हो जाय। जनता यह भी जानती है कि इनसानियत के नाते इस मुल्क ने बंगला देश के मामले में, जिसका समर्थन इस सदन ने भी किया था, मदद की और उसके बाद जंग का जो असर पड़ा करता है,उससे भी यह प्रदेश वंचित नहीं है जनता इन सब चीजों को समझकर फैसला करेगी कि वे किसे चुने। आपको इस्तीफा मांगने की जरूरत नहीं है।

एक बात माधव बाबू ने कहा कि अगर खरीदारी करना चाहते हैं तो व्यापारियों के साथ क्यों नहीं करते? खुले बाजार में? इस सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि क्या माधव बाबू इस बात की गारण्टी दे सकते हैं कि व्यापारी, जिसके साथ सरकार खरीदेगी, जिस तरह से सरकार गारण्टी देती है कि 86 रु0 से अधिक पर नहीं बेचेंगे,क्या वे गारण्टी दे सकते हैं? नहीं दे सकते। हमें पिछली बार का तजुर्बा है जब कि व्यापारियों ने 53।54 रुपये में खरीदा और 125–130 रुपये में बेंचा। तो सवाल आज इस बात का है कि किसानों का जो इन तीन महीनों में एक्स प्लायटेशन होता है, वह न हो और साथ ही साथ कन्ज्यूमर को भी एक्स प्लायटेशन से बचाया जाय और ऐसा न हो कि वे 60–62 रु0 में खरीदकर 120,130,रु0 या 140 रुपये में फिर न बेंच सकें।भानु बाबू ने कहा कि 30 रु0 प्रति क्विंटल खरीद पर खर्च होता है। ठीक है। मैं जानता हूं। और यह भी जानता हूं कि आज प्रदेश की सारी शक्तियां, और जो साधन सम्पन्न लोग हैं, इस बात पर लगे हैं कि यह स्कीम फेल हो जाय।

मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप लोग सहयोग दें, और वे शक्तियां और वे राजनैतिक विरोध खतम हो जायं, तो मैं सबकी बात तो नहीं कहता, लेकिन खरीदारी का खर्च आधा जरूर हो जायेगा। इस खर्च को बढ़ाने की जिम्मेदारी विरोधी दलों के ऊपर है और उन शक्तियों के ऊपर है। समाजवाद के लक्ष्य की पूर्ति के लिये, इसके अलावा और कोई दूसरा साधन नहीं हो सकता। इसके लिये कुछ बातें जरूरी हैं, जिनका सुझाव मैं माननीय मंत्री जी को देना चाहता हूं। मैं सुझाव देना चाहता हूं कि इसमें बड़े विजीलेंस की जरूरत है कि इस पालिसी को कामयाब बनाया जाय। प्रदेश, सारे देश और यहां तक कि समूचे समाज पर इसका दारोमदार है कि आया हम उन विचवनियों के हाथ से निकल सकते हैं कि नहीं। अगर यह पालिसी फेल हुई तो यह देश और प्रदेश के लिये बड़ी घातक सिद्ध होगी। इसलिये मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि इसमें बड़े बिजीलेंस की जरूरत है। इसका बारफूटिंग पर मुकाबिला करने की जरूरत है। अगर कोई भी सख्श इसमें रोड़ा बनने की कोशिश करता है, तो इसका उसी तरीके से मुकाबिला किया जाय, प्रजातांत्रिक ढंग से मुकाबिला किया जाय और इस संबंध में सरकारी हुक्म हो।

एक बात कह कर मैं समाप्त करूंगा, मान्यवर! इस साल गेहूं की पैदावार उचित खाद और पानी देने के बावजूद भी उतनी नहीं हो पायी है और उसका मुख्य कारण है नेचुरल कलेमिटी यानी एथर में ह्यूमिडिटी की पर्याप्त मात्रा में गेहूं को नहीं मिल पायी। इसलिये गेहूं की पैदावार कम हुई है और किसानों ने अभी से सोचना शुरू कर दिया है कि अगले साल गेहूं की खेती में कमी कर दिया जाय। तो अगर आपको इस स्कीम को सफल बनाना है तो देहाती क्षेत्रों में

[श्री रियासत हुसैन]

जितनी भी सीमेंट, लोहा, शकर, डीजल आदि चीजें हैं, उनका 75 प्रतिशत रूरल एरिया में डाइवर्ट नहीं करेंगे, कि जिससे किसान के कास्ट आफ प्रोडक्शन में कमी आ जाय, तो 50 फीसदी एरिया गेहूं का कम हो जायेगा, जिसमें कि डबल क्रापिंग होती है। एक बात की ओर मैं और ध्यान दिलाना चाहता हूं कि होर्डर्स ने दालों के ऊपर, अरहर, मसूर, उरद, इन चीजों की कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ाना शुरू कर दिया है। इसकी ओर भी आपका ध्यान जाना चाहिये।एक बात मैं और कह दूं और वह यह है कि जब 301 गेहूं 82 रु0 में मिल सकता है, तो फिर इसकी कोशिश करें कि आर0 आर0 121, 308, 1553 और 1593 इन सारे गेहूं की कीमत 82 रुपये सेन्टर दे, ऐसी कोशिश कीजिये। मैं विरोधी दलों से दरख्वास्त करूंगा कि इस स्कीम को सफल बनाने के लिये सरकार को सहयोग दें और होल्डर्स तथा रिएक्शनरी के हाथों में न खेलें। इस स्कीम पर 85 प्रतिशत लोगों का दारोमदार है जो गरीब हैं, किसान हैं और मजदूर हैं। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह कहा जाय कि आजकल खाद्यान्नों की कमी है, गरीब वर्ग परेशान है, राशन की दूकानों पर महीने भर तक बड़ी लम्बी लाइनें लगी हुई हैं, लोगों को राशन नहीं मिलता, तो मैं समझता हूं कि ईमानदारी की बात होगी। लेकिन दूसरी तरफ अगर यह कहा जाय कि--

श्री बलबीर सिंह (जिला मेरठ)--

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। सी0 पी0 आई0 को आप विरोध पक्ष में गिनते हैं या गवर्नमेंट म क्योंकि यह तो गवर्नमेंट की पालिसी को सपोर्ट करने वाली पार्टी है। इस समय तो अपोजीशन का मौका था।

श्री अधिष्ठाता--

हर पार्टी का अस्तित्व अलग-अलग है।

श्री अनन्त राम जायसवाल--

4 बजे एक दूसरी बहस लगी हुई है। इसलिये प्रार्थना है कि समय का ध्यान रखा जाय।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय नेगी जी आप अपने समय का ध्यान रखेंगे।

*श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी गढ़वाल)--

मान्यवर, मैं कह रहा था कि आज जनता संतुष्ट नहीं है। लेकिन उसका हल, मैं विरोध से कहना चाहता हूं, इसमें ढूंढें कि खाद्यान्नों का जो व्यापार अपने हाथ में ले लिया है उसको खतम कर दिया जाय और जनता को फिर से उन्हीं मौत के सौदागरों के मुंह म ढकेल दिया जाय तो यह उसका हल नहीं है। किसानों के लिये आज बड़े-बड़े मोटे-मोटे आंसू बहाये जाते हैं और किसानों के साथ हमदर्दी की जा रही है कि किसान को उसी की पैदावार की उचित कीमत मिले तो मैं यह पूछना चाहता हूं अपने माननीय मित्रों से कि इससे पहले जब सरकार ने गेहूं का थोक व्यापार अपने हाथ में लिया, पिछले साल 76 रु0 से कम इसी फसल के मौके पर किसान अढ़तियों के पास अपना अनाज लेकर आये थे, उस समय आपकी किसानों के साथ हमदर्दी नहीं थी क्या आपको यह नहीं मालूम था कि 50-60 रु0 प्रति क्विंटल पर किसानों से इन्हीं अढ़तियों ने गेहूं खरीदा था, उस समय आपने अढ़तियों को क्यों नहीं मजबूर किया कि किसानों को जायज कीमत

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मिले। उस समय आपकी हिम्मत नहीं पड़ी और आज किसानों के साथ हमदर्दी दिखा रहे हैं इसका कारण यह है कि आप के निहित स्वार्थों पर आज चोट लगी है क्योंकि आपके आढ़तियों को मनमानी करने को नहीं मिलेगा।यह आढ़ती वही हैं जिनकी चपेट में बंगाल में 30 लाख लोग आ चुके हैं, उनको चोट लगी है। तब परेशानी हुई है...

श्री रामकुमार शास्त्री--

आपके मदर नेशन में क्या हुआ ?

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

आपका मदर नेंशन तो अमेरिका है।

श्री अधिष्ठाता--

कृपया आपस में बात न करें।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

मान्यवर, जो इन्टरप्शन कर रहे हैं उसका समय भी आपको देना होगा। मान्यवर मैं कह रहा था कि वही आढ़तिया जिसने 50-60 रु0 क्विंटल के हिसाब से गेंहूं खरीदा उसने 125 रु0 क्विंटल पर बेचा। उस समय आपको विरोध क्यों नहीं था। उस दिन आपकी हमदर्दी कहां चली गई थी। लेकिन मान्यवर मुझे इनसे शिकायत नहीं है। मुझे शिकायत है शासक दल से। मेरी शिकायत यह है कि आप जो प्रस्ताव पास करते हैं, जो कार्यक्रम घोषित करते हैं, उसको ईमानदारी के साथ अमल में आप नहीं लाते।

आपने सन् 1959 में क्या प्रस्ताव पास किया था। वह केवल गेहूं और चावल का नहीं था, यह था कि खाद्यान्नों का सम्पूर्ण व्यापार सरकार अपने हाथ में लेगी। क्यों नहीं सरकार दालों का और मोटे अनाजों का व्यापार अपने हाथ में लेती। यही नहीं कि आप अपनी बात पूरी नहीं करते बल्कि जो अब तक के तजुर्बे हैं उनसे भी आप सीख नहीं लेते। आपने चीनी के लिए व्यवस्था की कि 60 प्रतिशत आप लेंगे और 30 प्रतिशत उनके हाथ में छोड़ देंगे। लेकिन जब पैदावार कम हुई तो यह हुआ कि 30 प्रतिशत आपके पास रह गयी और बाकी उनके पास छोड़ दी। नतीजा यह हुआ कि चीनी का अकाल हो गया और ब्लैक मारकेट में चली गयी। ऐसे ही इस स्कीम के अन्दर भी आपने लूपहोल्स छोड़ रखे हैं। एक तरफ आप कहते हैं कि आप बांटेंगे और दूसरी तरफ आपने रिटेलर को भी छूट दे दी है। अभी मेरे माननीय मित्र कह रहे थे कि आज भी व्यापारी गांव गांव जाकर किसानों को रुपया बांट रहा है। यह सही है। वह किसानों से कह रहा है कि अनाज अपने पास रखो और मैं तुमसे धीरे-धीरे लेता जाऊंगा। बड़े पैमाने पर गरीब किसान और बड़े-बड़े व्यापारियों का गठबंधन हो रहा है और हमारे जो राजनीतिक दल हैं वह उनका नेतृत्व कर रहे हैं। गांव-गांव में मीटिंग्स की जा रही हैं कि सरकार को गल्ला न दो। अखबारों में बड़े-बड़े नेताओं के बयान आ रहे हैं कि किसान सरकार को गल्ला न दे। इस प्रकार का संघर्ष चल रहा है।

मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि अगर यह स्कीम कामयाब न हुई, अगर गरीब जनता को अनाज नहीं मिल पाया तो यह जनता आपको माफ नहीं कर सकती। आपन नारा दिया है गरीबी हटान का। आप उस तरफ जो कदम उठा रहे हैं तो वह हाफ हार्टेडली, आधे दिल से न उठायें। तर्कसंगत जो कदम उठने चाहिए वह उठायें। अगर आप आज भी दब गय और इन शक्तियों क सामन घुटने टेक दिये, नौकरशाही को नहीं कसा, एफ0 सी0 आई0 की मिसाल मौजूद है, तो आपको मुसीबत हो जायगी। आपको लवी भी लगानी पड़गी और अनिवार्यतः गल्ला वसूल करना पड़ेगा। जो हथियार आज तक आप हमको पीटन के लिए इस्तेमाल करते

[श्री गोविन्द सिंह नेगी]

थे,जिस पुलिस और नजरबन्दी कानून को मजदूर आन्दोलन को कुचलने के लिए स्तेमाल करते थे उसको आज आप उन आदमियों के खिलाफ स्तेमाल करें जो कि प्रदेश की जनता को भूखा मारना चाहते हैं और कालाबाजारी व जखीरेबाजी करते हैं और उन लोगों के खिलाफ स्तेमाल करें जो कि इस स्कीम के खिलाफ बगावत का झंडा बुलन्द किये हुए हैं।

(खाद्य मंत्री के पुकारे जाने पर)

श्री मोतीलाल देहलवी (जिला कानपुर)--

मान्यवर कुछ समय हमें भी दें। कम से कम कानपुर के लोगों को तो मौका दें।

श्री अधिष्ठाता--

अधिक समय नहीं है। इतनी बड़ी और महत्वपूर्ण चर्चा पर खाद्य मंत्री जी को आधा घंटे का समय तो मिलना चाहिए।

श्री मोतीलाल देहलवी--

हम लोग वे बातें प्रकाश में लाना चाहते हैं जो कि बहुत महत्व की हैं।

श्री अधिष्ठाता--

कृपा कर आप आसन ग्रहण करें।

श्री मोतीलाल देहलवी--

मैं वह बातें प्रकाश में लाना चाहता हूं जिनकी वजह से सारा प्रदेश त्रस्त है। आप मुझे बोलने की आज्ञा नहीं दे रहे हैं इसलिये मैं इसके विरोध में सदन त्याग कर रहा हूं।

(श्री मोतीलाल देहलवी सदन त्याग कर चले गये।)

एवं रसद मंत्री (श्री बेनी सिंह)--

मैं देहलवी साहब से कहूंगा कि जब चाहें सुना लें। यहां बैठें तो अच्छा होगा। मेरी वजह से प्रदेश त्रस्त ह या नहीं लेकिन देहलवी साहब की वजह से हमारे सदस्य जरूर त्रस्त रहते हैं।

मान्यवर बहस 11.30 बजे से शुरू हुई थी और लगभग सभी सदस्य अपनी बात कह चुके हैं। मान्यवर,इस स्कीम के सिलसिले में जो कुछ भी कहा गया है, उनमें कोई ऐसी बात नहीं है जिसका जिक्र अखबारों में नहीं आया है। यह बिल्कुल साफ है कि यह स्कीम इसलिये चलाई गई कि पैदा करने वाल को ठीक से कीमत मिले और उपभोक्ता को ठीक कीमत पर मिले। बिचौलिया न रहे। यह कहा गया कि अब सरकार बिचौलिया हो जावेगी, यह कैसे होगा। हम तो सारा खर्चा बर्दाश्त करके 86 पैसे में दे रहे हैं। यह हमारी नीति है। कहा गया कि इस स्कीम में त्रुटियां हैं। यह बात ठीक है और इस पर विचार हो रहा है। एक माननीय सदस्य, श्री वीरेन्द्र वर्मा, ने बतलाया कि 1939 में ब्रिटिश पीरिअड में गल्ले का थोक व्यापार अपने हाथ में लेने के लिये सरकार ने सोचा था। जब क्राइसेस बढ़ता गया, तो इसके अलावा कोई चारा ही नहीं था कि अधिग्रहण, भंडारण और वितरण हम करें। मैं कई बार कह चुका हूं और आज फिर दोहराता हूं कि वितरण की प्रणाली बदलनी पड़ेगी, निश्चित रूपसे बदलनी पड़ेगी, लेकिन इस समय बदलने में वैकुअम हो जावेगा। इसको बदलेंगे, यह निश्चित बात है। मैं भानु बाबू से कहता हूं कि कीमतें कम होंगी, निश्चित कम होंगी।

श्री भानुप्रताप सिंह--

अगर आपको इतना भरोसा है तो मेरी चुनौती स्वीकार क्यों नहीं कर लेते ?

श्री बेनी सिंह--

मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता रहा हूं। यह तो बड़े जमींदार हैं। कुछ लेन-देन भी करते रहे हैं। अगर जमींदार किसी को 500 रुपये का उधार देते हैं तो कुछ वर्ष में कई हजार हो जाते हैं और फिर कहता है कि 3 हजार के बजाय ढाई हजार ही दे दो लेकिन इस समय दे दो।

(इस समय 3 बजकर 33 मिनट पर उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

श्री रामकुमार दीक्षित--

यह आप अपना तजुर्बा बतला रहे हैं।

श्री बेनी सिंह--

वह कहते थे कि आधा पैसा दे दो लेकिन इसी समय दे दो। उसी तरह यह चाहते हैं कि शर्त रहे कि दो-तीन महीने में हो जाय। यह बातें पालिसी इन्फ्- लुएन्स करती ह। साथ ही इस समय तो हमें प्रचंड विरोध का मुकाबला करना पड़ रहा है। जगह-जगह पर जलूस निकाले जा रहे हैं और किसान को गल्ला देने से रोका जा रहा है।

श्री मोहनलाल कपूर (जिला मेरठ)---

यह गलत बात है। गल्ला देने के विरुद्ध कोई प्रोपेगंडा नहीं हो रहा है।

(व्यवधान)

श्री मोतीलाल देहलवी---

व्यवस्था का प्रश्न यह है कि अभी माननीय मन्त्री जी कह रहे थे कि राजनीतिक दलों के लोग गल्ला बचने से रोक रहे हैं। माननीय मन्त्री जी कानपुर के निवासी हैं.....

श्री उपाध्यक्ष---

यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री बेनी सिंह---

श्रीमन्, एक अखबार में निकल गया कि मन्त्री जी ने अपना अन्न नहीं दिया। इससे गलत बात और कोई हो नहीं सकती। मैं अकेला घर का हूं। मैंने अपने घर खबर भेजी कि गेहूं भेजो। जब अखबार में देखा तो रातोरात घर गया और पता लगाया कि मेरा गल्ला गया या नहीं। तो मालूम हुआ कि दो किस्तें जा चुकी हैं और तीसरी किस्त जाने वाली है.... (व्यवधान) इस तरह से गलतबयानी करने से काम नहीं चलेगा। मैं उन आदमियों में से हूं कि कभी मैंने यह नहीं कहा कि तुम यह करो मैं नहीं करूंगा।

श्री रामकुमार दीक्षित---

माननीय मन्त्रीजी ने कितने बीघे में गेहूं बोया हुआ था, कितना पैदा हुआ और उसमें से कितना उन्होंने बेचा है और क्या कानपुर जिले में सब से कम प्रोक्योर मेंन्ट नहीं हुआ है?

श्री बेनी सिंह---

जब आप सरीखे लोग होंगे तो और क्या होगा। मैंने गांधी जी के पीछे चल कर काम किया है ...(व्यवधान) गांधी जी का कहना था कि खुद करो और उसके बाद जिम्मेवारी हमारी नहीं है। यह पर्सनल एक्सप्लेनेशन हुआ हमारा।

[श्री बेनी सिंह]

हमारी स्कीम आप देखिए। हमने किसान से कहा कि अपने खाने को रख लो, अपने मजदूर के खाने को रख लो, अपने खर्च के लिये रख लो और अपने बीज के लिये रख लो, उसके बाद जो बचे वह हमको दो। अभी एक साहब कह रहे थे कि मजदूरों का क्या होगा। तो मजदूर के लिये रखने को हमने कहा है।

श्री चन्द्रभान शर्मा—

परसों रेडियो से ब्राडकास्ट हुआ है कि केवल 20 परसेंट काश्तकार रख सकता है। इसमें बीज नहीं आता है।

श्री बेनी सिंह—

उसमें भी कोई किसान अगर अपने पड़ोसी को बेचना चाहता है तो 20 किलो बेच सकता है। रिटेलर के ऊपर हमने अब लगाया है कि इस कीमत पर बेचो। हमने उनसे कई बार निवेदन किया, अपील किया कि कीमतें मत बढ़ाओ। उनकी मीटिंगों में अड्रेस किया, उनको समझाया और बार-बार कहा कि अगर तुम कीमतों को बढ़ाओगे तो मजबूर होकर सरकार को इसे अपने हाथों में लेना पड़ेगा। जहां तक रिटेलर को देने का प्रश्न है, हम रिटेलर को भी देंगे, अपने पास से देंगे। हम उसे भी करने जा रहे हैं। परचूनियों से भी हमने कहा है कि वे भी 2 क्विन्टल तक रख सकते हैं। अपनी समझ से कोई भी कसर उठा नहीं रखी है .... (व्यवधान) हां, कुछ लोगों को परेशानी है, जैसे हमारे भाई भानु प्रताप सिंह जी को है।

श्री भानुप्रताप सिंह (जिला बस्ती)—

मैं पर्सनल एक्सप्लेनेशन दे दूं। मैं मन्त्री जी को बताना चाहता हूं कि मुझे कोई परेशानी नहीं है। मेरे यहां जितना गेहूं पैदा होता है वह सब मैंने नेशनल सीड कारपोरेशन को दे दिया। वहां पहुंच चुका है।

श्री बेनी सिंह—

मगर किस भाव से। अपना गेहूं तो वहां पहुंचा दिया, और किसानों से कह रहे हैं कि तुम मत बेचो। यह किसके आंसू हैं, किसके लिये हैं .... (व्यवधान)। मान्यवर, हमने बीज के लिये कोई दाम फिक्स नहीं किये हैं।

शकर के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि उसे भी हम देख रहे हैं। शकर को हम देहात में ले जा रहे हैं .... (शोर.... व्यवधान)

श्री मोतीलाल देहलवी—

इस अखबार में निकला है कि कानपुर में मन्त्री जी 5–5 हजार रुपये लेकर दुकानें एलाट की हैं .... (व्यवधान)

श्री बेनीसिंह—

मैं चुनौती देकर कहता हूं, अगर यह बात सही हो तो....

(शोर.... व्यवधान)

एक सदस्य—

आपने अब तक कितने लोगों को गिरफ्तार किया ज्यादा भाव से बेचने के सिलसिले में...

(व्यवधान)

श्री भानु प्रतापसिंह (जिला बस्ती)—

सारी ताकत खर्च गेहूं पर ही होगी या डीजल तथा अन्य चीजों पर भी होगी ?

श्री बेनीसिंह—

डालडा पर भी होगी, तेलों पर भी होगी, शकर पर भी होगी होल सेलर्स पर भी होगा। जिस पर जरूरत होगी उस पर छापा होगा।

(व्यवधान)

श्री मोतीलाल देहलवी—

इन्होंने कानपुर के डी० एस० ओ० से मिलकर शकर की, डालडा की, मिट्टी के तेल की चोरबाजारी की है और बराबर कर रहे हैं। कानपुर के "जागरण" अखबार में में निकला है.... (व्यवधान)

कानपुर के डी० एस० ओ० का कहना है कि यदि हम डालडा पर छापा मारेंगे तो बाजार से डालडा गायब हो जायेगा।

श्री शफीक अहमद खां (जिला बरेली)—

श्रीमन्, मेरी एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री बेनी सिंह—

मैं बैठता तो नहीं हूं, चाहे जितनी बाधाएं पैदा की जायं। हमें जैसे ही मिलेगा हम पूरी ताकत से गेहूं लेंगे, जिस तरह भी मिलेगा, पूरी कोशिश से लेंगे। इसके लिये हमें केन्द्रीय सरकार से लड़ना पड़ा, तो उससे भी लड़ेंगे। यों हम केन्द्रीय सरकार से ले रहे हैं और लेंगे, लेकिन यदि उससे लड़ना भी आवश्यक हुआ तो वह भी करेंगे, यहां सदन में अपने विरोधी पक्ष से लड़ना पड़ा तो वह भी लड़ेंगे। जिस किसी से भी लड़ना पड़ेगा, जो इस कार्यक्रम में बाधक बनेगा, उस सभी से हम लड़ेंगे। लेकिन हम देश की अर्थव्यवस्था किसी भी हालत में कमजोर नहीं होने देंगे।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

जब कोई सदस्य बोलता है और वह दूसरे सदस्य के खड़ा होकर बोलने का प्रयास करने पर वह पहला वाला बैठ जाए, तभी किसी स्पष्टीकरण के सवाल पर उसे बोलना चाहिये यहां आपको अपनी बात सुनने की शक्ति होनी चाहिए, वहां आप के पास सुनने का धीरज भी होना चाहिये।

(व्यवधान)

सभी विरोधी दल के नेता बोले हैं और उन सबकी बातों को मन्त्री जी ने शांति से सुना है, आप भी वैसा ही परिचय दें।

(व्यवधान)

श्री बेनीसिंह—

आप सब हमारी मदद करें। आप हमारी मदद करेंगे तो तो काम होगा नहीं करेंगे तब भ काम होगा, हमें पहली करनी पड़ेगी। लेकिन हम अपने ध्येय से पीछे हटने वाले नहीं हैं। चाहे जो रुकावटें आयें, हम रुकने वाले नहीं हैं। जैसे हम रहे हैं, हमें रहना चाहिये और हम रह

[श्री बेनी सिंह]

सकते हैं, लेकिन इस तरह से नहीं। वैसे तेजी दिखाकर हमें कोई दबाना चाहे तो नहीं दबा सकता है। यों मैं हारा हुआ हूं, दबा हुआ हूं, आपके सामने।

जो रण हमे प्रचारहि कोई,
ताहि हतौं काल किल होई।

(व्यवधान)

श्री रामकुमार दीक्षित—

जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी,
सो नृप अवश्य नरक अधिकारी।

श्री बेनीसिंह—

9 महीने में मालूम पड़ेगा कि कौन नरक में जाता है और कौन स्वर्ग में जाता है। कहां कौन है, सब पता तब चलेगा। हमारे राज्य में प्रजा को नाजायज तकलीफ हुई है तो हम नरक में अवश्य जाएंगे। लेकिन यह ऐसा वक्त है, एक ऐसी परिस्थिति है, उसमें इससे बेहतर इंतजाम कोई नहीं कर सकता है। यों तो सास-बहू में और बाप-बेटे में लड़ाई होती है। बेटा चाहता है कि बाप मर जाए, उसका राज्य हमें मिल जाए। लेकिन जब वह एक दिन मालिक हो जाता है तब वह भी वही रास्ता अपनाता है, जो उसका बाप करता था।

(व्यवधान) जो मैं कर रहा हूं, वही यह करेंगे।

श्री शफीक अहमद खां—

शहरों में एक यूनिट पर एक किलो चीनी बिक रही है देहात में.... (शोर)

श्री मोतीलाल वेहलवी—

जितनी शक्कर शहर वालों को दी जा रही है, गांव वालों को दे दें अगर यह किसानों के हमदर्द हैं।

श्री बेनीसिंह—

देहात में यूनिट पर शक्कर जायगी निश्चित है। ....(व्यवधान)....(शोर)

श्री शफीक अहमद खां—

देहात में आज तक राशन की कोई दूकान का इंतजाम नहीं है, आइन्दा उम्मीद नहीं है न वहां कोई राशन कार्ड है। हमसे गल्ला ले लिया जाता है।

(शोर)

श्री बेनीसिंह—

पूंजीपतियों के दलाल कौन कहता है? जरा यों गौर से देख लें।

(शोर)

श्री मोतीलाल वेहलवी—

रामरतन गुप्त पर बाकी है। बताइये आपने क्या किया? क्या आप दलाल नहीं हैं। आप विड़ला को सस्ती बिजली देते हैं। दलाल नहीं हैं तो क्या हैं?

श्री बेनीसिंह—

यह खाद्यान्न पर बहस है किसी और चीज पर बहस नहीं है। इसको साइड ट्रैक न करें, एक ही बात कहना चाहता हूं आखिर में। अब वक्त भी हो गया है। हमारी सरकार ने हमने 2 लाख 14 हजार टन, अब ज्यादा हो गया, खरीद लिया है। हमारी स्कीम सफल होगी। कीमतें स्थिर होंगी, एक जगह रुकेंगी। कीमतें बढ़ेंगी नहीं। यह निश्चित है।

श्री मोतीलाल देहलवी—

इनको शर्म नहीं आती है। जनता परेशान है।

(शोर)

श्री बेनीसिंह—

हमने केन्द्रीय सरकार से अपना शकर का कोटा बढ़वाया है। ....(व्यवधान) (शोर)....(श्री रामकुमार दीक्षित श्री बेनीसिंह के साथ-साथ बोलने लगे।)

श्री अनन्तराम जी ने कहा कि सर्कुलर इस प्रकार है। मैंने पता लगाया। अगर मुझे भेज देंगे, निश्चित ही हम कार्यवाही करेंगे। इसमें दिक्कत नहीं होगी। हमारे दफ्तर में इस प्रकार का कोई सर्कुलर नहीं है। मैंने लिखकर मंगवा लिया। लेकिन फिर भी कहते हैं अनन्तराम जी, यकायक कह दें कि गलतबयानी करते हैं तो मैं नहीं मानता। आदमी सोच-समझ कर बात करता है। नेता हैं न दल के वे न, चाहे जो करें। वह जरूर सोच-समझ कर बात करते हैं। ....(व्यवधान) हमारे गल्ले की आमद बढ़ रही है। ... (व्यवधान) मैं तो माला भी पहनता हूं, वाहवाही भी मेरी होती है, तारीफ मेरी होती है। लेकिन गलत काम होगा तो टोपी उतर जायगी, माला उतर जायगी, बेइज्जती भी बर्दाश्त करनी होगी। पोलीटिकल लाइफ में बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। बहुत जल्दी हमारी परीक्षा मैदान में होगी। अगर टोपी उतारने के काबिल हम हैं तो वह उतर कर रहेगी। मैं गलती मान भी लूंगा। गलती मान लेना हिम्मत की बात है। बनावटी बात कहने का मैं आदी नहीं। इतनी हिम्मत मैं जरूर रखता हूं अगर गलती होगी, टोपी उतरनी होगी तो उतर जायगी। ....(व्यवधान) कुर्ता भी उतार दूंगा और धोती भी दे आऊंगा।

श्री मोतीलाल देहलवी—

बिरला पर आप उछल रहे हैं।

श्री बेनीसिंह—

मैं बहुत आभारी हूं सभी माननीय सदस्यों का। कुछ मेरे अनन्य मित्र हैं उन्होंने कुछ तेजी तर्रारी दिखाई, काफी ऊंचे दर्जे की उनकी बहस रही उसके लिये मैं उनको धन्यवाद देता हूं और जो सुझाव दिये गये हैं उन पर मैं जरूर गौर करूंगा और जब-जब दिये जायेंगे तब-तब उन पर गौर करूंगा। यदि मुनासिब समझूंगा तो उनको मंजूर भी कर लूंगा।

स्टेपुल यार्न के अभाव के कारण बुनकरों में बेकारी की समस्या से उत्पन्न परिस्थिति पर विचार

(श्री अनन्तराम जायसवाल का नाम पुकारने पर।)

श्री अन्नदाता शर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

उपाध्यक्ष महोदय, जायसवाल जी बोल लें तो उसके बाद 10-5 मिनट का समय ही दिया जाय क्यों कि बहुत से सदस्यों को इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलना है।

श्री उपाध्यक्ष—

ठीक है। मुझे कोई एतराज नहीं है।

*श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

उपाध्यक्ष महोदय, अंग्रेज साम्राज्यशाही की विरासत को कबूल करके यह सरकार इस प्रदेशीय सरकार, इस प्रदेश के प्रायः 50 लाख बुनकरों की आबादी को भूखों मरने पर मजबूर कर रही है। जबसे यह सरकार आई है तब से सूत गायब हो गया, स्टेपुल यार्न गायब हो गया और खाली गायब ही नहीं हुआ उसकी कीमतें भी बेतहाशा बढ़ी हैं और सरकार ने कोई कार्यवाही करने के बजाय हमेशा बोली से काम लिया और लोगों को आश्वासन पर आश्वासन पर देती रही कि हम सूत का दाम ठीक कर देंगे, स्टेपुल यार्न का दाम ठीक कर देंगे। यही बराबर चलता रहा लेकिन कमी ज्यों की त्यों बनी हुई है सूत नहीं मिल रहा है, स्टेपुल यार्न नहीं मिल रहा है। इस प्रदेश का बुनकर मजबूर है कि वह जलसा, जुलूस, मजायरे और सत्याग्रह का सहारा ले। आज यह हालत यहां तक पहुंच गई है। मैं कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूं।

जहां तक स्टेपुल यार्न का सम्बन्ध है इस सरकार ने स्वयं तखमीना लगाया है कि इस प्रदेश में इस महान आवश्यकता को पूरा करने के लिये कम से कम 30 हजार गांठें स्टेपुल यार्न की चाहिए लेकिन इसके मुकाबले में इन्होंने यह कहा था कि हम हर माह 9 हजार गांठ मुहय्या करेंगे। आवश्यकता 30 हजार गांठों की थी और वायदा 9 हजार गांठों का किया। जबकि अभी तक औसतन इन्होंने कुल साढ़े तीन हजार गांठें पूरे प्रदेश के लिये दी हैं। मान्यवर, मैं इनको याद दिलाना चाहता हूं कि यह तो खाली मेरे जिले बाराबंकी की ही आवश्यकता है। वहां पर जो करघों की तादाद है और सरकार ने स्वयं सर्वे कराकर देखा था कि हमारे यहां 13,480 हाथ के करघे हैं और 23 शक्ति-चालित करघ हैं जो कि स्टेपुल यार्न से कपड़ तैयार करते हैं। उनकी आवश्यकता जो कूती गई वह करीब साढ़े तीन हजार गांठों के आता है। जब एक जिले की आवश्यकता को आप पूरे प्रदेश में बांटना चाहते हैं तो इन बुनकरों की क्या हालत होगी, इसका अनुमान लगाया जा सकता है।

जहां तक सूती धागे का सम्बन्ध है सूती धागे की अभीतक कोई कमी नहीं थी। इधर सरकार ने 26 मार्च को सूत के धागे को अपने नियंत्रण में कर लिया। एक तरफ कंट्रोल का आर्डर होता है और दूसरी तरफ सूती धागा भी बाजार से गायब हो जाता है। उसकी वजह यह थी कि जो सूती धागे को बेचते थे उनसे तो सूत आपने अपने कब्जे में कर लिया लेकिन उसके डिस्ट्रिब्यूशन का कोई प्रबन्ध नहीं किया गया। बगैर वितरण की व्यवस्था किये हुए ही इन्होंने यहां सूती धागे का कंट्रोल कर दिया जिसका नतीजा यह हुआ कि सूती धागा भी लोगों को नहीं मिल रहा है। मैं समझता हूं कि जितनी मेहनत बुनकर करते हैं उतनी मेहनत आज किसी भी पेशे में लगे हुए लोग नहीं कर रहे हैं।

इस पेशे में बच्चे, बूढ़े औरतें आदि सभी लगे हुए हैं। मर-धर कर काम करते हैं लेकिन फिर भी जीने लायक मजदूरी और उजरत नहीं मिल पाती है। अगर उनसे यह उम्मीद की जाय कि इनके पास पूंजी रही होगी जिसके सहारे ये जिन्दा रहेंगे जो कि रोज कमाने और रोज खाने वाले हैंड टु माउथ के लोग हैं, ठीक नहीं है। यह बला आपकी सन् 70 से शुरू हुई। यह कोई एक जिले से सम्बन्धित प्रश्न नहीं है हर जिले में यही हालत है, चाहे फैजाबाद हो, बस्ती हो, आजमगढ़ हों, कानपुर हो, मेरठ या बाराबंकी तथा मऊ हो, सभी जगह जहां कि दस्तकारी फली हुई है, यह हालत हो गई है। हर जगह मुजायरे और प्रदर्शन हो रहे हैं और सरकार के कान पर जूं नहीं रेंगती। यह हालत है। और अगर दाम को देखा जाय तो पिछले दो सालों में दाम बढ़े ही हैं। मान्यवर, सन् 70 में

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

स्टेपिल यार्न का भाव साढ़े 46 रुपये प्रति बंडल था लेकिन जबसे यह हुकूमत आयी यानी श्री कमलापति के मुख्य मंत्रित्व में सरकार आयी, सन् 70 में औसत भाव साढ़े 46 रुपये बंडल था, कुछ मिलों में स्टेपिल यार्न का भाव साढ़े 45 रुपये बंडल था, कुछ मिलों में साढ़े 46 रुपये था और कुछ मिलों में 47 रुपये बंडल था, इस तरह से औसत साढ़े 46 रुपये आता है। लेकिन जैसे ही इनका राज्य हुआ इसका दाम बढ़कर सन् 71 में 60 रुपये बंडल हो गया और सन् 72 में चला गया 65 रुपये से 70 रुपये बंडल तक और आज उसका भाव है 85 रुपये से 90 रुपये बंडल तक। यानी करीब-करीब दुगने का फर्क पिछले दो वर्ष में स्टेपिल यार्न के दामों में हो गया।

मान लीजिए थोड़ी देर के लिये स्टेपिल यार्न के दामों में फर्क हो गया लेकिन जैसा कि मैंने पहले फीगर कोट किया था कि इस दाम के बढ़ाव के बावजूद बाजार में स्टेपिल यार्न नहीं मिलता। वही हालत सूत का भी है। 26 मार्च के पहले जहां सूत बराबर मिलता था वहां सूत भी बाजार से गायब हो गया और उसका भी भाव सन् 70 में जहां पर 28 रुपये बंडल था वह बढ़ गया और इस वक्त 55 रुपये से 60 रुपय बंडल तक उसका भाव है। आज भी उसका भाव बराबर चढ़ता चला जा रहा है और इसके साथ-साथ लोगों को यह तकलीफ हो रही है कि वह उनको मिल नहीं रहा है। इस बीच ये लोग सरकार के पास गये। उत्तर प्रदेश की सरकार के पास भी और दिल्ली की सरकार के पास भी और किसी को इन्होंने छोड़ा नहीं। हर तरीका अपनाया और दिल्ली से लखनऊ तक ये लोग बराबर दौड़-धूप करते रहे हैं लेकिन किसी ने भी इसकी मांग की तरफ, इनकी जरूरत की तरफ और मुसीबत की तरफ ध्यान नहीं दिया आज तक। खाली इतना हुआ कि 22 मार्च, 72; 5 अप्रल, 72; 23 जुलाई, 72, 23 अगस्त, 72 को बार-बार यकीन दिहानी दिलायी गयी। ये सिर्फ बोल से काम लेने के आदी हो गये हैं।

वैसे अभी माननीय खाद्य मन्त्री जी से भाषण करते हुए कहा कि चीजों के दाम जरूर गिर जायेंगे, जरूर गिर जायेंगे, जरूर गिर जायेंगे। लेकिन यह उन्होंने नहीं बतलाया कि किस उपाय से चीजों के दाम गिर जायेंगे। कौन सा रास्ता अख्तियार करेंगे जिससे चीजों के दाम गिर जायेंगे। इस पर कहीं सोचा है, कहीं विचार किया है? बिना सोचे विचारे इसी तरह से बराबर बोलते चले जाते हैं और लोगों को विश्वास दिलाया करते हैं लेकिन कहीं कोई चीज पूरी नहीं होती है। वैसे मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपने एक बार नहीं, अनेकों बार लोगों को यह यकीन दिलाया कि सूत का दाम नहीं बढ़ने देंगे लेकिन क्या आप उसको रोक सके?

आपकी सरकार के मन्त्री जो श्री रामजीलाल सहायक हैं उनकी बात बतलाता हूं कि जुलाई 72 में व्यापारियों को यकीनदिहानी दिलायी थी जो सरकार के एक जिम्मेदार मन्त्री हैं कि हम सूत मुहैया करेंगे लेकिन वह भी अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभा पाये। सन् 70 से 73 तक बराबर सूत का दाम बढ़ता गया है और सूत बाजार से गायब हो गया है। इसके पीछे कोई कारण होगा। यह मैं आपसे कहना चाहता हूं कि व्यापारी, उद्योग और सरकार का रिश्ता है जो इसके बीच में है और उसी की वजह से सारी गड़बड़ी है। आज तक चुनाव के वक्त लोगों से सरकार को चन्दा मिल जाया करता था लेकिन अब कानून बना कर उसे बन्द कर दिया गया है। पार्लियामेंट में एक बार चर्चा थी कि किन-किन पार्टीज को इन कम्पनियों ने चन्दा दिया है तो इस बदनसीब पार्टी को छोड़कर जिसका कि नुमाइन्दा मैं हूं, जितनी पार्टियां हैं उन सबको इन कम्पनियों से चन्दा मिला था और उनमें एकाध पार्टी ऐसी थी जिसको कांग्रेस पार्टी के बराबर चन्दा मिला था। जब कांग्रेस सरकार को यह बात मालूम हुई कि हमारे बराबर भी कुछ पार्टियों को चन्दा मिला है तो कानून बना कर कम्पनियों से चन्दा लेना बन्द कर दिया गया। लेकिन क्या चन्दा सचमुच बन्द हुआ आपने कानून में बन्द किया है। लेकिन ब्लैक मार्केटियरों का पैसा इससे कहीं ज्यादा ले लेते हैं। इसका नतीजा है कि मिल मालिकों को

[श्री अनन्तराम जायसवाल]

पूरी छूट दे रखी है और इसका नतीजा यह है कि यह मेहनतकश जिनके पास और कोई पूंजी नहीं है, न खेती बाड़ी है और न कोई दूसरा उद्योग है और ये लोग भूखों मरने पर मजबूर हो रहे हैं। आबिदअली साहब अच्छी तरह से जानते हैं कि इनकी मुसीबत क्या है? मुझे दुख है कि इसको समझने वाले जिम्मेवार आदमी पड़े हैं लेकिन फिर भी उनकी मुसीबत दूर नहीं हो पायी है। माननीय हबीबुर्रहमान नोमानी प्रदेशीय कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी हैं। ये लोग अगर अपना पूरा असर इस्तेमाल करते तो शायद मामला सुधर जाता। लेकिन पता नहीं कि इनके क्या मफाद वाबस्ता हैं कि लोग चुप बैठे हैं और इनकी यह मुसीबत बढ़ती चली जा रही है।

श्री उपाध्यक्ष—

आप लोगों को छोड़िए।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मैं कह रहा था कि बड़े-बड़े लोग इस विभाग के जिस तंजीम का मैं जिक्र कर रहा हूं, इसके ओहदेदार हैं, इसके बावजूद इनको सूत नहीं मिल रहा है। तीन साल हो गये हैं और इनकी हालत खराब होती चली जा रही है। हमारे यहां बाराबंकी में इन लोगों ने 21 अप्रैल, को जल्सा किया था और उसमें यह तय किया था कि अगर 7 मई तक हमारी मांगे पूरी नहीं होतीं तो मुजाहिरा करेंगे और डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज आफिसर तथा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के यहां करेंगे। सात तारीख को उन्होंने हड़ताल की और सबने अपने करबे बन्द कर दिये। बड़ी तादाद में जो मजाहिरे के आदी नहीं थे। किसी बड़े आदमी के यहां अगर जल्सा हो रहा होता था तो उसको भी देखने को वह नहीं जा पाते थे। लेकिन हजारों की तादाद में ये लोग इकट्ठे हुए और डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज आफिसर के यहां गये। पहले से सूचना दे दी गयी थी कि ये लोग आने वाले हैं, लेकिन फिर भी वे इतने गैर जिम्मेदार निकले कि वे वहां मौजूद नहीं मिले। पुलिस वहां तैनात थी। ये लोग वहां इंतजार करना चाहते थे। लेकिन पुलिस ने इनके साथ तशद्दुद का सहारा लिया और इनको बैठने नहीं दिया और ये लोग डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के यहां जाने को मजबूर हुये। जब मजमा वहां से चला गया तो उसी आफिस से मिला हुआ सिविलसेशन जज का बंगला है, उसमें आग लग गई।

मैं कहना चाहता हूं कि आग किसने लगाई, कोई नहीं कह सकता है कि फलां आदमी ने लगाई। जहां तक मोटिव का सवाल है कोई वजह नहीं थी कि कोई भी जज साहब के बंगले में आग लगा देता। लेकिन होता क्या है, मैं परसों बाराबंकी गया था, उनको मालूम नहीं है कि बंगले में कहां आग लगाई गई। लेकिन हुआ क्या है। एक झूठा मुकदमा गढ़कर जिसमें किसी का नाम वगैरा नहीं है उन लोगों को डिप्टी कमिश्नर के यहां से लौट रहे थे मुजाहिरा के बाद, अट्रेन्डम जो भी मिल गया, पकड़ लिया गया। इस प्रकार से परसों तक 20 आदमी जल में डाल दिये गये हैं। हम लोग मिलने गये तो एक आध आदमी रोने लगा। जेलर ने बताया कि ये लोग कभी किसी शरारत में नहीं रहते हैं और वह तो यहां तक बोल गये कि ये बजबिल हैं। और उनमें से एक भी नहीं लगता है कि आगजनी के जुर्म का इर्तिकाब किये हुए हो और ये झूठे ही बन्द कर दिये गये होंगे। अगर सचमुच में इन्होंने आग लगाई होती तो ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के बंगले तक जुलस में जाने कैसे दिये गये होते और अगर सचमुच पहुंच ही गये हो तो फिर क्या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उनको बातचीत के बाद जाने देता और उन्होंने इन लोगों को वापस जाने दिया और फिर पुलिस ने बदले की भावना से ऐसे लोगों को पकड़ लिया होगा। इस कदर मासूम, जिनको यह भी नहीं मालूम कि आग कहां लगी उनको पकड़ लिया गया।

मैं समझता हूं कि बाराबंकी का ऐडमिनिस्ट्रेशन भी इस बात से इन्कार नहीं कर सकता कि जो बातें मैं कह रहा हूं वह सही नहीं है। इसके साथ ही साथ जहां तक जज साहब का सम्बन्ध है वे खुद मौके पर मौजूद नहीं थे और उनके ख्यालात किन-किन लोगों पर इस सिलसिले में किस-तरफ जाता है। उनका ख्याल है कि नवाबगंज के एस० डी० ओ० जो हैं उनसे रंजिश चली आ रही थी कहीं उन्होंने तो शुरुआत नहीं की होगी। उनका यह भी ख्याल हो रहा है कि इंडस्ट्रीज अधिकारी और कर्मचारी लोग जो हैं उनसे इनके ताल्लुक अच्छे नहीं थे कहीं इन लोगों ने यह वारदात तो नहीं कर दी है और हो सकता है उनमें से कुछ शरारत पसन्द लोगों ने आग लगा दी होगी लेकिन आप इस तरह से उन गरीब लोगों के कटे हुए पर नमक छिड़केंगे यानी बेचारे आये रोटी मांगने और पहुंचा दिये गये जेल में, इस तरह का सलूक उनके साथ हुआ। तो आप इनकी हालत को सुधारें, नम्बर एक और दूसरे बाराबंकी में जुलूस के जो लोग मासूम झूंठे फंसाये गये हैं उनके लिये आप ऐडमिनिस्ट्रेशन को हुक्म दीजिए कि उनको छोड़ दें क्योंकि उनका जेल में रखा जाना किसी तरह से मुनासिब नहीं है।

श्री हबीबुर्रहमान (जिला आजमगढ़)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय,

श्री उपाध्यक्ष—

पहले सरकार को कुछ कह लेने दीजिए, फिर आप लोग बाद में अपनी बात कहें।

परिवहन उपमन्त्री (श्री आबिद अली)—

सब लोगों को कह लेने दीजिए तो बाद में जवाब दूंगा।

श्री हबीबुर्रहमान—

मैं आपका मशकूर हूं कि आपने मुझे इस विषय पर बोलने का मौका दिया।

श्री बन्नूभान शर्मा—

लेकिन बात सही कहिए।

*श्री हबीबुर्रहमान—

आप भरोसा रखिए। मुझे अपने पर तो भरोसा है चाहे आपको न हो। इसमें कोई शुबहा नहीं है कि पिछले दिसम्बर, 71 से बराबर इस करघे के सनअत को धक्के लगे हैं, कभी स्टेपिल की वजह से, कभी सूत की महंगाई की वजह से और कभी मारकेट में बुनकरों के तैयार किये हुये माल के मुनासिब कीमत पर निकासी न होने की वजह से। यह बात भी सही है कि हिन्दुस्तान की गुलामी और आजादी की तारीख अगर किसी कौम के साथ जुड़ सकती है सही मानों में तो वह यही बिरादरी है इसलिये कि जब अंग्रेज हिन्दुस्तान में सौदागर के भेष में आये तो उस जमाने में सबसे बड़ी इंडस्ट्री कपड़े की सनअत थी। तो दो तरफ से उन्होंने इस कौम का नुकसान किया।

एक तो उनके अंगूठे तरशवा कर इस सनअत को खत्म करने की कोशिश उन्होंने की और दूसरी ओर से अपने एजेन्टों के जरिये से अपने यहां सनअतें खड़ी करके इन पेशे को यहां से हटाने की कोशिश की। इसीलिये आजादी के लड़ाई में मुसलिम लीग का चाहे जितना जोर चला हो, चाहे कितना ही मजहबी तफरका पैदा किया गया हो इस कौम ने यह महसूस किया कि अंग्रेज हिन्दुस्तान का और इस मुल्क का सबसे बड़ा दुश्मन है और इसीलिये वह बराबर कांग्रेस के साथ, कांग्रेस के झंडे के नीचे और मोमिन कान्फ्रेंस के झंडे के नीचे, अपने बिरादराने वतन के कंधो से

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री हबीबुर्रहमान]

कंधा मिला कर हिन्दुस्तान की आजादी की लड़ाई में शिरकत करते रहे और कुरबानियां पेश करते रहे। होना यह चाहिये था कि हिन्दुस्तान की आजादी के बाद इस कौम की मुश्किलात दूर होतीं और मैं इस बात को मानने के लिये तैयार हूं कि आजादी के बाद जब गवर्नमेंट बनी और उस वक्त उस गवर्नमेंट के सरबराह माननीय पंडित गोविन्द वल्लभ पन्त थे और उन्होंने वाकई उस वक्त ऐसे अकदाम उठाये और इस सनअत को फरोग देने की कोशिश की, कुछ हद तक बुनकरों की जरूरियात पूरी हुई और उसके जरिये से बुनकरों की आय में भी इजाफा हुआ। लेकिन उसके बाद में यहां जो भी गवर्नमेंट आई, एक सरकार ऐसी भी आई कि जिस में कुछ दिन तक मुझे भी रहने का सौभाग्य मिला लेकिन मैं इस बात को तसलीम करता हूं कि जितनी भी गवर्नमेंट आईं उन्हें जो तवज्जह बुनकरों के मसायल पर देना चाहिये थी वह उन्होंने नहीं दी और मुझे बहुत तकलीफ के साथ कहना पड़ता है कि यह सनअत उसके बाद से तबाही की तरफ गई और दिसम्बर सन् 71 में एक ऐसा मौका आया कि जनवरी-फरवरी में बुनकरों ने यह महसूस किया कि अगर वह अपने मसायल के लिये किसी जद्दोजहद का आगाज नहीं करते हैं तो इस सनअत को बचाना, बुनकरों को रोजी देना मुश्किल हो जायगा और इसमें लगे लोग बेकार हो जायेंगे।

मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि ज्यों-ज्यों दवा करने की कोशिश की गई मर्ज बराबर बढ़ता ही गया और मैं इस बात को कहने में भी कोई तकल्लुफ नहीं करता कि सरकार पर उनके मसायल को लेकर जो जिम्मेदारी आई है जो कि बुनकरों की मांगों से इतराफ करती हैं वह पूरी नहीं की गई। बड़ी-बड़ी मांगें आई अकदाम उठाये गये, हैंडलूम कारपोरेशन कायम हुआ, यूपिका के चेयरमैन नान-आफिशियल, अलग से इसके लिये मंत्रालय कायम हो, अलग से सेक्रेटेरियएट और डाईरेक्ट्रेट कायम हो लेकिन मुझे अफसोस है कि चाहे जो भी फैसले लिये गये लेकिन उनको लागू करने में जो तेजी होनी चाहिये थी वह नहीं बरती गई। मैं सरकार का, अपने मुख्य मंत्री का या अपने वजीरों का कोई कसूर ज्यादा नहीं पाता लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा कि इन विभागों से जिन अफसरों का ताल्लुक रहा है उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को महसूस नहीं किया। अब सूत के कंट्रोल की बात आई।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

क्या अफसर लोग अपने घर से सूत ले आते?

श्री हबीबुर्रहमान—

वह तो जायसवाल जी के घर से लाना चाहते हैं। मैं यह कह रहा था कि जब सूत पर कंट्रोल की बात आई तो मैंने बड़ी सफाई के साथ मंत्री जी से कहा कि आपका टेक्सटाइल कारपोरेशन स्टेपुल का बुनकरों के लिये इन्तजाम नहीं कर सकता वह सूत का क्या इन्तजाम करेगा। मेरे मशविरा देने के बाद भी जब कारपोरेशन को स्टेपुल की तकसीम में नाकामयाबी हुई और उसके बावजूद उसी को सूत की तकसीम के लिये भी एजेंसी बनाया गया। नतीजा उस का यह हुआ कि 12 तारीख को कंट्रोल हुआ मार्च के लिये यू0पी0 के वास्ते एडहाक कोटा अलाट हुआ, और अप्रैल का भी कोटा अलाट हुआ वह जिस तेजी से बुनकरों के सेंटरों पर वहां की जरूरत के मम्बरों के हिसाब से अगर सूत दिया गया होता तो यह दुश्वारी और यह नौबत न आती।

मैं ज्यादा तफसील में जाकर सिर्फ इतना अर्ज करूंगा कि अगर सरकार ने अपने अफसरों पर भरोसा किया तो इसमें कोई शक नहीं है कि यह मसला हल होने वाला नहीं है। यू0पी0 के लिये सूत का जितना कोटा अलाट हुआ है अगर सही तरीके से उसकी तकसीम का बन्दोबस्त किया जाय तो काफी राहत बुनकरों को मिल सकेगी और आप इस आइडिया पर काम कर सकेंगे 7 हजार अलाटेड गांठों में से कभी भी 3 हजार से ज्यादा नहीं जातीं। कभी परतों की बात

है कलेक्टरों की मीटिंग में यह बात साफ हुई कि कारपोरेशन के चेयरमन ने रिपोर्ट ही नहीं की कि 7 हजार गांठों का 50 फीसदी ही हमें मिल रहा है । इसलिये मैं अर्ज करूंगा कि जो हमारे जिम्मेदार अफसरान हैं वह इस तरह से काम करते हैं, उन के काम करने के तरीके में शुभा है । सरकार इस की जांच करे और देखे कि गलती कहां-कहां है, जायसवाल जी ने बाराबंकी का जिक्र किया लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि आज सूबे में जो स्थिति पैदा है कि अगर सही अकदाम न उठाये गये तो हर जगह, जितने भी बुनकर सेंटर्स हैं वह बाराबंकी निकल सकते हैं और वहां भी ऐसे जलूस निकल सकते हैं ।

जलूस निकल सकता है और निहित स्वार्थ वाले, जो उनके एजेंट हैं, चाहे व सरकारी कर्मचारी हों या और कोई हों, मौके पर से फायदा उठाकर उनको झूठे मुकदमों में फंसा देते हैं जलूस निकलकर डी0आई0ओ0 के कार्यालय में 1 1/2 बजे पहुंचा । वे वहां नहीं थे फिर भी वे लोग 2 बजे के करीब कलेक्टर के यहां गये । वे भी उस समय नहीं थे । 4 बजे आये । तो मैं कहना चाहता हूं कि वह जलूस की शक्ल में कलेक्टर के यहां गया और 2 घंटे उसने इन्तजार किया । मैंने भी 12 बजे कलेक्टर को फोन किया और मैंने कहा कि भूखे बुनकरों के साथ मजाक न किया जाय । मैंने यह भी कहा कि यह मुमकिन नहीं है कि बुनकरों ने आग लगायी हो । मैंने पूछा कि कितने आदमियों को गिरफ्तार किया गया है तो पता चला कि 20 आदमियों को अभी तक गिरफ्तार किया गया है । तो मैंने कहा कि अगर ज्यादा गिरफ्तार करने की कोशिश की गयी तो इसका अच्छा अन्जाम न होगा । मेरी प्रार्थना है कि सूत और स्टेपिल की तकसीम में बुनकरों को जो मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है से दूर किया जाय।

*श्री चन्द्रभान शर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय नोमानी साहब ने अभी अपने जजबात का इजहार किया । जजबात का इजहार तो किया लेकिन डिसिप्लिन के डंडे की वजह से अपनी बात को दबीं जबान में पेश करने की कोशिश की । मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय नुमानी साहब से कहना चाहता हूं कि उन्होंने सरकार ने रहने का भी जिक्र किया लेकिन वे अपनी याददाश्त को ताजी कर लें, उस समय सूत की हालत ऐसी नहीं हुयी थी जैसी आज हो रही है और उसके बावजूद आपने यह मुनासिब समझा कि आप उन लोगों के साथ रहे । आपको, जिनके साथ आप मिनिस्ट्री छोड़ कर चला जाना चाहिय था । आज तो आप पार्टी के जनरल सक्रटरी भी हैं, बाराबंकी के डी0एम0 ने जो बुनकरों के साथ व्यवहार किया आपको उबाल क्यों नहीं आया ? आपने इस्तीफा क्यों नहीं दे दिया । और बुनकरों के साथ जेल क्यों नहीं गये ? आज आप उनके परवाह करने के लिये मगर मच्छ के आंसू बहा रहे हैं ।

आपको मालूम होना चाहिये कि पार्लियामेंट के इलेक्शन से पहले सूत का क्राइसिस बिल्कुल नहीं था । एक काम रोटीन से चल रहा था । छोटे-छोटे आदमी जो अपना-अपना हथ कर्घा गांव-गांव में लगाये हुए थे, उनको भी सूत मिलता था लेकिन अब किसी को नहीं मिल रहा है । जगह-जगह आप नारे देते थे कि मजदूरों को उचित मजदूरी मिलेगी, बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, जिन लोगों के पास रहने को मकान नहीं हैं उनको मकान मिलेंगे, ये वायदे किये गये थे लेकिन बाद में आपने क्या किया । बिजिनेस वालों को कहा गया था कि तुम्हारा बिजीनेस नहीं लिया जायगा, तुम्हारे काम कर राष्ट्रीय-करण नहीं किया जायगा, लिहाजा पैसा दो । उस पैसे को लेकर पार्लियामेंट के इलेक्शन में लगाया गया और आज उनको छूट है कि जिस तरह से चाहें वे करें । मैं भी एक ऐसे

[श्री चन्द्रभान शर्मा]

इलाके का रहने वाला हूं कैराना जो मुजफ्फरनगर जिले में है। वहां भी कम से कम 1000 या 1200 करघे चल रहे हैं। वहां पर 6600 करघों का रजिस्ट्रेशन किया गया है लेकिन जो लोग देहातों में बैठकर अपने करके चलाते हैं जिनको यह भी पता नहीं है कि रजिस्ट्रेशन कहां होता है, कहां इन्डस्ट्री अधिकारी बैठता है और इस सारे जिले के लिये केवल 8 दुकानें मुकर्रर की हैं। आप सूत वालों से पूछिये कि वे किस प्रकार से पूरे जिले में 8 दुकानों से सूत लें ?

मैं मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि 8 जिले के लोगों को किस तरह से सूत दिलाये जायेंगे। मैं यह दावे के साथ कहता हूं कि सूत की दूकानें ऐसे लोगों को एलाट की गयी हैं जो न कभी सूत बनाते थे और न उनको इस मामले में तजुर्बा है और ऐसे लोग रह गये हैं जिनको वाकई बे एलाट की जानी चाहिये थीं और जिनको तजुर्बा है और जो डिजर्व करते हैं। मैं आपके माध्यम के से कहना चाहता हूं कि एक दूकान से 800 लूम्स सूत जायेगा। इससे कैसे समस्या का हल होगा। कहां जायेंगे कर्घे वाले ? डी0 एम0 ने इस बात की रिकमेंडेशन भेजी है। शीघ्र एक दूकान 200 या 300 पर एलाट करनी थी। एक कस्बे में 3 दूकानें खोल दीं। कैराना के अन्दर 3 दूकानें खोल दीं। इससे कैसे काम चलेगा ? इसलिये इस पालिसी पर गौर करें और अगर यह सेंटर की बात हो तो उनसे नहीं कहें कि एक हजार या 800 कर्घे के ऊपर एक दूकान खोलने का मतलब है कुछ नहीं मिलेगा। ब्लेक में बिकेगा। इसलिये वह ज्यादा से ज्यादा 400 होना चाहिये। 400 कर्घे के ऊपर एक दूकान खोलनी चाहिये। उसी आधार पर जगह-जगह काम होना चाहिये।

मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि मुजफ्फरनगर में 6 हजार लूम्स रजिस्टर किये गये हैं। वहां 12,13, 14 हजार हैं। अगर इन्हें वितरण करना शुरू करेंगी तो देहात के अन्दर तबाही हो जायेगी। देहात के लोग न तो इंडस्ट्रियल आफिसर को एप्रोच कर सकते हैं और नही उनकी कोई यूनियन है। इसलिये इंडस्ट्रियल आफिसर को आदेश दिये जायं कि उनसे पूछें और उसके बाद वितरण करें। एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि केवल साढ़े-सात किलो सूत माहवार देना तय हुआ है। जब साढ़े-सात किलो सूत उसको मिलेगा तो उसके मिलेगा तो उसके खानदान और उसकी रोजी की क्या हालत होगी और यह भी कोई ठीक नहीं कि वह साढ़े-सात किलो उसे मिलेगा ही। इसलिये यह मामला बड़ा डिफेक्टिव है। अगर इस मसले पर ठीक से विचार न किया गया, तो जो हालत आज फूड की है, वही हालत इसमें पैदा हो जायेगी और सारी बुनकर बिरादरी तबाह हो जायेगी और इनका कहीं पता नहीं चलेगा। इन शब्दों के साथ मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस मामले पर दुबारा गौर करें।

श्री हबीब अहमद (जिला इलाहाबाद)—

मान्यवर, आज यह मसला सुबह उठा था कि जो लोग सत्याग्रह में पकड़े गये हैं.....

श्री उपाध्यक्ष—

अभी नहीं बोल सकते। स्पीच चल रही है उसमें।

श्री हबीब अहमद—

पांच बजे बन्द हो जायेगा। अध्यक्ष जी ने कहा था।

श्री उपाध्यक्ष—

बहस के बीच में नहीं कह सकते। बाद में समय मिले, तो कहना।

श्री रामलाल भाई (जिला गोरखपुर)—

मान्यवर, अभी आपके सामने श्री अनन्तराम जायसवाल जी ने बुनकरों की समस्या के बारे में विवाद प्रस्तुत किया और नोमानी साहब ने भी अपने विचार व्यक्त किये ।

श्री जगदम्बा प्रसाद (जिला फैजाबाद)—

मान्यवर, फैजाबाद के लिये भी समय दें ।

श्री उपाध्यक्ष—

अगर फैजाबाद जिला गोरखपुर जिले के रास्ते में आ जायेगा, तो फजाबाद से बड़ा गोरखपुर है ।

श्री राम लाल भाई—

मान्यवर विदित है कि आफीसर गैलरी में जब बजट प्रस्तुत होता है तो काफी अधिकारी रहते हैं, लेकिन इतना महत्वपूर्ण विषय होते हुए भी आफीसर्स गैलरी में कोई भी संबंधित अधिकारी नहीं है । मुझे ऐसा प्रतीत होता है या तो उनको जानकारी नहीं कराई गई या वह बुनकरों की समस्या में इन्ट्रेस्टेड नहीं हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप आफीसर्स की तरफ नजर मत करिये । आप मंत्री को पकड़िये ।

श्री राम लाल भाई—

मान्यवर, अभी कुछ साल पहले बुनकरों के माल की निकासी की समस्या थी और अब सन् 1973 में सूत की समस्या हो गई । रोजाना कोई न कोई बुनकरों के साथ समस्या रहती है और शासन की कोई विशेष दिलचस्पी उनकी समस्या को हल करने की नहीं दिखाई देती । मान्यवर, पिछली मर्तबा जब कानपुर में मीटिंग हुई थी उस समय स्याल साहब ने, जो कि एक उच्च अधिकारी हैं, बताया कि कोई बुनकर सूत नहीं लेता । इसका कारण जब पूछा तो बताया कि सूत के मंगाने में जो ट्रान्सपोर्ट चार्जेज लेते हैं तो यह चाहें कलकत्ता से सूतमंगाव, या लखनऊ इलाहाबाद से, सबके टोटल को जोड़कर एक ऐवरेज निकाल लेते हैं । इससे मान्यवर, यह होता है कि अगर कोई बंडल 2 रु० मजदूरी में आता है और कोई 4 रुपया एवरेज निकाला जाता है कि जबकि नैनी का सूत उनसे बहुत कम दाम पर ट्रान्सपोर्ट चार्जेज देकर लोकल ही प्राप्त कर सकता है । नतीजा यह हुआ कि बाहर की दूकानों पर सस्ता सूत बिकता था और इनकी डिपो की दूकानों पर मंहगा। विभाग के अधिकारियों ने बताया कि बुनकर सूत लेने में इन्ट्रेस्टेड नहीं हैं तब कैसे लें । किसी तरह से 13 मार्च को जब सूत पर कंट्रोल हुआ और सूत की कीमत एकाएक बढ़ गई, तब जाकर सूत बिका और वहां पर इनके डिपो में 12/14 लाख रुपये का सूत इकट्ठा हो गया था ।

सूत के दाम एकाएक बढ़ जाने से मुझे लगता है कि डीलर का गलत एपाइंटमेंट किया गया और कंट्रोल रेट से ड्योढ़ा सूत बेंचा गया । जब 7 मई को बोर्ड की मीटिंग हुई तो मैंने पूछा इनके डाइरेक्टर श्री विश्वनाथ प्रसाद से, कि किन-किन डीलर को पकड़ा गया तो उन्होंने स्याल साहब से पूछा और स्याल साहब ने उनसे । लेकिन कोई स्पष्ट उत्तर नहीं आया इससे प्रतीत होता है कि कितनी उदासीनता बुनकरों के मामले में दिखाई जाती है । सरकार कुछ प्रयत्न करती है और सराहनीय कदम उठाती है लकिन अपनी मशीनरी को नहीं देखती कि काम कर रही है कि नहीं । फर्जी आदमियों को तो कच्चा माल मिलता ह लेकिन कच्चा माल प्रोडक्शन करन वालों को नहीं मिलता । फर्जी आदमियों को फर्जी बिक्री करन पर रिबेट मिलता ह फर्जी उत्पादन पर कमीशन मिलता है, लकिन जो वास्तव में प्रोडक्शन करता ह उसको सूत नहीं मिलता ।

[श्री राम लाल भाई]

जहां तक कार्डों का सवाल है 400–500 कार्ड एक दूकान पर रखे गये हैं। मान्यवर, आप स्वयं सोचें कि कितना सूत उनको मिलेगा और कितना रुपया लगेगा। आधे किलो के हिसाब से भी एवरेज नहीं आता। गोरखपुर एक पिछड़ा हुआ इलाका है। लाखों बुनकर इस समय बेकार पड़े हुये हैं। उनको दो वक्त भर पेट भोजन नहीं मिल रहा है। जिस तरह से टेस्टवर्क चलाया था उससे गरीबों को बेकारों को सहारा मिला था, उसी तरह से जब तक सूत की प्राब्लम रहती है तब तक उनकी रोजी-रोटी का सहारा देना चाहिये ताकि उनके बच्चे भूख से न मरें। दूसरा सुझाव मैं यह देना चाहता हूं कि मंत्री जी अपनी मशीनरी को तत्काल चेन्ज करें। जो डायरेक्टर नियुक्त किये गये हैं वह बहुत सीधे साधे हैं, उनको इसका कोई ज्ञान नहीं है उनको कहीं दूसरी जगह भेज दिया जाय और स्याल साहब को कहीं और प्रोमोशन दे दें क्योंकि हमने उनके अनुभव को देख लिया कि सूत पर 8 रुपया ट्रान्सपोर्ट पर खर्चा करेंगे और वही सूत लोकली कम दामों पर प्राप्त किया जा सकता है। बुनकर कैसे ले ? ट्रान्सपोर्ट चार्ज जितना वहां पर लगे वहीं पर रखा जाय। निजी स्वार्थ से बुनकरों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है।

तो सियाल साहब का तत्काल ट्रान्सफर करें या प्रोमोशन देकर किसी दूसरी जगह भेज दें क्योंकि सरकार के पास बहुत सी रद्दी सद्दी जगह होती हैं। स्याल साहब बुनकरों के साथ खिलवाड़ करते हैं तो यह अवसर और उन्हें न दिया जाय। पिछले सप्ताह में गोरखपुर गया था तो सैकड़ों बुनकर आकर खड़े हो गये। उन्होंने कहा कि या तो सूत दिलवायें या रोटी दें मैंने कहा कि एक वक्त की रोटी तो है लेकिन सूत कहां स दिलवा सकता हूं। इसी तरह से कारपेट की बात है। पिछली साल 15 करोड़ का फारेन सप्लाई हुआ था और इस साल 20 करोड़ की मांग है लेकिन सूत नहीं मिल रहा है। इसस फारेन Exchange की कमी हो रही है हां ब्लैक में सूत है। ब्लैक में तो सारी चीज उपलब्ध हैं चाहे चीनी ले ले, चाहे सूत ले लें, चाहे मिट्टी का तेल ले लें। लेकिन अगर सरकारी रेट पर लेना है तो एक सप्ताह में एक के जी शकर मिल जायेगी, एक बोतल तेल मिल जायगा और एक पाव सूत मिल जायगा। इसी तरह से जो फर्जी डीलर्स नियुक्त किये ह उनको समाप्त करें और सूत वितरण का काम सरकार अपने हाथ में ले लें। जब सूत की समस्या हल हो जाय उसके बाद डीलर्स को नियुक्त करें।

*श्री मोहन लाल कपूर (जिला मेरठ)--

अभी 7 मई को लघु और कुटीर उद्योग की मीटिंग हुई थी तो उसमें भी मंत्री राम जी लाल सहायक अनुपस्थित थे और भी जब इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो रही है वह अनुपस्थित है। अगर कोई व्यक्ति अपने विभाग के प्रति जिम्मेदारी न समझता हो और महीने में अधिक तर दिन मेरठ में ही लगाते हों तो निश्चित रूप से यह विभाग पीछे जायेगा और कोई समस्या हल नही हो सकती। मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी के पास यह पहुंचाना चाहता हूं कि वह मंत्री जी से कहें कि लखनऊ में ज्यादा रहें और अपना ध्यान विभाग की तरफ ज्यादा लगायें। मेरे पास इस संबन्ध में जनसंघ के एक प्रमुख कार्यकर्त्ता का पत्र आया है जिसम उन्होंने लिखा है कि 9 मार्च नियंत्रक तिथि से, अब 11अप्रैल है, छोटे बुनकर जिन्होंने अपने घर पर एक या दो खड्डी लगायीं ह उनके न तो कार्ड बने हैं और न सूत की व्यवस्था ही है। वे बुनकर भूख के किनारे खड़े हैं। कोई रिक्शा चला रहा है तो कोई चांदी के जेवर बेचकर अपनी गुजर कर रहा है। अभी खाद्य समस्या पर बहस हुई थी तो उसमें सभी ने कहा कि चीनी गायब, कोयला गायब, मिट्टी का तल गायब। सरकार ने सूत पर हाथ रखा तो वह भी गायब हो गया। इस पर मुझे एक बात याद आ गयी।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हमारे यहां एक व्यक्ति थे । उनका बच्चा बीमार पड़ा । दसवीं की परीक्षा थी। उसका बुखार उतर नहीं रहा था । उसने कहा कि उनको बुला लीजिये तो मेरा बुखार उतर जायेगा । क्योंकि वह सरकारी आदमी हैं । उनको बुलाया गया । लड़के ने कहा मुझे छू दीजिये । आपने मुझे छुआ नहीं कि बुखार गायब। इसी तरह से यह सरकार जिस चीज को छू देती वह गायब हो जाती है।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

माननीय, मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि नशाबन्दी के मामले में कपूर साहब की सलाह मान लें ।

श्री मोहनलाल कपूर—

मेरे दो सुझाव सरकार के लिये हैं । एक तो यह है कि सूत का जो अभाव है उसको सरकार दूर कर दे और दूसरे यह कि कम पैसे पर सूत दिलवायें । आज सूत मारकेट से गायब है । पहले दो बटा तीन का सूत 33 रुपये बंडल पर मिलता था उसके आज दाम उन्होंने मिल मालिकों से मिल कर 34 और 38 रुपये तय कर दिये । इस प्रकार से 2/20 नम्बर का जो सूत था नियंत्रण से पहले वह 54 रुपये में मिलता था परन्तु उसके दाम अब 58 व 59 रुपये हो गये हैं । इस प्रकार से मैं समझता हूं सरकार ने मिल मालिकों से मिल कर एक षडयंत्र रचा है जिससे कि मिल मालिकों से उसको अच्छा पैसा मिल सके । मिल मालिक चाहे मोदी नगर में हों या कहीं और हों सब की एक ही बात है । जब कोई सूत लेने जाता है तो वे कहते हैं कि 100–200 रुपये प्रति कार्ड दे दो तब हम सूत देंगे । जो देने को तैयार हो जाते हैं उन्हें तो सूत मिल जाता है परन्तु जो नहीं देते हैं उनसे कह दिया जाता है कि सूत नहीं है । मेरठ में खेल का उद्योग है और निवाड का उद्योग है । हैन्डलूम का तो वहां पर बहुत बड़ा उद्योग है । वह केवल मेरठ ही में नहीं बल्कि सरधने और पिलखुवा में भी है । मेरठ में सब जगह यह सारा उद्योग अस्तव्यस्त पड़ा हुआ है । कहने के लिय कहते हैं कि 3 1/2–4 किलोग्राम एक खड्डी पर देना चाहते हैं । मैं सुझाव देना चाहता हूं कि उनके कार्ड बनने चाहिये । उनके पास अधिक पूंजी भी नहीं होती है । सरकार बिना सोचे समझे काम शुरू कर देती है जैसे गेंहूं की ट्रेड को टेक ओवर किया परन्तु वितरण की कोई व्यवस्था नहीं है । मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि वे सूत की वितरण की व्यवस्था शीघ्र सुधारें और उन्हें राष्ट्रीयकृत बैंकों से ऋण दिलाने की व्यवस्था करायें । जल्दी से जल्दी बुनकरों की स्थिति को सुधारें वे भुखमरी के द्वार पर खड़े हैं ।

*श्री जगदम्बा प्रसाद (जिला फजाबाद)—

सूत की कमी इस प्रदेश में करीब 2 वर्ष से व्याप्त है । यहां पर मीटिंग भी हुयी थी जिसमें इस समस्या पर ध्यान गया था । बड दुख की बात है कि बुनकर पूरे प्रदेश में मर रहे हैं और माननीय मंत्री जी सदन में उपस्थित नहीं हैं । यह सदन इस पर विचार कर रहा है और सभी आदरणीय सदस्य अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं । मालूम होता है इस महत्वपूर्ण कार्य म हम लोगों को उनका सहयोग नहीं मिलगा । मैं अपने जिले फैजाबाद की तरफ आपके माध्यम से उनका ध्यान दिलाना चाहता हूं । हमारे यहां जलालपुर, अकबरपुर इत्यादि टाउन एरियाज है जहां कि सिर्फ बुनकर पेशा लोग ही रहत हैं । आपको मालूम है वहां गमछे का काम होता है । वह प्रदेश में ही नहीं वरन् पूरे देश में वहां से भेजा जाता है । सूत न मिलन के कारण आज बुनकर खाने वगैर मर रहे हैं । जलालपुर में एक अलग एजेन्सी होनी चाहिये । अभी हमारे नेता विरोधी दल ने जनरल एडमिनिस्ट्रेशन की ग्रान्ट पर बहस के दौरान बताया था कि

*वक्ता न भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री जगदम्बा प्रसाद]

कैसे अकबरपुर में सूत उतरते ही गायब हो गया । उस सिलसिले में एक प्रश्न भी हुआ था । बड़े दुर्भाग्य की बात है कि उस समय मैं नहीं था । सरकार ने उस पर कार्यवाही भी की ।

इस चीज को देखते हुये ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये कि बुनकरों की समस्या जो सारे प्रदेश में व्याप्त है और केन्द्रीय सरकार के सामने भी हम लोगों का प्रतिनिधि मंडल गया था और उसको आश्वासन दिया गया था कि वह इस समस्या को हल करेंगे, परन्तु वह समस्या हल नहीं हो सकी है । मैं आपके माध्यम से इस सरकार से कहता हूं कि इस समस्या के कारण हजारों बुनकरों को भर पेट खाना नहीं मिल रहा है, इसलिये सरकार इस प्रकार की व्यवस्था करे कि प्रदेश में शान्ति का वातावरण बने ।

श्री उपाध्यक्ष---

5 सदस्य बोलना चाहते हैं इसलिये दो-दो मिनट बोल लें ।

श्री मंजूर अहमद (जिला मेरठ)---

आधा घंटा समय बढ़ा दिया जाय तो अच्छा होगा ।

*श्री गिरजा शंकर तिवारी (जिला बाराबंकी)---

श्री जायसवाल ने जिस प्रकार से इस समस्या को प्रस्तुत किया है वह ठीक ही है और विशेषकर बाराबंकी में यह समस्या अधिक गंभीर है । इसका परिणाम यह निकला कि 7 तारीख को बाराबंकी में बुनकरों ने एक प्रदर्शन किया और जिलाधिकारी से मिलकर जा रहे थे, तो उस बात को जायसवाल जी ने विस्तार में बतलाया है । जब इस को संगठन कांग्रेस के नेता, श्री कल्पनाथ सिंह, ने जैतपुर (बाराबंकी) में एक विशाल सभा में सम्बोधित किया था और इन सारी समस्याओं को सरकार के सामने रखते हुये यह ऐलान किया था कि यदि सरकार ने नहीं सुना तो हम सब एक जुट होकर प्रदर्शन करेंगे । मान्यवर, 7 तारीख को उन सभी बातों को लेकर हमारे बुनकर भाइयों ने प्रदर्शन किया । मैं इस सम्बन्ध में सरकार को बतलाना चाहता हूं कि इस समस्या के कारण बुनकर भुखे मर रहे हैं और बच्चों को दवा का भी प्रबन्ध नहीं कर पा रहे हैं । देहात में जो बुनकर रहते हैं उनको तो सस्ते गल्ले की दुकानों से गल्ला या शकर भी नहीं मिलती है । मान्यवर, ऐसे भी बुनकर हैं जो फर्जी तरीके से सूत लेते हैं और व्यापार करते हैं । गांव में जो बुनकर रहते हैं वह किसी तरह मजदूरी करके पेट भरना चाहते हैं और बच्चों के लिये दवा का भी प्रबन्ध नहीं कर पाते हैं । यह सरकार उनको सूत देने में फेल है और वह भूखों मर रहे हैं ।

श्री धनुषधारी पांडे (जिला बस्ती)---

यह जो समस्या सरकार के सामने प्रस्तुत है, बहुत गम्भीर है ।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

समस्या गंभीर है लेकिन मुख्य मंत्री या कोई कबिनेट स्तर का मंत्री मौजूद नहीं है ।

श्री धनुषधारी पांडेय---

यह बुनकरों की समस्या सारे प्रदेश की है और हरएक बुनकर इसके कारण परेशान है । और एक ही समस्या है । अभी पिछल दिनों हमारे माननीय उपमंत्री श्री आबिद अली साहब और नोमानी साहब बस्ती जिले की खलीलाबाद तहसील में गये और वहां उन्होंने एक मीटिंग

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

बुलायी । इनके सामने जो नंगा नाच हुआ, अधिकारियों को सैकड़ों गालियां बुनकरों ने दीं, इतने जले भुने थे बुनकर कि उनके सामने कोई और चारा नहीं अपने जीवन निर्वाह का । हमने एक निवेदन माननीय उपमंत्री जी के सामने रखा था कि बुनकरों को जो कार्ड दिये गये हैं उन पर लिखा है कि उन्हें 5 बंडल प्रति माह दिया जायगा जबकि अब तय हुआ है सवा बंडल । तो यह स्पष्टीकरण अगर नहीं करेंगे तो बुनकरों और रिटेलर्स के बीच में संघर्ष होगा और और जो उनका नारा है कि दुकानों को लूट लेंगे वह चरितार्थ होगा ।

इसके अलावा जो सूत कानपुर या निगम से लिया जाता है उसका जो पैसा दिया जायगा तो जो कंट्रोल रेट पर देंगे उसकी पूर्ति वह कहां से करेंगे इसलिये जो सस्थायें हैं सरकार उनको सुलझाये वरना स्थिति बहुत गम्भीर हो जायगी ।

श्री हबीब अहमद---

उपाध्यक्ष महोदय, आपका बड़ा आभारी हूं कि दो मिनट का समय मुझे भी दे दिया। बुनकरों का मामला बहुत पेचीदा हो चुका है । चूंकि टाइम बहुत कम है, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि यह सरकार जो तबका दबा हुआ है उसको और दबाने की आदी हो चुकी है । कल जो सत्याग्रह शुरू हुआ है ऐसा ही सत्याग्रह 1857 में आज से 116 वर्ष पहले 10 मई को मेरठ में शुरू हुआ था । चूंकि अंग्रेज सरकार थी और अंग्रेज काफी बलवान थे इसलिये उनको निकालने में 90 वर्ष लगे थे । 1947 में उनको बाहर कर दिया ।

श्री राजमंगल पांडेय (जिला देवरिया)---

हम को हटा कर आप लायेंगे किसको ? क्या बाहर से किसी को लायेंगे ?

श्री हबीब अहमद---

जी नहीं । इधर वाले आयेंगे । बुनकरों के वोटों से यह सरकार बनी है और उन्हीं के हकूक को पामाल कर रही है । तो यह 90 दिन से ज्यादा नहीं चलेगी, 15 अगस्त, को बदल जायगी ।

श्री उपाध्यक्ष---

श्री मुस्तफा कामिल किदवई ।

श्री मंजूर अहमद---

दो मिनट सिर्फ मैंने आपसे मांगे थे ।

श्री उपाध्यक्ष---

आप ऐसा दुराग्रह क्यों करते हैं ? क्या आपको कोई ज्यादा हक वाकय हो गया इनके ऊपर ? जब उनको बुलाया है तो आप बोलने नहीं देते ।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

कुछ समय आप बढ़ा दें, हमको जवाब भी देना है ।

श्री उपाध्यक्ष---

अभी तो इन्होंने ही जवाब नहीं दिया । पहले इनको तो मौका दिया नहीं गया ।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

कुछ बातें रह गयी हैं । हमको मौका दे दीजियेगा क्योंकि आपने कह दिया था कि जवाब का मौका मिलेगा ।

श्री उपाध्यक्ष—

यही हुआ था कि सब बोल लें आखिर में वह जवाब दे देंगे ।

*श्री मुस्तफा कामिल किदवई (जिला बाराबंकी)—

मैं मान्यवर, उस कान्सटीट्यून्सी से आता हूं जहां 25–30 हजार बुनकर हैं । उनकी हालत इस हाउस में कई बार बयान की जा चुकी है । मेरा ख्याल था कि मेहनत करने वाला कभी भूखा नहीं रह सकता, मगर आज मैं देखता हूं कि जो सबसे ज्यादा मेहनत करता है वही सबसे ज्यादा भूखा रहता है । मंत्री जी ने स्टैपिल की कीमत को कन्ट्रोल नहीं किया । इसके कारण उसकी कीमत 50 प्रतिशत तक बढ़ गयी है । यार्न को आपने कन्ट्रोल किया मगर उसको आपने उनके हाथों में दे दिया जो पहले से इन लोगों को चूसते चले आ रहे हैं । नतीजा आज यह है कि बुनकरों को किसी भी कीमत पर यार्न नहीं मिलता है । मैं सियाल साहब से कई बार कहा । मैंने कहा कि आप सेन्टर्स को ऐसी जगह कायम कर दीजिये जहां ज्यादा से ज्यादा बुनकर हों । मगर वे वहां कायम किये गये हैं जहां बुनकर ज्यादा नहीं है । मैंने उनसे कुछ गांव का भी जिक्र किया था जहां पर वे डिपो होना चाहिये थे । मगर उस पर आज तक कोई ध्यान नहीं दिया गया । बुनकरों से वायदे तो बराबर किये जाते रहे मगर उनको पूरा कभी नहीं किया जाता । सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने भी उनके लिये कोई इन्तजाम नहीं किया बैंक से भी उनको कर्ज आदि नही मिलता । मैं फाइनेन्स मिनिस्टर साहब से कहूंगा कि वे इस ओर ध्यान दें कि बैंकों के द्वारा उनको अधिक से अधिक मदद पंहुचाई जा सके ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी गढ़वाल)—

समय चूंकि कम है, मैं एक दो बात कहूंगा । मऊनाथ भंजन जिला आजमगढ़ में बुनकरों का एक मुख्य केन्द्र है । वहां पर जिन ए0 डी0 आई0 को भेजा गया है वे खुले आम महाजनों से मिल कर पैसा बना रहे हैं । सरकार की तरफ से 12 मार्च, 1973 को जो प्राइस निर्धारित की गयी उसी प्राइस पर कन्ट्रोल किया गया । लेकिन बुनकरों को उस प्राइस पर नहीं मिला । सब फर्जी वाउचर बनाकर इधर-उधर कर दिया गया । एक सूत नं0 7 है जिसकी कीमत 158 रुपये फिक्स की गयी । उसके खिलाफ काफी प्रचार आदि हुआ । माननीय मुख्य मंत्री जी ने उसके लिये एक मीटिंग भी बुलाई । उन्होंने काफी छानबीन की और फिर उसकी कीमत घटा कर 133 कर दी गयी ।

इन्हीं ए0 डी0 आई0 महोदय ने एक परमिट नं0 293, 7 नं0 सूत का 143.90 रुपये के भाव पर दिया और वही सूत का परमिट एक गनेश मिल को परमिट नं0 283 द्वारा 224.35 रुपये के भाव से दिया गया ।

श्री उपाध्यक्ष—

आपका समय समाप्त ।

परिवहन उप मंत्री (श्री आबिद अली)—

मान्यवर, मैं माननीय सदस्यों का बहुत आभारी हूं, जिन्होंने बहुत अच्छे-अच्छे सजेशन्स दिये और बुनकर भाइयों के प्रति बड़ी हमदर्दी दिखाई । वाकई में बुनकर भाई सोसाइटी के सबसे कमजोर हल्के से ताल्लुक रखते हैं, वाकई में वह हम लोगों की हमदर्दी के हकदार है । इसलिये मैं उन सभी की हमदर्दी के दिखाने के लिये उनका आभारी हूं ।

श्री मनोहर लाल कपूर—

मुझे आपसे बड़ी हमदर्दी है कि आप अभी तक उसके साथ हमदर्दी नहीं दिखा सके ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री आबिद अली—

आज के एजेन्डे में स्टेपेल यार्न का जिक्र किया गया है, लेकिन माननीय सदस्यों ने दूसरे किस्म के यार्न यानी सूत का भी जिक्र किया। इसलिये मैं बेहतर समझता हूं कि पहले स्टेपेल यार्न पर और फिर काटन-यार्न के बारे में जिक्र करूंगा।

माननीय, स्टेपेल-यार्न की हालत एक-सवा साल से खराब थी। मार्च, 72 में इसके लिये टांडा से लोगों ने डिमांस्ट्रेशन किया और उस पर केन्द्रीय सरकार से जोर दिया गया और हमें मार्च, के लिये 23 लाख के0जी0 और अप्रैल के लिये 24.55 लाख के0 जी0 हमें सेन्ट्रल से एलाट हुआ। मगर उससे हमारे सूबे की जरूरत पूरी नहीं हुई, तो सेन्टर से फिर यह प्रार्थना की गई कि हमारी आवश्यकता को देखते हुये हमको 11 हजार के करीब गांठें दी जायें। लेकिन टेक्स्टाइल कमिश्नर ने पहले हमें केवल 5 हजार गांठें देने का वायदा किया था, किन्तु जब और कहा गया तो 7 हजार गाठें देने की बात कहा, बाद को और कहा तो 9 हजार तक पहुंच गये थे। लेकिन एक्चुअली जो उन्होंने एलाट किया वह 7 हजार ही हर महीने एलाट किया किया इसकी तकसीम करने का काम टेक्स्टाइल कारपोरेशन को दिया गया, उन्होंने सूबे भर में 10 डिपो खोले। जिस वक्त मार्च के पहले स्टेपेल यार्न के बटवारे का काम शुरू हुआ था तो जो सूत पहले 59 रुपये में बिकता था, उसके दाम 85 रुपये हो गये। जब उसका काम कारपोरेशन के जरिये होने लगा तो उसकी कीमत में कुछ-कुछ कमी आने लगी। वह 85 से 80 आया, 80 से 75 आया, 75 से 60 आया और फिर 59 आया। फिर उसके दाम और भी कम हो गये, क्योंकि मिल वाले आधा सूत बाजार में लाते थे और आधा टेक्स्टाइल कारपोरशन के जरिये बितरण के लिये देते थे। इस समय हालत यह थी कि स्टेपेल यार्न का 56 रुपये कन्ट्रोल रेट था, उससे भी भाव कम हो गया और यहां तक कि 52 रुपये मिल वालों ने रेट कर दिया। उसका नतीजा यह हुआ कि दिसम्बर, 72 में चार हजार गांठें 45 लाख रुपये का सामान स्टाक हो गया क्योंकि उन्होंने ज्यादा रेट पर लिया था। अब यह भी कहा जाने लगा कि जो मिल वाले रेट दे रहे हैं, उसी रेट पर उन्हें देना चाहिये और उन्हें भी अपना रेट कम करना चाहिए और उन्होंने कम किया भी। जनवरी–फरवरी मे उनके पास जो 4 हजार गाठें 45 हजार रुपये की थीं, उनको तकसीम किया गया। लेकिन बिजली की कमी की वजह से जो सूत बनाने की बहुत कमी हो गयी उसकी वजह से बजाय दाम कम होने के, दाम कुछ ज्यादा होने लगे। काटन यार्न के भी दाम ज्यादा होने लगे और उसके फलस्वरूप गवर्नमेंट आफ इंडिया ने 13 मार्च को पूरे प्रदेश के लिये काटन–यार्न के तकसीम के लिये कन्ट्रोल कर दिया। जब वहां पर कन्ट्रोल हुआ तो यहां से 21 मार्च को डी0 एम0 को यह अधिकार दिया गया कि जिले में जितना भी काटन यार्न है उसको सीज करा दें और उसको 12 मार्च की कीमत पर बिकवा दें। इस तरह से करीब 7,93,848 के0 जी0 सूत पूरे प्रदेश में पकड़ा गया, जिसमें से 5,79,682 के0 जी0 कुल तकसीम हो गया है। अब हमसे सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने यह कहा कि हमको पूरे सूबे में सिर्फ एक नामिनी बता दी जिये, जो मिलों से माल उठा लिया करे।

यहां सूबे में इतनी बड़ी एजेन्सी कोई नहीं थी सिवा टेक्स्टाइल कारपोरेशन के जो कुल महीने भर का काटन यार्न उठा लेती। चूंकि स्टेपिल का भी वह काम कर रही थी इस वास्ते यह तय किया गया कि काटन यार्न के मिलों से उठाने का काम टेक्स्टाइल कारपोरेशन के सुपुर्द कर दिया जाय। चुनांचे उनसे कहा गया कि जहां पर यह काम होता है उन जिलों में, छोटे जिलों में मुश्किल है, लेकिन और जिलों मे अपने डिपो खोलिये और वहां सूत पहुंच जाय। फिर वहां से डीलर्स सब सूत लेकर बुनकरों को सूत दें। चुनांचे 357 रिटेल डीलर और 59 सोसाइटीज इस काम के लिये मुकर्रर किये गये। 24 जगहों पर टेक्स्टाइल कारपोरेशन ने डिपोज खोल दिये हैं 8 जगहों पर और खोलने वाले हैं। 1 लाख 22 हजार 1 सौ कार्ड जो बुनकरों को तकसीम होने थे वह बट गये हैं। 43 जिलों मे कार्ड बंट गये हैं। 11 जिलों में काम मुकम्मल नहीं हो पाया है लेकिन 80 फीसदी काम मुकम्मल हो गया है।

[श्री आबिद अली]

गवर्नमेंट आफ इंडिया ने 23 लाख किलो ग्राम सूत काटन का सूबे के लिये दिया था। हम लोगों ने करीब 180 लाख किलोग्राम मांगा था। लेकिन पूरे देश का कलकुलेशन किया गया तो उस वक्त पूरे हिन्दुस्तान भर की मांग 112 लाख किलोग्राम हो गयी जिसको पूरा नहीं कर सकते थे। उन्होंने कहा कि जितने करघे जिस सूबे में हैं उसी प्रोपोशंन में सूत दें। हमारे सूबे में 5 लाख करघों के लिये मांग की गयी पूरे देश में 28 लाख करघे हुये। उन्होंने कहा कि पूरे देश भर में सिर्फ 220 लाख के0 जी0 सूत है उसी हिसाब से बांटा। तो हमारे हिस्से में 23 लाख किलोग्राम सूत आया। हमने और मांग की थी। तो कुछ सूत उन्होंने दिया लेकिन कछ मिलों ने सूत नहीं दिया। उसके नतीजे में 23 लाख के0 जी0 ही हाथ आया।

श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

प्रदेश के बुनकरों को प्रतिमास कितने सूत की आवश्यकता है और केन्द्र कितना दे रहा है।

श्री आबिद अली—

हमने 72 हजार गांठ की प्रार्थना की थी। (व्यवधान) जितना हमने मांगा, आवश्यकता को देखकर मांगा था। लेकिन जितना सूत मिलों मे बन रहा है उसकी पोजीशन यह है। कि मद्रास देश भर का 37 फीसदी सूत बनाता है। 75 परसेंट वहां कटौती है। सिर्फ 25 फीसदी बनाते हैं। यू0 पी0 में इस वक्त 30 परसेंट मिलें चल रही हैं 70 परसेंट की कटौती है। इस तरीके से जितना सूत बनना चाहिये नहीं बन पा रहा है। जितना सूत बन पा रहा है उसी लिहाज से सूत हमको गवर्नमेंट आफ इंडिया देगी।

श्री गिरजा शंकर तिवारी—

बिजली की कमी है और आपके मुख्य मंत्री एअर कंडीशन बंगले में रहते हैं, जब कि सारे प्रदेश में बुनकर भूखों मर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

समय नहीं है। नियम 51 के अन्तर्गत कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

सदन के अनिश्चित काल तक स्थगन का प्रस्ताव

वित्त मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन अनिश्चित काल के लिये स्थगित कर दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि विधान सभा अनिश्चित काल के लिये स्थगित की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(इसके बाद सदन 5 बज कर 15 मिनट पर अनिश्चित काल के लिये स्थगित हो गया।)

देवकी नन्दन मित्थल,
सचिव विधान सभा
उत्तर प्रदेश।

लखनऊः
11 मई, 1973।

सत्यमेव जयते

सत्यमेव जयते

सत्यमेव जयते